खण्ड-199, अंक-2
गुरूवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1880
(25 सितम्बर, 1958 ई0)

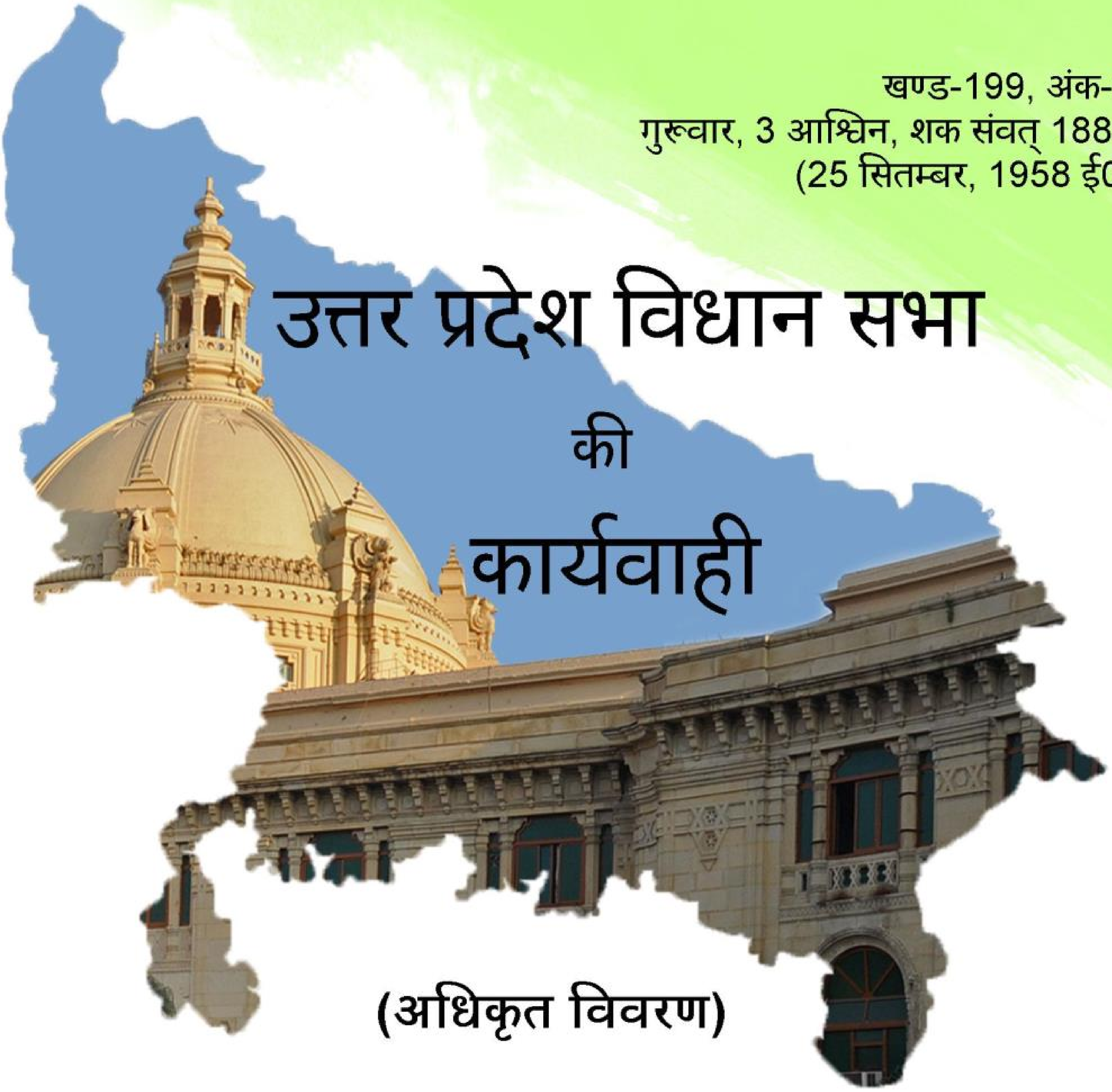

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य —२६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त श्री,
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री

जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन [illegible], श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री

विधान सभा प्रदेश

राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलख सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल स सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
श सुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्र , कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर, १९५८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को निःशुल्क चिकित्सा तथा हथियारों के लाइसेंस देने का सुझाव

**१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह आनरेरी मजिस्ट्रेटटों को निःशुल्क चिकित्सा तथा निःशुल्क हथियारों के लाइसेंस की सुविधा देती है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय श्रेणी के गजटेड आफिसरों को निःशुल्क हथियारों के लाइसेंस व निःशुल्क डाक्टरी सहायता दी जाती है, तो यह मान कर कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी द्वितीय श्रेणी के गजटेड आफिसर हैं, उनको भी यह सुविधा देने में क्या कठिनाई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स मेडिकल एटेंडेंस रूल्स १९४६ में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये लिखा है और चूंकि यह वेतन भोगी मैजिस्ट्रेट्स नहीं हैं, इसलिये उनके लिये यह नियम नहीं लागू होता है ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के सरकारी खादी केन्द्र

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसीलों में कहां-कहां पर सरकारी खादी केन्द्र खोले गये हैं और प्रत्येक को १९५७–५८ व १९५८–५९ में क्या सरकारी सहायता दी गई है ?

उद्योगउपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८५ पर)

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां पर अम्बर चर्खे की ट्रेनिंग के निमित्त सरकारी केन्द्र खोले गये हैं और कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले में सरकार द्वारा कोई अम्बर चर्खा केन्द्र नहीं खोला गया है ।

श्री मक्तिनाथ राय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले में कस्तिनों को २ आने प्रति गुंडी की सहायता नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—दी जायगी, उसके देने में देरी इस वजह से हो गयी कि पहले खयाल यह था कि कुछ केन्द्र बन्द होंगे और उसके बाद अगस्त में यह फैसला हुआ कि अभी अक्तूबर तक वे केन्द्र जारी रखे जायेंगे, इसीलिये पैसे के देने में देर हो गयी लेकिन वे दिये जायेंगे ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी, जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा, कि कुछ केन्द्र कम किये जायेंगे, तो कुछ केन्द्रों को कम करने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—धनाभाव ।

*३-५—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिये गये ।]

*६-७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[हटा दिये गये ।]

परिवहन विभाग को विज्ञापन से आय

*८—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या परिवहन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ ई० में advertisement (प्रचार) से परिवहन विभाग को कितना धन मिला ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—सन् १९५७ में १ जनवरी से ३१ दिसम्बसन् र, १९५७ तक प्रचार से कुल १२,४८८ रुपये ७३ नये पैसे की आमदनी हुई ।

*९—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवहन विभाग की गाड़ियों में advertisement accept करने के क्या नियम हैं ?

डाक्टर सीताराम—निर्धारित दर पर जो कोई व्यक्ति चाहे सामान्य प्रबन्धक के यहां पैसा जमा करके प्रचार करा सकता है । ऐडवर्टिजमेंट की दरें निम्नलिखित हैं :—

	विज्ञापन हेतु रोडवेज गाड़ियों पर लगे हुए बोर्डों की संख्या व स्थिति	मासिक दर प्रति बोर्ड प्रतिमाह	
		नगर सेवा	रूरल सेवा
१	गाड़ी के पिछले भाग पर स्थित १ पैनेल ..	६.३७ न० पै०	२.१२ न० पै०
२	गाड़ी के एक ओर के एक किनारे पर स्थित १ पैनेल ..	३.६३ न० पै०	१.२५ न० पै०
३	गाड़ी के दूसरी ओर के एक किनारे पर स्थित १ पैनेल ..	३.६३ न० पै०	१.२५ न० पै०
	योग ..	१३.६३	४.६२

*१०-११—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—[हटा दिये गये ।]

*१२—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१३-१४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये ।]

*१५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[हटा दिया गया ।]

*१६–१८—श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[आठवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ७१–७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया ।]

*२०—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१—श्री टीकाराम पजारी (जिला मथुरा)—[ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सिधौली, जिला सीतापुर में रोडवेज बस स्टेशन बनाने का आयोजन

*२२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौली (सीतापुर) में रोडवेज बस-स्टेशन बनवाये जाने हेतु जमीन प्राप्त कर ली गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*२३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो बस-स्टेशन बनवाये जाने हेतु सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस भूमि के कुछ भाग पर एक व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है जिसको हटाने के लिये कानूनी कार्यवाही की जा रही है । इस भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होने पर वहां बस स्टेशन बनाया जायगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली बस स्टेशन बनाने की भूमि किस तारीख को प्राप्त की गयी थी ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५४ में ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—अभी तक उस भूमि पर भवन न बनने का कारण क्या केवल अनधिकृत व्यक्ति का कब्जा करना है या कोई और भी ?

डाक्टर सीताराम—सिर्फ कब्जा करना कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि १०,००० रुपया इसके लिये स्वीकार हो चुका है । ज्यों ही वह व्यक्ति हट जायगा त्यों ही बस स्टेशन बनना शुरु हो जायगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—अनधिकृत कब्जा हटाया जा सके इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल जो हैं वे इस केस को कोर्ट में देख रहे हैं ।

*२४–२५—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[आठवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०३–१०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिया गया ।]

*२७–२८—श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)—[बारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६१–६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सीतापुर जिले में अल्पबचत योजनान्तर्गत प्राप्त धन तथा व्यय

*२९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—दिनांक २१-८-५८ ई० के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९५७ ई० से जून, १९५८ तक सीतापुर जिले में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत कितना रुपया जमा हुआ और इसी अवधि में कितना रुपया निकाल लिया गया ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—सीतापुर जिले में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अगस्त, १९५७ ई० से जून, १९५८ ई० तक ६४,१६,४७६ रुपये की धनराशि जमा की गयी और ४३,२०,१८० रुपये की धनराशि निकाली गयी है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी १,००० या इससे अधिक रुपया जमा करने वालों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी भविष्य में यह धनराशि छोटे-छोटे लोगों से अधिक प्राप्त की जा सके ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि यह अल्पबचत योजना में जो रुपया आये वह ज्यादातर उन्हीं लोगों से आये जो छोटी-छोटी रकम दे सकते हैं।

*३०-३२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८१-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३३—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[हटा दिया गया।]

सुजानगंज, जिला जौनपुर में बस स्टेशन के लिए भूमि प्राप्ति का प्रयत्न

*३४—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत सुजानगंज (जौनपुर) का बस स्टेशन कब तक बन जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—इस बस स्टेशन के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*३५—श्री नागेश्वर प्रसाद—अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

डाक्टर सीताराम—भूमि के संबंध में Land Management Committee, फरीदाबाद से पत्र व्यवहार हो रहा है।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र-व्यवहार कब से चल रहा है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक सुजानगंज बस स्टेशन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सीताराम—अभी टेम्पररी वहां पर बसें खड़ी होती हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। ज्यों ही जमीन मिल जायगी उनके लिये बस स्टेशन बनाने की कोशिश की जायगी।

श्री नगेश्वर प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बस स्टेशन पर कितना रुपया खर्च करने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम--आशा है कि ८,००० रुपया इस पर खर्च होगा।

*३६--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--[ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विकास क्षेत्र डिलारी में भवन निर्माणार्थ प्राप्त बागों का मुआवजा न मिलना

*३७--श्री किशन सिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र डिलारी में भवन निर्माण के लिये जो काश्तकारों से बागात लिये गये हैं जिसका कि अरसा तीन साल से अधिक हो गया है उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां। यह सही है कि डिलारी ब्लाक में भवन निर्माण के लिये जो भूमि काश्तकारों से ली गई थी उसके मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है।

श्री किशन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक यह मुआवजा क्यों नहीं मिला ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसमें दिक्कत यह थी कि इस जमीन के कुल २६ मालिक थे जिनमें से २१ लोगों ने अपना तहरीरी और जबानी रजामन्दी दे दी थी। बाकी ने रजामन्दी नहीं दी थी। इसलिये लैन्ड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही करनी पड़ी और वह कार्यवाही चल रही है लैन्ड ऐक्वीजीशन के आफिस में। जैसे ही वह कार्यवाही मुकम्मिल हो जायगी मुआवजे की अदायगी कर दी जायगी।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि कुल कितनी है और उस का कुल कितना मुआवजा निश्चित हुआ है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उस भूमि का रकबा ३.६८ एकड़ है लेकिन मुआवजे के लिये नोटिस चाहिये।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि पर अभी भवन निर्माण हो चुका है या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--अभी जमीन ऐक्वायर की जा रही है जब ऐक्वीजीशन हो जायगा तभी निर्माण का कार्य हो सकेगा।

श्री मही लाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ऐक्वीजीशन की प्रोसीडिंग किस स्टेज पर है ?

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने जैसा बताया कि लैन्ड ऐक्वीजीशन आफिसर के पास इस के तमाम कागजात हैं। जैसे ही मुआवजे का फैसला हुआ और वह दिया गया कार्यवाही शुरु हो जायगी।

लोन्स व ग्राण्ट्स कमेटी के सदस्य

*३८--श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 'लोन्स व ग्राण्ट्स' (Loans and grants) कमेटी में इस वक्त कौन-कौन से सदस्य हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--लोन्स व ग्रांट्स कमेटी (Loans and Grants Committee) के वर्तमान सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८६ पर)

*३९--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले में मादक वस्तुओं के प्रयोग तथा क्रय से सम्बन्धित मुकदमे

*४०--श्री रामेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में नशीली चीजों को इस्तेमाल करने या बेचने के सिलसिले में सन् १९५७ ई० से ३१ अगस्त, १९५८ ई० तक कितने कितने मुकदमे चलाये गये हैं?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८७ पर)

*४१--श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह--[हटा दिया गया।]

*४२--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--[हटा दिया गया।]

*४३--श्री हरदयाल सिंह--[हटा दिया गया।]

*४४--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में औद्योगिक विकास के लिए ऋण

*४५--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ व १९५८-५९ में अब तक औद्योगिक विकास के लिये जिला उद्योग विभाग को कितना धन प्रतिवर्ष अनुदान एवं ऋण हेतु सरकार द्वारा दिया गया?

श्री रऊफ जाफरी--आजमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में औद्योगिक विकास हेतु १२,००० रुपया केवल ऋण वितरण हेतु दिया गया, तथा १९५८-५९ के लिये धनराशि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वितरण हेतु दिया हुआ धन कुल वितरित हो चुका है या बाकी है?

श्री रऊफ जाफरी--यह १२,००० रुपया जो बताया गया इस में से केवल २ आदमियों को नहीं दिया गया है बाकी १०,००० रुपया बट चुका है और २,००० रुपया बाकी है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त धन किन किन व्यक्तियों को और किन किन उद्योगों को कायम करने के लिये दिया गया है?

श्री रऊफ जाफरी--इस के लिये नोटिस चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--जिला उद्योग विभाग को कितना धन प्रतिवर्ष ऋण हेतु दिया गया है और क्या उद्योग विभाग भी सरकार से कोई ऋण लेता है?

श्री रऊफ जाफरी--कोई ऐसी रकम निर्धारित नहीं है लेकिन होता यह है कि हर साल कुछ रुपया जिलाधीश के डिस्पोजल पर रहता है ताकि जरूरत हो तो देर न हो और वह दे दें और यह १२,००० रुपया जो बताया गया है यह भी वही है जो पिछले साल रखा गया था, अब इस साल कितना रखा जायगा यह अभी निर्धारित नहीं हुआ है।

श्री जगन्नाथ लहरी---उत्तर साफ नहीं हुआ, मैंने पूछा था कि उद्योग विभाग को कितना ऋण सरकार की तरफ से दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। प्रश्न में तो यह था कि जिला उद्योग विभाग को कितना धन प्रतिवर्ष अनुदान एवं ऋण हेतु सरकार द्वारा दिया गया, यही मूल प्रश्न का मतलब है, माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री रऊफ जाफरी--- यों तो मैं भी यही समझा था जैसा कि जनाब ने फरमाया लेकिन जो लोन और ग्रांट्स का विभाग है उसके द्वारा भी १९,५०० रुपया उनको कर्ज दिया गया।

*४६-४७---श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---[हटा दिये गये।]

*४८---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४९-५१---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[हटा दिये गये।]

अमृतसर व इन्दौर के कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शनियों पर हैण्डीक्रैफ्ट्स योजना के अन्तर्गत व्यय

*५२---श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ तथा १९५७ में अमृतसर व इंदौर में हुये कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर आयोजित की गई प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने भाग लिया था ? यदि हां, तो प्रदेश की हैण्डीक्रैफ्ट्स योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले कुल कितने गजेटेड सरकारी कर्मचारी इन प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये भेजे गये।

श्री रऊफ जाफरी---(क) जी हां।

(ख) एक।

*५३---श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन प्रदर्शनियों में प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने कुल कितना रुपया व्यय किया ?

श्री रऊफ जाफरी---४६,८६४ रुपया ४८ नये पैसे।

*५४---श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स की अल्मोड़ा ऊन योजना से सम्बन्धित कर्मचारी भी इन नुमाइशों में कार्य करने के लिये भेजे गये ? यदि हां, तो कितने और उनके यात्रा के रूप में सरकार ने कुल कितना रुपया व्यय किया ?

श्री रऊफ जाफरी---(क) जी हां।

(ख) अमृतसर की प्रदर्शनी में दो तथा इन्दौर वाली में एक।

(ग) ५१२ रुपया ४८ नये पैसे।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा से जिन लोगों को इन्दौर और अमृतसर की प्रदर्शनी में भेजा गया था उनमें एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट प्रोडक्शन और कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट थे जिनको यात्रा भत्ता अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी---मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है, इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर से संबंधित, जिसमें यह कहा गया कि यात्रा भत्ते में ५१२ रु० ४८ नये पैसे का खर्चा किया गया है, तो जो राशि बतलायी गयी है उसमें देय धन सम्मिलित है या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---मैं तो समझता हूं इसमें कुल रकम शामिल है।

*५५—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—[ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस स्टेशन दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ से आय

*५६—श्री मक्खिनाथ राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ व १ जनवरी, सन् १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक बस स्टेशन दोहरीघाट जिला, आजमगढ़ से कितनी आमदनी हुई है ?

डाक्टर सीताराम—१ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक दोहरीघाट बस स्टेशन से ५७,६१८ रुपये साढ़े आठ आने की और १ जनवरी, सन् १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ६१,४२४ रुपये ८० नये पैसों की आमदनी हुई।

श्री मक्खिनाथ राय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट बस स्टेशन पर टिकट लेने वाले व्यक्तियों के लिये शेड और वेटिंग रूम की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

डाक्टर सीताराम—शेड तो बना हुआ है और एक १० रुपये का कमरा बुकिंग आफिस के लिये खुला हुआ है। यात्रियों को कोई तकलीफ होती हो, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं नहीं है।

श्री मक्खिनाथ राय—क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट बस स्टेशन पर शेड कब बनाया गया है ?

डाक्टर सीताराम—निश्चित तिथि बताना मेरे लिये कठिन है।

श्री मक्खिनाथ राय—मान्यवर, क्या सरकार को पूरा पता है कि वहां पर शेड बना हुआ है, या शेड नहीं है और यात्री धूप में टिकट लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर आपको ऐसी सूचना है तो सरकार के पास भेज दीजिये, वह उचित होगा। सरकार ने वही उत्तर दिया जो उन्हें विभाग से मालूम हुआ।

हसनपुर, जिला मुरादाबाद में बस स्टेशन बनाने का आयोजन

*५७—श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हसनपुर, जिला मुरादाबाद में रोडवेज का स्टेशन कब तक बन जायेगा ?

डाक्टर सीताराम—हसनपुर, जिला मुरादाबाद में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने की संभावना है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बस स्टेशन के लिये भूमि का प्रबन्ध हो गया है ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये कार्यवाही की जा रही है। जिनकी जमीन है, यानी आब्जेक्टर ने आब्जेक्शन किया है और वह ठीक हो जाने पर जमीन हस्तगत हो जायगी और उसके पश्चात् कार्यवाही पूरी हो जायगी।

श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्टेशन के लिये कितनी जमीन की जरूरत होगी—हसनपुर रोडवेज स्टेशन के लिये ?

डाक्टर सीताराम—·६५ एकड़।

श्री सुक्खन लाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस जमीन को लेने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सीताराम---यह तो प्रश्न में बतला दिया गया है कि कार्यवाही हो रही है।

श्री महम्मद हुसैन (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इसमें कुल कितना खर्चा करने जा रहे हैं?

डाक्टर सीताराम---अभी इसके लिये निश्चय नहीं हुआ है।

हरदोई जिले के दो अफसरों का तबादला रुकना

*५८---श्री बलकीराम (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई के कितने गजेटेड अफसरों के ट्रांसफर १९५८ में किये गये परन्तु जिलाधीश, हरदोई द्वारा अथवा अन्य प्रकार से उनके ट्रांसफर कैंसिल करवा दिये गये अथवा रोकवा दिये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५८ में अब तक १४ अफसरों के तबादले के आदेश जारी हुये। उनमें से २ आदेश राजस्व परिषद् द्वारा रद किये गये।

श्री बलाकीराम---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि कौन-कौन से आफिसर्स हैं जिनका ट्रांसफर रद कर दिया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दो तहसीलदार हैं। एक साहब का नाम है श्री सरजूलाल श्रीवास्तव और दूसरे का नाम है श्री ओंकार चन्द्र।

बलवन्त मोटर्स लिमिटेड, बरेली से मोटरें, बसें तथा स्टेशन वैगनें खरीदने के संबंध में जानकारी

*५९---श्री बीरसेन (जिला मेरठ)---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सरकार के विभिन्न विभागों के लिये तथा किस किस अधिकारी ने बलवन्त मोटर्स लि० बरेली से कितनी कितनी मोटरें बसें तथा स्टेशन वैगनें किस-किस मूल्य तथा किन शर्तों (terms) पर खरीदीं?

*६०---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बलवन्त मोटर्स लि० बरेली द्वारा किस किस सरकारी विभाग को मोटर पार्ट्स सप्लाई किये गये तथा सप्लाई के संविदाओं (contracts) की शरायत (terms) क्या थीं?

*६१---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खरीदों (purchases) के लिये टेंडर मांगे गये थे? यदि हां, तो निम्नतर टेंडर किसके थे?

डाक्टर सीताराम---सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए खोले गये पर्यटक केन्द्र

*६२---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में पर्यटक संस्थान की ओर से कितनी समितियां स्थापित हैं और संस्थान की तरफ से पर्यटकों को क्या सुविधा दी जाती है?

श्री सुल्तान आलम खां---पर्यटक संस्थान की ओर से कोई समितियां नहीं बनाई गई हैं। संस्थान द्वारा पर्यटकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं इसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८८ पर)

*६३---श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ में कितने पर्यटक लोग नैनीताल, कौशाम्बी, रानीखेत, बद्री नारायण और केदारनाथ, मन्सूरी आगरा, श्रावस्ती पधारे?

श्री सुल्तान आलम खां—इन स्थानों पर पधारने वाले पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है:—

१—नैनीताल	..	..	९०,०००
२—कौशाम्बी	..	..	४३३
३—रानीखेत	..	..	९,८८७
४—बद्रीनाथ	..	..	८१,५१९
५—केदारनाथ	..	..	६२,०००
६—मंसूरी	..	..	१,५३,२६५
७—आगरा	..	..	१,६९८
८—श्रावस्ती	..	..	७३५

*६४—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक कितने पर्यटक नैनीताल, कौशाम्बी, रानीखेत, श्रावस्ती, आगरा में विदेश से आये और कितने लोग देश के पधारे ? उनकी प्रत्येक स्थानों में अलग अलग संख्या क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्राप्त सूचना के आधार पर इन पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

		देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
१—नैनीताल ..	..	६७,०००	३२८
२—कौशाम्बी ..	..	३११	५
३—रानीखेत ..	..	१५,३५५	३२
४—श्रावस्ती ..	..	२	३०५
५—आगरा ..	..	३,३६३	४,८९६

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पर्यटकों के आवास-गृह के लिये वह क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इनकी सुविधा के लिये सरकार ने टूरिस्ट सेंटर्स खोले हैं। सब-सेंटर्स और रिसेप्शन सेंटर्स खोले हैं जहां उनको हर तरह की सुविधा दी जाती है। उनके लिये सवारी का प्रबंध किया जाता है। जगह ब जगह नोटिस बोर्ड्स लगा दिये गये हैं। लोअर इकम ग्रुप होस्टल्स भी बनाये जा रहे हैं और इस तरह से जितनी भी सुविधा पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रानीखेत में एक जगह पर्यटकों की संख्या १५ हजार दी हुई है और दूसरी जगह ९ हजार दी हुई है तो कौन सा सही आंकड़ा है और कौन सा गलत ?

श्री अध्यक्ष—पहले आपने इसमें सन् ५७ के लिये पूछा है और फिर दूसरी जगह १ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक के लिये पूछा है। इसमें कौन सा सही प्रश्न है आपका ?

श्री गंगाप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है लेकिन श्रावस्ती में जो ३०५ आदमी आये हैं उनके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से मुल्कों से आये हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह तो मेरे लिये कहना मुश्किल होगा कि यह ३०५ आदमी किस किस मुल्क से आये लेकिन यह सब विदेशी थे।

श्री गंगाप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रावस्ती का जो सेंटर बलरामपुर में खोला गया है वहां के पर्यटक अधिकारी का क्या काम है और क्या यह सही है कि वहां के पर्यटक अधिकारी श्रावस्ती नहीं जाते हैं और बलरामपुर में ही बने रहते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने अभी बतला दिया कि यह सेंटर पर्यटकों की सुविधा के लिये खोले गये हैं और ऐसी शिकायत नहीं आई है कि वहां के पर्यटक अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से अंजाम नहीं देते हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कोई समिति नहीं बनाई गयी है तो क्या कोई सरकारी एजेंसी है जो स्वागत और सत्कार का कार्य करती है ? यदि हां, तो कौन एजेंसी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—सरकारी स्टाफ ही इस काम की निगरानी करता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छात्र पर्यटकों के लिये खास व्यवस्था की गई है ?

श्री सुल्तान आलम खां—खाने का इंतजाम तो खुद करना पड़ता है लेकिन ठहरने, सवारी का इंतजाम तथा अन्य सुविधायें जो दी जा सकती हैं वह बराबर दी जाती हैं। लेकिन खाने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा।

मिलिटरी कालेज, देहरादून में टेहरी गढ़वाल जिले के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित स्थान रखने की प्रार्थना

*६५—श्रीमती विनय लक्ष्मी समन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार जिला टेहरी गढ़वाल के विलीनीकरण के पूर्व की भांति इस जिले के अभ्यर्थियों के लिये मिलोटरी कालेज देहरादून मे कुछ स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विलीनीकरण के पूर्व टेहरी गढ़वाल स्टेट फोर्सेज में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिये मिलिटरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की आवश्यकता थी। रियासत के विलीनीकरण हो जाने पर टेहरी गढ़वाल स्टेट फोर्सेज खत्म हो गये और इस कारण अब प्रश्न में कहे गये सुरक्षण का सवाल नहीं उठता।

श्रीमती विनय लक्ष्मी समन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को ट्रेनिंग की सर्विस से रोजी मिलती थी वह बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिये वह कुछ व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शुरू में एक दो आदमियों को ट्रेनिंग मिली होगी तो जब टेहरी स्टेट समाप्त हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका समझौता हुआ होगा जिससे वह कहीं न कहीं ले लिये गये होंगे या पेंशन को कहा होगा। इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है।

श्री माताप्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कालेज में हरिजनों के लिये भी स्थान सुरक्षित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, किसी जाति विशेष के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

*६६-६७—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये।]

*६८—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

*६९—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[हटा दिया गया।]

*७०-७१—श्री खूबसिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७२—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया।]

*७३—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया।]

*७४—श्री भजन लाल [हटा दिया गया।]

*७५—श्री राजेन्द्र सिंह—[हटा दिया गया।]

हरदोई जिले में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत बीज का वितरण

*७६—श्री बुलाकी राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में चालू वर्ष में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत कितना और कौन-कौन उन्नतिशील खरीफ सीड किन-किन गांवों को दिया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—खरीफ सीड जो गांवों को बांटा गया उसकी सूची† माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है। किन-किन गांवों को दिया गया उसकी सूचना प्राप्त नहीं है।

*७७—श्री बुलाकी राम—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत हरदोई जिले में कौन-कौन सी अतिरिक्त खरीफ की फसलें कितनी और किन-किन गांवों में सरकारी प्रयास से उगवाई गईं ?

श्री सुल्तान आलम खां—गहरे पानी में उगने वाला धान १०० मन बोने के लिये बांटा गया। ११ मन टेगाकिया जाति का मक्का का बीज भी बांटा गया। किन-किन गांवों को दिया गया इसकी सूचना प्राप्त नहीं है।

*७८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[इसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई के लिए मैसनरी वेल्स बनाने का सुझाव

*७९—श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आबपाशी के लिये कोई Community masonry wells बनाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या मंत्री जी प्रदेश के उन भागों में जहां सरकारी ट्यूबेल्स असफल रहे हैं वहां कम्युनिटी मैसोनरी वेल्स बनाने की स्कीम पर विचार करने कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैसोनरी वेल्स बनाने का प्रोग्राम है और इसके मुताल्लिक जांच भी की गई थी और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वहां यह कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिये ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिनके तहत वह इस नतीजे पर पहुंची कि यह योजना असफल रहेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस किस्म के मैसोनरी वेल्स बनाने की कीमत बहुत ज्यादा होगी और सरकार के पास रुपया बहुत ज्यादा महदूद मिकदार में है। इसलिये मुनासिब नहीं मालूम होता है कि इस स्कीम को चालू किया जाय।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैसोनरी वेल्स बनाने में सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिलेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—एक ट्यूबेल पर १०,००० रुपये तक तकावी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—वह मैसोनरी वेल्स के बारे में पूछ रहे हैं।

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तकावी किसानों को कुयें बनाने के लिये दी जायगी उनमें से उनको कुछ छूट भी होने वाली है?

श्री अध्यक्ष—इसमें यह प्रश्न था नहीं। बीच में मैंने इजाजत दे दी। जब मंत्री जी उसके लिये भी नोटिस चाहते हैं, तो आप उसका ब्योरा नहीं पूछ सकते हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस समय मैसोनरी वेल्स के लिये प्रदेश भर में कितनी एलोकेशंस पेंडिंग हैं और उनको रबी की फसल से पहले डिस्पोज आफ करने की कृपा करेंगे जिससे रबी की फसल में वे कुयें काम आ सकें?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी तादाद बताना तो मेरे लिये बहुत मुश्किल है। लेकिन नेशनल वेल्थ बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है कर रही है। अगर इसकी सूचना चाहते हैं तो नोटिस की जरूरत होगी।

सहकारी ओपेन पैन शुगर फैक्टरियों की स्थापना

*८०—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अब तक कितनी सहकारी ओपेन पैन शुगर फैक्ट्री कायम की जा चुकी हैं?

श्री रऊफ जाफरी—चार।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह की फैक्ट्रियों को कितना रुपया कर्जा और कितना सब्सिडी के रूप में दिया गया है?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फैक्टरियों में अगर कोई हानि होती है तो उस हानि की सरकार कितने समय तक पूर्ति करेगी या नहीं भी करेगी?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं। उसकी हानि की पूर्ति करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अव्वल तो हानि की बहुत कम गुंजाइश है। जहां तक इत्तला है वह यह है कि जितनी फैक्टरियां हैं काफी फायदे से चल रही हैं और अगर हानि होगी तो वह कोआपरेटिव बर्दाश्त करेगी।

श्री माता प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चारों फैक्ट्रियां प्रदेश में किन किन स्थानों पर हैं?

श्री रऊफ जाफरी—एक घोसी आजमगढ़ में, दूसरी देवकली गाजीपुर में, तीसरी बीसलपुर पीलीभीत में और चौथी बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में है।

श्री महेश लाल—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी के हिसाब से कोई ऐसी जानकारी है कि इनमें से किस-किस फैक्टरी को कितना फायदा हुआ है?

श्री रऊफ जाफरी—उनका अलग-अलग हिसाब तो मालूम नहीं है लेकिन यह मालूम है कि यह फैक्टरियां काफी फायदे से चल रही हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट ओपेन पैन शुगर फैक्टरीज को लगाने के लिये जो सरकार टेक्निकल सहायता देती थी उसको अभी हाल ही में बन्द कर दिया गया है?

श्री रऊफ जाफरी---नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि सहकारी ओपेन पैन फैक्टरीज को कितनी धनराशि तकावी, कर्ज तथा सबसिडी के रूप में देने की व्यवस्था है ?

श्री रऊफ जाफरी---आमतौर पर तरीका यह है कि अगर ४० हजार रुपया जमा कर लिया है तो उसको ६० हजार रुपये तक दिया जाता है। मगर हर एक को कितना दिया गया और कितना हुआ इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि ओपेन पैन शुगर फैक्ट्री को उसी क्षेत्र में कायम किया जाय जहां पर शुगर फैक्ट्री नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, होना चाहिये। जैसा कि एक प्रश्न हुआ था कि खंडसारी को सहायता बन्द कर दी गई तो उस समय भी यही बतलाया था कि सहायता देने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो फैक्ट्री क्षेत्र है उसके अन्दर खंडसारी भी न रखें। इसी प्रकार से हमारा प्रयत्न यह होगा कि ओपेन पैन शुगर फैक्ट्री भी किसी फैक्ट्री के क्षेत्र के अन्दर न हो।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बतलायेगी कि सरकार की ओर से इस प्रकार की फैक्ट्री को लगाने में टेक्निकल सलाह देने की भी व्यवस्था होती है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विषय में सरकार कोई निश्चय कर चुकी है कि ओपेन पैन शुगर फैक्ट्री मिल एरिया में न लगाये, क्या यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस सिलसिले में जैसा मैंने अर्ज किया कि डिसीजन की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास वह आता है तो उसको सहायता देते वक्त उस स्थान को देखा जाता है कि वह उपयुक्त है या नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---[हटा दिया गया।]

२---श्री भजनलाल---[हटा दिया गया।]

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं सदन को कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना दे देना चाहता हूं जो इस प्रकार है---

श्री गयूरअली खां (मुजफ्फर नगर) २४ सितम्बर, ५८ को दफा ११७, १५३ इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

श्री छत्तरसिंह (बुलन्दशहर) २३ सितम्बर, ५८ को धारा १८८ इंडियन पेनल कोड,

श्री बिहारीलाल (पीलीभीत) २४ सितम्बर, ५८ को धारा १४३ इंडियन पेनल कोड,

श्री बुद्धी सिंह (मुरादाबाद) २४ सितम्बर, ५८ को धारा १८८ इंडियन पेनल कोड,

श्री अवधेशकुमार सिनहा (सीतापुर) २४ सितम्बर, ५८ को धारा १८८ इंडियन पेनल कोड,

श्री मूलचन्द (सीतापुर) २४ सितम्बर, ५८ को धारा १८८ इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८*

परिवहन मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---मैं उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

**पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री राम स्वरूप यादव)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग का विज्ञप्ति संख्या ८१-प/३३-१९९-५६, दिनांक २४ जनवरी, १९५८ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

‡वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)-मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है. वह कल शाम को यहां सदन की मेज पर रखा गया है। अब इसके लिये संशोधन देने के लिये न तो ३६ घंटे का समय मिलता है और न तीन दिन की अवधि पूरी होती है, तो क्या ऐसी स्थिति में इस पर विचार किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---ऐसा किसी खास परिस्थिति में मेरी अनुमति से ही हो सकता है लेकिन अगर मैं उनको अनुमति दे रहा हूं तो उस के साथ साथ और सदस्यों को भी संशोधन उपस्थित करने के लिये निश्चित समय के अंदर ही, इजाजत होगी। वह चाहें तो आज शाम तक अपने अपने संशोधन दे दें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे प्रस्ताव से जाहिर है, जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५० में कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया अतएव यह विधेयक तैयार किया गया और विधान परिषद् में पेश किया गया। वहां दो, तीन दिन विचार करने के बाद कुछ संशोधनों के साथ यह वहां से पारित हुआ। अब अध्यक्ष महोदय, इसको मैंने इस सदन के सामने विचार के लिये पेश किया है।

इसमें जो मोटे-मोटे संशोधन हैं उनकी मैं आपकी इजाजत से व्याख्या किये देता हूं ताकि माननीय मित्रों को बहस करने में आसानी हो जाय। पहला बड़ा संशोधन तो यह किया जा रहा है कि अबतक हमारे यहां कानून में पुनर्वासन अनुदान का प्रार्थना-पत्र देने के लिये कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। ६९ करोड़ रुपये के करीब तो प्रतिकर तय हुआ है और लगभग उतनी ही रकम ६८ या ७० करोड़ रुपया पुनर्वासन अनुदान की बैठेगी। तो उसके

---

*छापी नहीं गयी।

**छापे नहीं गये।

†२४-९-५८ की कार्यवाही में छपा है।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये दरख्वास्त देनी जरूरी है किसी इंटरमीडियेरी को । भूतपूर्व मध्यवर्ती के लिये दरख्वास्त देना जरूरी है । कंपेंसेशन तैयार करने के लिये दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं थी । क्यों ? इसलिये कि कंपेंसेशन जो पक्की आय है, नेट असेट्स किसी जमींदारी की, उसका आठ गुना होता था । उसका मल्टीपुल एक फिक्स्ड मल्टीपुल था । जमींदार छोटा हो या बड़ा । लिहाजा हर तहसील के एस० डी० ओ० ने अपने यहां कागजात में जिस-जिस मध्यवर्ती की जितनी जायदाद दर्ज थी उस के आधार पर नेट असेट्स निकाल कर नोटिस वगैरह देकर और नेट असेट्स का आठ गुना करके कंपेंसेशन तैयार कर दिया । तो हमारे अफसरों की जिम्मेदारी थी कंपेंसेशन तैयार करने की । लेकिन मध्यवर्तियों की रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट है १ गुने से २० गुने तक और उसका गुणक इस पर निर्भर करता है कि उसकी मालगुजारी कितनी थी । मसलन्, २५ रुपये तक मालगुजारी जो मध्यवर्ती देता था उसकी पक्की आय का २० गुना है । २५ से ५० रुपये की मालगुजारी वाले का १७ गुना, ५० से १०० रुपये तक मालगुजारी वाले का १० गुना और ५,००० से १०,००० रुपये तक मालगुजारी जो देता था उसके १ गुना और १०,००० रुपये से ऊपर वाले को कुछ नहीं । और यह माजगुजारी देखी गई उसकी सारे सूबे की । एक जमींदार की जायदाद एक ही तहसील या जिले में न होकर सारे सूबे में हो सकती थी । कोई इसका रेकार्ड नहीं होता है और इसलिये इसका इल्म गवर्नमेंट को नहीं होता है कि किसी जमींदार की सारे सूबे में कितनी जायदाद है । इसलिये हमने यह कहा कि जमींदार दरख्वास्त खुद दें और अपने सब मुआवजों की फेहरिस्त दाखिल कर जिससे मालूम होजाय कि उसकी माजगुजारी कितनी थी और उसके आधार पर एस० डी० ओ० या दूसरा सम्बन्धित अधिकारी उसकी रीहबीलीटेशन ग्रान्ट तय करता था । अभी तक, ३१ जुलाई तक, जो दरख्वास्तें रिहैबीलीटेशन ग्रान्ट की पड़ी हैं वे हैं ३,३७,००० जबकि पड़ेंगी ६९,००,००० के क़रीब । जिन मध्यवर्तियों के कागजात में नाम दर्ज हैं वे करीब ६९,००,००० हैं यद्यपि एक-एक का नाम कितनी जगह भी हो सकता है और है । परन्तु यदि दरख्वास्तें इसी मन्द गति से पड़ती रहीं तो हो सकता है कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट तय करने के लिये या उसका बान्ड बनाने में या ५० रुपये तक नकद वालों को बेबाक करने में १०, २० वर्ष लग जावें । इसलिय अब यह किया जा रहा है कि जिस दिन प्रतिकर तय होता है उसके ३ साल के अन्दर वह दरख्वास्त द दे या जब यह संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाय, अमल में आ जाय, उसके ३ साल के अन्दर दरख्वास्त देना लाजमी है, जो भी तारीख बाद में पड़े उससे । पौने सौ फीसदी आदमियों का प्रतिकर तय हो चुका है । ६९,००,००,००० रुपये के करीब प्रतिकर बैठता है और ५९,००,००,००० के करीब नकद और दस्तावेजों की शक्ल में अदा किया जा चुका है । पौने सौ परसेंन्ट का फाइनल होकर .२५ फीसदी ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों ने अपील की हुई है लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने दावा कर दिया कि खेवट में इनका नाम नहीं था और हमको प्रतिकर मिलना चाहिये । तो जब प्रतिकर डिटरमिन हो जाय उसके ३ साल के अन्दर या मुकदमेबाजी खतम होने के ३ साल के अन्दर लाजमी होगा अपनी रिहैबीलीटेशन ग्रान्ट तय कराने के लिये दरख्वास्त देना । एक संशोधन यह हुआ ।

दूसरा बड़ा संशोधन यह है कि इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट के १६०० मुकदमे पड़े हुये हैं । जब जमींदारी अबालीशन का काम लिया गया तो वे मुकदमे अदालतों में चल रहे थे और वे रोक दिये गये थे । इनकम्बर्ड एस्टेटस ऐक्ट ३४ या ३५, मुझे ठीक सन् याद नहीं है, उसके मातहत मुकदमें पड़े हुये हैं । जमींदारी की कीमत कम हो रही थी, हम बाजार क दाम नहीं दे रहे थे बल्कि ईक्वीटेबिल कम्पेंसेशन दे रहे थे, तो जमींदारों का नुकसान हो रहा था, इसलिये इनकम्बर्ड ऐस्टेट्स की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया कि कहीं पुराने जमींदारों को नुकसान न हो जाय । उसके बाद डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, यानी भूतपूर्व जमींदारों का कर्जा कम करने का कानून पास किया और इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट की प्रोसीडिंग्स को खोल दिया । कुछ मुकदमे उसमें तय हो गये । लेकिन अब यह कठिनाई आ रही है कि रिहबिलिटेशन ग्रान्ट तैयार करने के लिये दरख्वास्त दे डेटर, लेकिन वह नहीं देता है क्योंकि वह जानता है कि

[श्री चरणसिंह]

रुपया ले जायगा क्रेडिटर। तो हम अख्तियार दे रहे हैं कि क्रेडिटर या कलेक्टर उस भूतपूर्व मध्यवर्ती की तरफ से जो कि डेटर है, दरख्वास्त दे दे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट अफसर के यहां ताकि इनकम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट की प्रोसीडिंग्स से जितना रुपया उसका निकलता है वह लेले और ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो जावें।

तीसरा बड़ा संशोधन है क्लाज ९ के जरिये, कि भूमि प्रबन्धक कमेटी एक स्वतंत्र बाडी होगी। इसका इलेक्शन गांव पंचायत की ओर से होगा, गांव पंचायत उसका इलेक्टोरल कालेज होगी। कितने सदस्य वगैरह उसमें रखे जावेंगे, यह रूल्स से तय होगा। लैन्ड पंचायत एक बड़ी बाडी होती है, उसके इन्तजाम करने में कुछ दिक्कतें पेश आई थीं। तो एक संशोधन यह किया जा रहा है।

इसके अलावा, उस संशोधन के फलस्वरूप दूसरा संशोधन भूमि प्रबन्धक कमेटी के बारे में यह है कि वह मैनेजमेन्ट की सीधी जिम्मेदारी होगी बजाय गांव सभा के मारफत होने के। जो अब तक उसके सेक्शन्स थे वे निकाले जा रहे हैं।

लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की अयोग्यतायें जो कि आम तौर पर डिस्ट्रिक्ट या म्युनिसिपल बोर्ड में होती हैं, वे खण्ड १३ में हैं। मसलन्, कोई सदस्य जायदाद नहीं खरीद सकेगा गांव की, या पट्टा नहीं ले सकेगा या लाइसेंस नहीं लेगा, इस खयाल से कि वह अपनी पोजीशन का फायदा न उठाने पावे। एक बड़ी दिक्कत महकमे माल को यह आ रही थी कि गांव समाज के पास जो जायदाद थी उसके सिलसिले में उसे मुकदमेबाजी करनी पड़ती थी। बहुत से गांव समाजों के पास पैसा नहीं था, अगर उसके पास जायदाद कम है तो आमदनी भी नहीं होती थी। कुछ गांव समाज ऐसे हैं जिनको तालाब में सिंघाई या मछली डालने से, बाजार लगाने से, पशुओं के मेले लगाने से या दरख्त बेचने से या नदी के पास जमीन लगान पर उठाने से या और किसी जरिये से आमदनी है लेकिन कुछ के पास नहीं है। अब १ लाख रुपया सालाना गांव समाज के लिटिगेशन को फाइनेंस करने के लिये दिया जा रहा है। वह रुपया भी नाकाफी साबित होता है लेकिन वह करें भी तो क्या करें। यह भी ठीक है कि जो भी उसमें खर्च करना होगा वह गांव समाज को ही करना होगा। अब हमारा भूमि प्रबन्धक कमेटी का जो प्रेसीडेंट है क्या वह अपने पास से रुपया दे? वह तो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव है, वह परेशानी उठाये, गवाही इकट्ठा करे., सबूत दे, पैरवी करे और रुपया भी क्या अपने पास से खर्च करे? लेकिन अगर पैरवी नहीं करता तो खिलाफ कानून जो कार्यवाही हो रही है, वह कैसे रुके? जो पब्लिक लैंड है उसकी रक्षा कैसे हो? यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में ३ साल से था लेकिन बहुत सोचने और विचारने के बाद अब उसने यह शक्ल ली कि हर जिले में एक कान्सोलिडेटेड फंड बनाया जाय और हर गांव-समाज ख्वाह उसकी आमदनी कम हो या ज्यादा हो, उसमें अपनी आमदनी का १५ प्रतिशत कन्ट्रीब्यूट करे। इसी कन्ट्रीब्यूशन से गांव समाजों की जायदादों की रक्षा की जायगी। इसका मतलब यह होगा कि जिन गांव समाजों के पास अच्छी आमदनी होगी उनसे इस फंड में रुपया आ जायगा और जिनके पास कम आमदनी है लेकिन जिनकी जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा हो रहा है, उसकी भी रक्षा हो सकेगी? यह बेजा भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो भी जमीन है वह सब गवर्नमेंट की है और अगर सरकार उसकी रक्षा के लिये उनसे कुछ पैसा लेती है तो यह अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उससे तो उस जमीन की ही रक्षा होने वाली है जो दूसरे गांव समाजों के पास है, जिनके पास सिंघाड़े, मछली अथवा लकड़ी आदि की आमदनी नहीं होती उनकी जमीन की भी रक्षा हो सकेगी।

एक संशोधन इस में यह भी किया जा रहा है क्लाज १६ के जरिये धारा २५-क बढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दरअसल इसके द्वारा हम एक नया एक्सपेरीमेंट ही कर रहे हैं। हमने इतनी बड़ी जायदाद गांव समाज को दे दी है और कांस्टीट्यूशन हमारा डेमोक्रेटिक है। अगर कोई उस पर कब्जा कर

लेता है तो उस पर मुकदमा दायर किया जायगा, फिर अपील होगी । दूसरी ओर गांव समाज वालों में अभी वह कांशसनेस डेवलप नहीं हुई है कि वह ऐसी दिक्कतों का सुचारुरूप से मुकाबला कर सकें । उनकी तो बात जाने दीजिये, वे तो नयी संस्थायें हैं, म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का भी प्रबंध उतने सुचारुरूप से नहीं चलता है जैसा कि चलना चाहिये । गांव समाजें तो नयी हैं वहां तो एक्सपेरीमेंट की गुंजाइश है, अभी वहां सोशल कांशसनेस नहीं हो पायी है । कहने का मतलब यह है कि हमने उनको इतने अधिकार दे दिये हैं कि वे उनको संभाल नहीं पा रहेहैं । लेकिन हम भी क्या करते ? हमारे सामने केवल दो ही रास्ते थे जमीदारों से जमीन को ले लेने के बाद हमने जिसके पास खेत थे उसको खेत दे दिये, जिसके पास कुआ था, उसको कुआ दे दिया, जिसके पास मकान थे उसको मकान दे दिये लेकिन जो ऐसी लैंड थी जो सबके उपयोग में आने की थी, उसका क्या करते ? उसको हमने गांव समाज को दे दिया । उसका और इलाज ही क्या था ? क्या उसको कलेक्टर को देते ? अगर कलेक्टर को देते तो वह उसके प्रबंध करने का अधिकार तहसीलदार को, तहसीलदार नायब तहसीलदार को, वह कानूनगो को और कानूनगो लेखपाल को देता, क्योंकि कलेक्टर २–२ हजार गांवों का प्रबन्ध तो कर नहीं सकता था । और गोरखपुर तथा बस्ती में तो ६–६, ७–७ हजार गांव हैं । अब लेखपाल इतना गरीब आदमी कि वह क्या करता ? लेखपाल को मैं इतना गड़बड़ आदमी तो नहीं मानता जितना मेरे और भाई मानते हैं लेकिन वह कितना ही अच्छा आदमी क्यों न हो लेकिन अगर वह इस प्रकार से जमींदार की जगह ले लेता तो वह मुनासिब नहीं होता । लैंड रिकर्ड्स उसके पास हो गये और मैनेजमेंट का काम उसके पास हो गया तो बड़ी भारी पावर्स उसके पाई हो जायेंगी, फिर डेमोक्रेसी के पनपने की गुंजायश उसमें कहातक रहेगी ? इसलिये जो दूसरा आल्टरनेटिव था वही इसमें किया गया है । हमने उसको विलेज कम्यूनिटी को दे दिया क्योंकि जमीन के मालिक तो सारे लोग हैं । हम तो सिर्फ उनकी तरफ से यहां पर काम करते हैं ? अब कठिनाई यह है कि न उनमें उतना एक्सपीरियेंस हैं, न उतनी पबलिक स्पिरिट है और न उतनी एजुकेशन है । अब हमने पालिसी यह रखी है कि पूरे अधिकार विलेज कम्यूनिटी को हों । अगर विलेज कम्यूनिटी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है तब इंटरवीन करता है रेविन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन । यह हमने बीच की चीज निकाली है । वरना अगर आइडियल स्टेट आफ थिंग्ज हों तो रेविन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन और लेखपाल से कोई वास्ता नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)——इसका सेक्रेटरी कौन होगा ?

श्री चरणसिंह—हमारे मित्र मुक्तिनाथ राय जी जानना चाहते हैं कि इसका सेक्रेटरी कौन हो ? हमारी शिकायत यही तो अपने मित्रों से है कि उनको क्यों नहीं पता है । जो अब तक था वही है इसका सेक्रेटरी । मुझे माफ किया जाय यही तो मेरी शिकायत है और सभी सदस्यों से बहुत हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि अगर अपने अपने हलके में जाकर मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेचर्स गांव समाज मैनुअल के अनुसार लोगों के अधिकार और कर्त्तव्य का प्रचार कर डालें तो इससे बेहतर जन-सम्पर्क का और कोई दूसरा उपाय नहीं है और लोगों में इससे बड़ी पबलिक कांशसनेस आ जायगी और पबलिक स्पिरिट पैदा हो जायगी ।

हां, तो मैं इस सिलसिले में कह रहा था कि किसी आदमी ने गांव समाज पर दावा दायर कर दिया, गांव समाज के चेयरमैन से साजिश करके या गांव समाज सभापति से मिल करके और दावा एकतरफा डिक्री हो गया और कलेक्टर की नोटिस में भी नहीं आया । हमने कर रखा है कि अगर फैसला हो तो एस० डी० ओ० या तहसीलदार की मरजी से करे, गांव समाज की जायदाद के मुताल्लिक । लेकिन इस तरह से सभापति कुछ करे वह अधिकारियों की नोटिस में आती ही नहीं, तो क्या है ? तो अब हम यह कर रहे हैं कि गांव समाज की तरफ से जो पैनल लाइअर्स हैं पैरवी करने वाले उनको हमने एजेंट बना दिया है गांव समाज का कि गांव समाज के बिहाफ पर नोटिस का सम्मन भी ले सकता है और उसके बिहाफ पर ऐक्ट भी कर सकता है । तो मतलब यह है कि जब तामील होगा पैनल आफ लाइअर्स पर

[श्री चरणसिंह]

तो उसके इल्म में होगा। और इस हालत में जो गांव समाज के सभापति एकतरफा आर्डर्स डिक्री करा लेते हैं वह नहीं हो सकेगा और कम से कम अफसरान की नोटिस में आयेगा। अगर क्लाज २० माननीय सदस्य देखेंगे तो उनकी समझ में यह बात आ जायगी।

इसमें एक दफा १३२ है जमींदारी ऐबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स बिल की। उसमें वह जायदादें गिनायी हुई हैं जिसमें सीरदारी का अधिकार किस आदमी को हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन अभी उसमें कुछ कमी है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जिसमें सीरदारी का अधिकार नहीं होना चाहिये और उसमें काश्तकार परमानेंट राइट्स ऐक्ट नहीं करता है। वह हम गिना रहे हैं जो हम दफा १३२ में संशोधन करने जा रहे हैं। वह जमीन जो हस्तगत की जाय या जो किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास है या उसकी अथारिटी के पास है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये (land acquired or held for public purpose) ऐसी जमीन बाग वगैरह गांव समाज ने अगर ले ली है और उसको किसी की परवरिश के लिये दे दिया है तो उस पर किसी का अधिकार नहीं है।

इसके अलावा, जो "मिलिटरी ऐंड कैम्पिंग ग्राउंड्स" हैं यानी फौजी पड़ाव के लिये जो जमीनें हैं, उसको बीच में मिलिटरी अथारिटीज ने, खाली पड़ी हुई हैं और पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, काश्त करने के लिये किसी को दे दी है तो उसमें कोई परमानेंट राइट्स उसको नहीं होंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रेलवे लाइन जो जाती है उसके दोनों तरफ जमीन पड़ी रहती है या नहर की पटरी कहीं कहीं चौड़ी होती है, तो नहर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से रेलवे लाइन की जमीन काश्तकार को दी जाय, तो जितनी मुद्दत के लिये जमीन दी जाय उतनी ही मुद्दत तक उसमें काश्त कर सकता है, वह उसमें सीरदारी का क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह कैंटूनमेंट एरिया के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कैंटूनमेंट मैनेजमेंट ऐक्ट बना हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। तो कैंटूनमेंट एरिया की जमीन जो मिलिटरी के लिये होती है अगर काश्तकारी के लिये ली जाय तो वह काश्तकार उस पर उन लिमिट्स के अन्दर ही काबिज रहेगा, उसका उस पर परमानेंट अधिकार नहीं हो सकता।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं म्युनिसिपैलटी के गन्दे नाले का पानी जमा किया जाता है और किसी किसी जगह नाइट स्वायल यानी शहर के रहने वालों के जो मलमूत्र होते हैं वे जमा किये जाते हैं और म्युनिसपैलिटी उस जमीन की मालिक है, तो उस जमीन का ऐसा है कि अगर जमीन काफी है तो एक हिस्से में यह काम हो रहा है और दूसरे हिस्से में जमीन खाली पड़ी हुई है, तो अगर किसी काश्तकार को म्युनिसिपैलिटी वह जमीन दे दे तो उस जमीन में भी काश्तकार का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी तरह से टाउन एम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास जमीन है या म्युनिसिपैलिटी के पास जमीन है, यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट की धारा ८ (अ), (इ) के मातहत जो जमीन है और जो कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट के मातहत सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जमीन है जिसे किसानों से लेकर गांव समाज को दे दिया गया है और जिसे हमने कल परसों समझाने की कोशिश भी की थी कि अगर वह जमीन काश्तकार को काश्त के लिये दी जाती है तो उस पर उसका मुस्तकिल अधिकार नहीं होगा।

इसी तरह से नजूल की जमीन, म्युनिसिपैलिटी वगैरह को जो गवर्नमेंट ने दिया है, मसलन इलाहाबाद, फैजाबाद में करीब-करीब सब जगह है, वह गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट के मातहत जमीन दी जाती है। अब तक का जो इंटरप्रिटेशन था, जिस एजम्पशन से काम हो रहा था वह यह था कि गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट के मातहत जो जमीन काश्तकारों को काश्त के लिये दी जायगी उस पर उसका मुस्तकिल राइट नहीं होगा, जिस वक्त मुद्दत खत्म हो जायगी या शरायतें पूरी हो जायेंगी तो वह उस जमीन से बेदखल हो जायगा लेकिन अभी फैजाबाद के आनन्द मुराव का एक केस हाईकोर्ट में गया था जिसे फैजाबाद के कलेक्टर ने कुछ मुद्दत के लिये जमीन

दे दी थी उसके लिये हाईकोर्ट ने यह कहा कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत इसका इस जमीन पर हेरिडिटरी राइट हो गया जिस तरह से और किसी जमीन पर कुछ मुद्दत तक काश्त करने से काश्तकार का हेरिडिटरी राइट हो जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट के मातहत यह नान-आकुपेंसी टिनेंट नहीं करार दिया जा सकता। तो हम यह संशोधन करने जा रहे हैं कि यह क्लाज २५ जो है, इसमें हम धारा १३३ (क) जोड़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो जमीन इस तरह से दी जायगी तो उसके जो टर्म्स या कंट्रैक्ट के शरायत होंगे उन्हीं के मुताबिक उसे अधिकार हासिल होगा, उसके ऊपर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट नहीं नाफिज होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब यह लगान का दसगुना देकर १९४९ में भूमिधर बनने की स्कीम बनायी गयी थी तो हमारी कोशिश यह होती थी कि जितने भूमिधर बन जायं उतना ही अच्छा। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरी अपनी राय से उससे जमींदारों का भी फायदा होता कि उनको नकदी मुआवजा मिल गया होता और गवर्नमेन्ट का फायदा यह होता कि वह बुक कीपिंग से बच जाती कि ४० साल का बांड देंगे या पेमेंट होगा, या यह होगा, वह होगा। इसके अलावा किसानों का भी यह फायदा होता कि उनका लगान हमेशा के लिये आधा हो जाता। खैर, अब हमारे यहां तो यह है कि आपोजीशन, अपोजीशन की खातिर की जाय। कुछ लोगों ने अपोजीशन किया। लेकिन आपोजीशन का तो ज्यादा असर नहीं पड़ा। हुआ यह कि प्रकृति हमसे कुपित हो गई और २ अक्तूबर सन् ४९ से हमने स्कीम को शुरू किया। ३० जून सन् ५० तक तो सारे सूबे में चला जिसमें कि २५ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। बस, ५० में फिर पूरब के कुछ जिलों में वर्षा नहीं हुई। ३१ दिसम्बर तक १३ जिले पूरब के हमने छोड़ दिये। ५१ में १० जिले और अफेक्टेड हो गये। २३ जिले हमें छोड़ने पड़े। सन् ५१ के बाद हमने स्कीम बन्द कर दी। ३३-३४ करोड़ रुपया केवल इकट्ठा हुआ। १७-१८ परसेंट जमीन तो जमींदारों की थी जिसके वह भूमिधर हो गये और १७-१८ परसेंट जमीन ऐसी थी जिस पर पुराने काश्तकार भूमिधर हुये। इस तरह से कुल ३२-३३ परसेंट कल्टीवेटेड एरिया में ही लोग भूमिधर हो पाये। बाकी सीरदार हुये। सब भूमिधर बन जाते तो लगान आधा होता। खैर, अब मैं और उसके कारणों में नहीं जाना चाहता कि क्यों रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। उस वक्त लोगों को यह भी था कि गवर्नमेन्ट को क्या गरज पड़ी है, तो हमने भी कहा कि कोई गरज नहीं है, जाने दो। हम स्कीम बन्द कर देते हैं और हमने आगे से बन्द कर दिया। अब उसमें हमने एक संशोधन ऐक्ट में यह करा लिया था कि अगर कोई १० गुना एकमुश्त न दे सके तो १२ गुना दे दे ४ किश्तों में। उसमें कुछ रुपया जमा हुआ। १२ गुना दिया लोगों ने ४ किश्तों में। लेकिन बहुत सा रुपया ऐसा रह गया जिसको कि पार्श्यल डिपाजिट्स कह सकते हैं। एक किस्त दाखिल कर दी, दूसरी किस्त दाखिल कर दी उसके बाद बाकी रुपया जमा नहीं किया। अब हमारे यहां वह रुपया पड़ा है। हमने नोटिस दिया तो लेने नहीं आये। बहुत से जिलों में केन यूनियन के जरिये कुछ रुपया जमा हुआ था। उन डिपार्टमेन्टस से हिसाब करने में कुछ दिक्कत हुई। खैर, जो रुपया लेने नहीं आये तो हमने यह किया कि उनकी मालगुजारी में मुजरा कर दिया। अब सिर्फ बस्ती और देवरिया का कुछ रुपया शायद शेष रह गया है। बाकी सब या तो ऐडजस्ट हो गया या रिफंड हो गया। खैर, आगे को हम इस सेक्शन को जिसमें कि इंस्टालमेन्ट का जिक्र है उसको डिलीट कर रहे हैं। इनसे कोई फायदा नहीं है। ख्वामख्वाह के लिये ऐक्ट का आकार बढ़ा था। वह तीन चार सेक्शन हमने निकाल दिये।

अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका कि जिक्र अब मैं करने जा रहा हूं वह है खंड ३४ में धारा १५४ का। अब तक जमींदारी एबालिशन ऐंड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा १५४ में कुटुम्ब की डेफीनीशन यह है—

"A family shall include in case it is a joint family—the transferee himself, his father and his mother, his male lineal descendents and his wife or her husband as the case may be."

[श्री चरणसिंह]

अर्थात्, आगे को अगर कोई शख्स जमीन खरीदे तो अपने सम्मिलित कुटुम्ब के साथ जो उसके पास जमीन पहले से है उसको शामिल करके ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। १८ एकड़ है, १२ एकड़ और ले सकता है। और कुटुम्ब की परिभाषा उसमें यह है--- मुन्तकिल अलेह खरीदार, उसका बाप, उसकी मां, उसकी जितनी औलाद हो मेल और उसकी पत्नी या अगर खरीदने वाली स्त्री है तो उसका पति, यह है। यह कुटुम्ब की परिभाषा थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें खानदान काफी बड़ा है सब इस में आ गया। इस में बेटे की बहू नहीं थी तो यह तरकीब हुई कि बेटे की बहू के नाम से लोगों ने ३० एकड़ खरीदना शुरू कर दिया, वह तो घर में ही है, जायगी कहां उसकी भी ३० एकड़ और हो गई। गोरखपुर के एक वकील ने तरकीब यह बता दी, उनका तो काम यही है कि कानून में गुंजायश हो तो बता दें लेकिन इससे भी ज्यादा जो एक बात खटकने वाली थी या जो हमारी नीति को डिफीट करने वाली थी वह यह भी कि इसमें शब्द "ज्वाइन्ट फेमिली" लिखा है, तो इसके रहने से अगर कोई एक फरीक दूसरे फरीक को एक "रजिस्टर्ड नोटिस" दे दे, बेटे ने बाप को नोटिस दिया, भाई ने भाई को नोटिस दिया और वह ज्वाइंट फेमिली से अलग हो गया, पहले साढ़े ५ आने लगते थे अब १५ आने लगते हैं, नोटिस तामील हुआ और कानूनन वह अलग हुये बावजूद इसके कि खेती एक में होती है चूल्हा एक है लेकिन कानून की निगाह में रजिस्टर्ड नोटिस का सर्व हो जाना काफी है अलग दिखाने के लिये और मुश्तर्का खान्दान को अलग दिखाने के लिये। तो अमल में यह हो रहा था कि जिस घर में जितने बालिग लड़के थे सब अलग, बहू से नोटिस दिलवा दिया और खरीद लिया, इस तरह से जितने बालिग पुरुष थे वह सब ३० एकड़ रख सकते थे एक नोटिस देने के बाद। तो हम इस चीज को रोकने के लिये एक तो खानदान की परिधि को भी छोटा कर रहे हैं और जमीन की हद भी बजाय ३० एकड़ के कर रहे हैं १२-१/२ एकड़ उस जमीन को मिलाकर जो पहले से उसके पास है। इससे ज्यादा जमीन न कोई खरीद सकता है न गिफ्ट में ले सकता है सिवाय चैरिटेबिल संस्थाओं के जैसे स्कूल हैं या अस्पताल हैं उनके लिये कोई शर्त नहीं है उन्हें चाहे जितनी कोई दान में दे दे या वह खरीद ले लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने खानदान को शामिल कर के साढ़े १२ एकड़ से अधिक नहीं रख सकता। खानदान में बालिग लड़कों को निकाल दिया, नाबालिग हैं तो ठीक हैं वह बाप के साथ हैं। बहू है तो वह और उसके नाबालिग बच्चे, लेकिन वह बालिग होते हैं तो वह अलग हो जायेंगे, लड़की है १८ साल से कम है तो वह बाप के साथ है,अगर शादी हो गई तो वह पति के साथ रहेगी। उस को यहां गिना जायगा लेकिन अगर बालिग है तो कोई इसलिये तो अविवाहित रखेगा नहीं कि उसके कारण साढ़े १२ एकड़ जमीन रख सकेगा और अगर विवाहित हो जायगी तो अपने पति के साथ गिनी जायगी। अगर विधवा है तो वह भी साढ़े १२ एकड़ अपने नाबालिग बच्चों के साथ ले सकती है। तो इस तरह से हम ने फेमिली छोटी कर दी और जमीन ३० एकड़ से घटाकर साढ़े १२ एकड़ कर दी।

अब इसके भी दो पहलू हो सकते हैं श्री महीलाल जी का और श्री गंगा प्रसाद जी का। और भी पहलू हो सकते हों शायद किसी और के। उनका कहना यह है कि सवा ६ एकड़ कर दिया जाय। मेरे पास कोई बड़ा भारी मन्तिक नहीं है कि सवा ६ एकड़ क्यों न किया जाय। वह तो ऐडहाक है एक लिमिट। सवा ६ एकड़ करने के खिलाफ एक ही दलील दे सकता हूं कि फिर आदमी की सोसाइटी में डेड यूनिफार्मिटी जिसे कहते हैं, या एक लेविल कर दी जाय यह नामुमकिन है। यह न हुई है, न होगी और न मुनासिब है। थोड़ा सा एलबो के लिये रूम होना चाहिये, करवट लेने को जगह होनी चाहिये। तो हमने रखा है कि साढ़े १२ एकड़ तक अधिक से अधिक वह कर लें। जापान का जो हवाला दिया जाता है तो उसकी बात में दूसरे साहबान की दलील के जवाब में कह सकता हूं कि साहब सबको बराबर बराबर बांट दो। सबके पास साढ़े ४-४ एकड़, या ५-५ एकड़ आ जाय। खैर, तकसीम करने की बात तो दूसरी है, वह सवाल इस वक्त नहीं है लेकिन सवा ६ एकड़ जमीन इकोनामिक होल्डिंग तब हो सकती है जब वह बढ़िया हो और अगर अच्छी नहीं है तो इकोनामिक होल्डिंग साढ़े १२ एकड़ ही है, सवा

६ एकड़ नहीं हो सकती। वैसे तो इकानामिक होल्डिंग की परिभाषा बहुत मुश्किल है। कुछ ऐग्रेरियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी जमीन को इकोनामिक होल्डिंग माननी चाहिये जिसकी पैदावार से एक खानदान रीजनेबिल कमफर्ट्स हासिल कर सके, थोड़ा सा आराम से रह सके, बच्चों की भरसक दवाई वगैरह करा सके। उस तरह से तो एरिया फिक्स अप होता नहीं है साल बसाल। वह डिफर करेगा। दूसरे पक्ष का खयाल यह है कि वह जमीन इकोनामिक माननी चाहिये जिसमें इकोनामिक फैक्टर्स जो हैं उनको फुल एम्पलायमेंट मिल सके। इकोनामिक फैक्टर्स ये हैं कि एक फैमिली में दो वर्कर होते हैं, २ बैल हल चलाने के लिये। तो दो वर्कर और २ बैलों को १२ महीने फुल एम्प्लायमेंट जो जमीन दे सकती हो वह है इकोनामिक होल्डिंग। मेरी अपनी निजी राय इस परिभाषा के हक में है। खैर, अब हमारा अनुमान यह है कि अगर जमीन बहुत बढ़िया है तो सवा ६ एकड़ या १० बीघा पुख्ता एम्पलायमेंट दे सकती है दो आदमियों को और २ बैलों को। दिन रात वह लगे रहें, खाली बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जमीन खराब है, बुन्देलखंड की या ट्रांस जमुना एरिया की है तो वहां साढ़े १२ एकड़ एरिया होना चाहिये उनको मशगूल रखने के लिये। तो इस तरह से इसमें फर्क रहेगा।

अब दूसरे लोगों का जो खयाल है कि साहब आपने फैमिली घटा दी तो कौन सा तीर मारा, इधर साढ़े १२ एकड़ कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यह पड़ा कि आज फैमिली कोई नहीं थी, हर आदमी ३०–३० एकड़ हासिल कर सकता था। १ बाप के ३ बेटे हैं तो १२० एकड़ जमीन हासिल कर सकता था। आज अगर ४ बाप–बेटे हैं तो ५० एकड़ से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो हमने सेपरेशन और ज्वाइन्ट का झगड़ा ही नहीं रखा, क्योंकि हर एक आदमी सेपरेट हो सकता है। तो हमने यह कर दिया कि आर्टिफिशियल से परेशन कराने की जरूरत नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, फिर दोहराता हूं कि पहले से फर्क हुआ है। दूसरी बात यह है कि दूसरे पक्ष वालों का कहना है कि साढ़े १२ एकड़ की जो फ्लोर लिमिट की जा रही है यह बड़ी थोड़ी है। उनके लिये जवाब यह है कि जमीन भी इस प्रदेश में बहुत थोड़ी है। जमीन सारी कौम की है, किसी आदमी का अधिकार नहीं है कि सारी जमीन को घेर कर बैठ जाय। बराबर बराबर तकसीम की होनी चाहिए। तो साढ़े १२ एकड़ यह निहायत मुनासिब है। जापान में साढ़े ७ एकड़ है।

अध्यक्ष महोदय, दफा १९८ में गांव समाज की जमीन का पट्टा भूमि प्रबंधक कमेटी को देने का अधिकार है। उसमें यह है कि पहले भूमिहीनों को जमीन दो, फिर छोटे किसानों को दो, स्कूलों को भी दी जा सकती है। भूमिहीनों में हमने उनको प्रायरिटी दी है जिनकी जमीन नहर या किसी और पब्लिक वर्क्स के लिये एक्वायर कर ली गयी है और दूसरे नम्बर पर उस भूमिहीन को प्रायरिटी दी है जिसने देश सेवा के लिये जेल यात्रा की हो। कहीं-कहीं इसमें एब्यूज होता है इस अधिकार का, तो दफा १९८ की उपधारा २ में सब डिवीजन मैजिस्ट्रेटल को शक्ति दे दी है कि अगर उसके पास शिकायत आये या खुद वह तहकीकात करके यह पाये कि कायदे की पाबन्दी नहीं की गयी है, किसी अपने रिश्तेदार को जो एंटाइटिल नहीं था गांव समाज के पास जो जमीन थी उसे भूमि प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने दे दी है तो वह उस लीज को कैंसिल कर सकता है।

गांव समाज मैनुअल में नियम ११५ जो दिया हुआ है, उसके मातहत जमीन से इल्लीगल लेती की बेदखली के लिये, अगर उसने जमीन नहीं छोड़ी है तो गांव समाज की तरफ से एक एप्लिकेशन दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने यह होल्ड किया कि ११५–जी के मुताबिक सरसरी कार्यवाही से केवल एक दरख्वास्त मात्र से आदमी बेदखल नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कानूनी पट्टा दिया गया था, यों कि वह गुस्ताख गासिब नहीं था। यह दूसरी बात है कि उसे खिलाफ कानून पट्टा दिया गया। यह बाद को साबित होगा। धारा २११–ए बढ़ाई है। इसके जरिये हम इस आदमी को गासिब मानने जा रहे हैं। जब आर्डर हो जाय, एस०डी०ओ० का, अगर वह फौरन सरेंडर नहीं करता है पजेशन को तो, वह गासिब माना जायगा और फिर उसकी बेदखली हो।

[श्री चरण सिंह]

आगे चलकर २११ में यह भी है कि पट्टा खिलाफ कानून किया गया, या खिलाफ कायदे रेहननामा दखली की गयी। इन सब मामलों में गांव समाज को रेगुलर सूट दायर करना पड़ता था और फिर गांव समाज मुद्दई बन जाता था, इसमें बड़ा खर्चा होता था। लिहाजा वह जमीन से बेदखल नहीं हो सकता था। अब उसके लिये एस०डी०ओ० को अख्तियार दिये जा रहे हैं कि गांव समाज एक दरख्वास्त दे दे, एस०डी० ओ० सरसरी तहकीकात करके उसे बेदखल कर दे। जिसने खिलाफ कानून पट्टा लिया हो या रेहननामा दखली लिया हो, उस आदमी को अगर शिकायत है जिसके खिलाफ कि बेदखली का आर्डर हुआ है तो, वह जा कर फिर दावा करे, मुद्दई वह बनेगा जिम्मेदार वह होगा, खर्चा वह उठायेगा और गांव समाज मुद्दालय बन कर पीछे पीछे चलेगा। तो इसमें जिन लोगों का केस बहुत मजबूत नहीं होगा वह वहीं दम तोड़ देंगे जब कि सरसरी कार्यवाही का हुक्म हो जायगा और वह मुद्दई होकर नहीं जायगा और इसमें हर मामले में गांव समाज को मुद्दई होकर जाना पड़ेगा तो हम सरसरी कार्यवाही के अख्तियारात दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, २२५–ए बढ़ाये जाने से खंड ६४ के जरिये जो गांव समाज ने सिंघाड़े के लिये या मछली के लिये तालाब दे दिया, मान लो २०० रुपये में दिया और १८५ रुपया वसूल हुआ और १५ रुपये बाकी रह गये। या इस तरह से लीजिये कि उसने बोली बोल दी २०० रुपये की लेकिन गांव समाज समझता है कि १८५ रुपये ही होने चाहिये तो जहां वसूल न हो वहां हम राइट आफ करने का अधिकार दे रहे हैं विद दि एप्रूवल आफ कलेक्टर, इसके माने यह हैं कि जो हाकिम इलाका होगा, यानी परगनाधीश।

अध्यक्ष महोदय, जो जमीन गांव समाज की है और डिग्री हो गई या हुकुम हो गया बेदखली का और इजराय भी हो चुकी है यानी ऐक्जीक्यूशन भी हो चुका है और गांव समाज ने दखल ले लिया लेकिन वह हेकड़ आदमी है, वह उसको नहीं छोड़ रहा है तो हम इसको जुर्म बना रहे हैं। अगर कोई आदमी गांव समाज की जमीन को डिग्री हो जाने पर, बेदखली का हुकुम हो जाने पर, इजराय हो जाने पर और दखल हो जाने पर भी नहीं छोड़ता है तो उसके खिलाफ अदालत फौजदारी में कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बाढ़ काफी आ रही हैं। नदियां चढ़ती हैं और जमीन कटती है। एक तरफ नदियां जमीन काटती हैं तो दूसरी तरफ बढ़ा देती हैं तो हर साल पड़ताल करने का कायदा है। इसमें काफी बड़े बड़े इलाके हो जाते हैं। इसलिये पड़ताल करने में देर हो जाती है और कहीं कहीं नया स्टाफ भी देना पड़ता है और झगड़े भी हो जाते हैं। और काफी बड़ा काम है और हर साल नहीं कर सकते हैं। इसलिये पहले जो कायदा था पंचसाला बंदोबस्त होने का, वही हम करने जा रहे हैं। कहीं कहीं आठ,–साला बंदोबस्त होता था। पांच साल बाद बन्दोबस्त करने पर अगर उसकी जमीन बढ़ जाय तब भी वह वही मालगुजारी देगा जो देता था और अगर कम हो जाय तब भी वही देगा जो देता था इसका मतलब यह है कि घटने पर नुकसान उठायेगा और बढ़ने पर लाभ उठायेगा। हर साल मालगुजारी घटाने बढ़ाने की हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। पुराना कायदा जो पहले से चला आता था वही तजुर्बे से अच्छा साबित हुआ। इसलिये उसी को चलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू कोर्ट में जो सेकेंड अपील होती थी तो उसके सम्बन्ध में यह नहीं लिखा था कि वह ला पर ही होगी या ला और फैक्ट्स दोनों पर हो सकेगी। इसमें साफ नहीं था जिसका जैसा मिजाज चाहता था वही अदालत कहती थी। कुछ अदालतें कहती थीं कि सेकेंड अपील केवल ला पर ही होगी। हम इसको साफ करना चाहते हैं। हम खंड ७७, धारा ३३१ में यह बढ़ाने जा रहे हैं, उपखंड (४) के जरिये कि सेकेंड अपील केवल ला पर ही हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ संशोधनों का जिक्र करना चाहता हूं वे ये हैं कि भूमिधरी जमीन पर अधिकार के सम्बन्ध में मामला उठे तो उसका जूरिस्डिक्शन हम रेवेन्यू कोर्ट को

दे रहे हैं। अब तक यह था कि सीरदार का मामला अदालत माल तय करे और भूमिधरी का मामला अदालत दीवानी करे। अगर अदालत माल में वह कह दें कि वह भूमिधर है तो तनकीह अदालत दीवानी करे और अदालत दीवानी में किसी ने कह दिया कि मैं इसका सीरदार हूं तो तनकीह अदालत में जाय। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जिस किसी ने उज्रदारी कर दी, चाहे मुन्सिफ हो, जुडीशल मैजिस्ट्रेट हो या डिप्टी कलेक्टर हो, उन्होंने दूसरी अदालत को मिसिल भेज दी और उन्होंने सोच लिया कि आज का काम निपटा। वह किसान इधर उधर धक्के खा रहे हैं। पहले प्रोपराइटरी टाइटिल दीवानी में तय होता था, काश्तकारी टाइटिल माल में तय होता था। भूमिधर १६ आने प्रोपराइटर नहीं है। लेकिन जो सब से बड़ा इंसीडेंस राइट आफ ट्रांस्फर का है वह इंज्वाय करता है। वैसे उसकी जमीन की भी गवर्नमेंट मालिक है। तो हमने भूमिधर को दीवानी में अधिकार दे दिया। पहले जमींदार बड़ा आदमी होता था। अब भूमिधर और सीरदार में कोई अन्तर नहीं है। ज्यादातर छोटे ही काश्तकार भूमिधर बने और यह जो खयाल है शहर के रहने वाले लोगों का कि छोटे किसान के पास इतना रुपया फाजिल कहां होगा कि वह दस गुना जमा करे, आंकड़े उस खयाल को गलत साबित करते हैं। छोटे ही किसान अधिकतर भूमिधर बने। तो मैं यह कह रहा था कि सीरदार और भूमिधर की हैसियत में कोई फर्क नहीं है। वह भी उतना ही गरीब है। इसलिये उन सब मुकदमों को हम माल में दे रहे हैं। पहले जो हमने भूमिधर को सिविल दिया था उसमें हमारे दिमाग में यह दलील थी कि गैर काश्तकारी अगराज के लिये भी भूमिधर अपनी जमीन इस्तेमाल कर सकता है। फैक्टरी लगा ले, कोई भट्ठा लगा ले, मकान बना दे किराये के लिए। हमने भूमिधरों के हकों को भी तय करने का अधिकार माल को दिया। ऐसे कानूनी मामले जिनके लिये अदालत माल मेंटली इक्विप्ड न हो, अदालत दीवानी में भेज दे। हम यह करने जा रहे हैं इस दिक्कत से बचने के लिए कि अदालत दीवानी में किसी ने दावा दायर किया तो यह भूमिधरी का दावा भी माल का ही होगा, लेकिन दीवानी में यह कह कर दावा कर सकता है कि साहब मेरी जमीन ऐग्रीकल्चरल परपज में नहीं आ रही है। मैंने फैक्टरी लगा ली और फलां आदमी की बेदखली चाहता हूं या किराया चाहता हूं या जो भी सवाल उठते हों। अगर मुद्दाअलह कहे कि नहीं साहब, यह गलत बयानी है, मौके पर खेती हो रही है तो वह तनकीह को अदालत दीवानी भेज देगी अदालत माल में जो सब डिवीजनल आफीसर तय कर देगा। वह इस मुकद्दमें में फाइनल होगा जिस पर दीवानी अदालत तय करेगी। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सब डिवीजिनल आफिसर की फाइंडिंग को क्वैश्चन किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज जहां भूमिधरी जमीन का नान ऐग्रीकल्चरल परपजेज में यूज हो रहा है वह हजार में एक भी नहीं हैं। लिहाजा कोई किसानों को तकलीफ नहीं रहती है। भूमिधर और सीरदार के सारे मुकदमें अदालत माल में जायंगे। माल वालों को गांव में जाना पड़ता है वहां आसानी से तय हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, प्रायः जितने साथी मिले सब की यह राय थी, जितने कलेक्टरों से पूछा मैजारिटी की राय है, कमिश्नरों की सब की यह राय है कि यह गलती हो रही है इससे किसान धक्के खा रहे हैं। तो अदालत माल को हमने वह अख्तियार दे दिया। अध्यक्ष महोदय, तराई और काशीपुर के डिवीजन का इलाका, हमारे यहां जमुना पार का इलाका और मिर्जापुर जिले के कुछ इलाके के अन्दर जो जमीन थी वह कुछ इन्फीरियर मानी जाती थी.....

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या भूमिधर को अपनी जमीन के अन्दर मकान बनाने का अधिकार होगा या नहीं, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री चरण सिंह— खेती को अच्छी तरह से पैदा करने की गर्ज को पूरा करने के लिये मसलन, घेर, कैटिल कम्पाउन्ड, कोल्हू और रिहायशी मकान बनाने का अधिकार भूमिधर को ही नहीं बल्कि सीरदार को भी है। भूमिधर को ऐसे मकान बनाने का अख्तियार है जिसको वह किराये पर उठा सके या फैक्टरी बना कर काम करने लगे।

अध्यक्ष महोदय, तो इन इलाकों की जमीन कुछ इन्फीरियर थी। पुराना कायदा और यू० पी० टेनेन्सी का यह ला था कि इस इलाके की २ एकड़ जमीन सूबे के और इलाके की

[श्री चरणसिंह]

१ एकड़ जमीन के बराबर मानी जायगी। यही प्रदेश के आगरा, मथुरा और बुन्देलखंड वगैरा के अन्दर था। हमने इसको तरमीम कर के जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में एडाप्ट किया है और मिर्जापुर का इलाका भी उसमें शामिल किया है। अब हम एक तरमीम के जरिये से काशीपुर तराई का जो डिवीजन है वह भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, अर्थात् वहां की १ एकड़ जमीन यहां की आधी एकड़ के बराबर मानी जायगी क्योंकि वहां की जमीन भी ऐसी ही है। वहां की जमीन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो वही कायदा लागू हो रहा है बुन्देलखंड, जमुनापार का सारा इलाका, मिर्जापुर और काशीपुर के सब डिवीजन में, १२, १/२ की जगह पर २५ पढ़ा जायगा। हर गर्ज के लिये जहां पर ६ १/४एकड़ लिखा गया है वहां के लिये १२, १/२ पढ़ा जायगा। जो मुकदमे आज जेरे तजवीज हैं, जिस अदालत में हैं वह पुराने प्रोसीजर के मातहत चलते रहेंगे। दीवानी में जो दाखिल हुये हैं उनको दीवानी तय करेगी और जो माल में दाखिल हुए हैं उनको माल तय करेगा। इस ऐक्ट के बन जाने के बाद यह चीज स्टेट में चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, बस अब एक संशोधन रह गया है जिसका मैं आखिर में जिक्र कर देना चाहता हूं। वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां कोई ५ लाख केसेज साल भर में दाखिल खारिज के हो जाते हैं। पहले दाखिल खारिज के जो मामले होते थे उनको अधिकतर पटवारी नीचे से ही तय कर देता था। वहीं बयान लेकर वह वारिस का नाम लिख देता था। अब हर मामला हमने तहसील में कर दिया है चाहे वह निजाई हो या गैरनिजाई हो। ५ लाख आदमी हर साल मर जाते हैं जिनके जमीन के मामले दायर होते हैं। हमार यहां लोगों की होल्डिंग ज्यादा है। एक एक आदमी का नाम कई जगह लिखा हुआ है। तो एक तहसील में दो, ढाई हजार मामले बैठ जाते हैं। अब तहसील में कानूनगो गैर निजाई केसेज को कुछ तो पढ़ेगा तब वह नाम वैरिफाई करेगा। अभी तक नतीजा यह हो रहा था कि वहां पर बोटल नेक हो रहा था। एक आदमी को कई दफा जाना पड़ता है। अब इसको रजिस्ट्रार कानूनगो, कानूनगो और तहसीलदार के पास कई दफा धक्का खाने पड़ते हैं। अगर एक बार में उसका ५ रुपये खर्च हुआ तो उसका कुल ३० रुपया इस काम के लिये, आने जाने में खर्च होता है, जिन मामलों में कोई झगड़ा भी नहीं है उनके लिये उसको इतना ही खर्च करना पड़ता है। अब हम यह कर रहे हैं कि गैरनिजाई मामले तय करने का अख्तियार कानूनगो को होगा। पड़ताल के वक्त, जैसा कि हमारे मित्रों को मालूम है कि अगर ए का कब्जा है और बी का कब्जा नहीं मिला है तो वह बी का नाम कैफियत के खाने में लिखता है, फिर कानूनगो जाता है, उनको वेरीफाई करता है और रिपोर्ट करता है तहसीलदार को और तहसीलदार की तरफ से कार्यवाही होती है। अब तक तहसीलदार ओवर वर्डन्ड था, हो नहीं पाता था। लेकिन वह बात तो अलग रही। लेकिन, अब हम यह करने जा रहेहैं कि जैसे ए० है और बी० और सी० उसके लड़के हैं, तो जो लेखपाल परताल करेगा खरीफ या रबी के मौसम में, वह बी० और सी० का नाम लिखेगा और वह हैसियत कुछ नहीं लिखता। उसमें कब्जा है लड़कों का, यह लिख दिया। हमारे माननीय मित्र देखेंगे शेडयूल है ३३–ए, पेज २२ और २३ पर, उसमें है कि कानूनगो जायगा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलायेगा, गांव में मुनादी करायेगा और जो लोग वारिस के तौर पर कैफियत के खाने में आ गये हैं, लेखपाल ने जो लिस्ट दी है, उनकी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के सामने तस्दीक करेगा। अगर कंटेस्टेड मालूम न हुआ तो दर्ज कर देगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मान लो कि एक आदमी गोंडा से बम्बई चला गया और उसका नाम दर्ज नहीं हो पाया। भाई बेईमान निकले और उसका नाम नहीं लिखाया, तो उससे बम्बई जाने वाले के अख्तियार में कोई खराबी नहीं आती। वह आकर तहसीलदार को दरख्वास्त दे सकता है और ऐसे केस में कानूनगो को तो अख्तियार ही नहीं है। अनकंटेस्टेड में हमने यह आल्टरनेटिव प्रोसीजर रखा है, लेकिन तहसीलदार को दरख्वास्त देने का अख्तियार तो फिर भी होगा। ५ लाख केसेज में ४ लाख ९० हजार केसेज तो अनकंटेस्टेड ही होंगे, क्यों जायं तहसीलदार के यहां? वहां बाटेलनेक है। तो यह अख्तियार हम दे

रहे हैं। इसका एब्यूज यों न होगा कि जिसको जरूरत हो वह तहसीलदार को दरख्वास्त दे दे। तो इससे सहूलियत हो जायगी और उसको ६ बार ६ जगह नहीं जाना पड़ेगा। वह कानूनगो के यहां जाय और करा ले। वैसे कई साथी कहेंगे कि वह कानूनगो के यहां जायगा और यह होगा, वह होगा, लेकिन इसमें उसका खर्चा बचेगा, परेशानी कम होगी और वहीं पंचायत के सामने मामला तय हो जायगा और हमारे राज कर्मचारियों का बोझ हल्का हो जायगा।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना मौका दिया एक्सप्लेन करने का और माननीय मित्रों ने भी गौर से सुना, मैं अपने प्रस्ताव को सदन के समर्थन के लिये पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई थी, उसे भी कह दूं। धारा ४० में मूल अधिनियम की धारा १७१ में हमने एक क्रम दे रखा है सक्सेशन का, कि एक आदमी के मरने के बाद जायदाद कौन-कौन, कैसे-कैसे पाये। उसमें हमने कुछ संशोधन किया है। अब तक यह था कि अगर एक शख्स मरा तो उसका बेटा, पोता, प्रपौत्र, पौत्र का प्रपौत्र, इनको अधिकार उसकी जायदाद पर मिलता था। लेकिन अगर कोई बाप के सामने बेटा या पोता मर जाता था और अगर वह कोई विधवा को छोड़ जाता था तो उसको कोई अधिकार नहीं मिलता था। हम ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र की बहू को, जिसका पति अपने बाप, दादा या परदादा के सामने मर गया था, वही अधिकार दे रहे हैं जो उसके पति को मिलते अगर वह जिन्दा होता। हम सबको अपनी सोसाइटी का तजुरबा है कि जिस स्त्री का बेटा नहीं होता है तो उसको जमीन में भी अधिकार नहीं दिया जाता है और सारी जमीन उसके देवर और जेठ ले लेते हैं, उसकी जिन्दगी नर्क हो जाती है। उसका नर्क तो तीन तरह से हो जाता है। जिस बाप के सामने लड़का मर गया, उसकी बहू एक तो यंग होती है, दूसरे उसका लड़का अगर न हुआ तो उसको अपने ससुर की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक तो वह विधवा हुई, दूसरे उसके लड़का नहीं हुआ, तीसरे जायदाद में भी उसको कोई हक नहीं मिलता। लेकिन अब इसके बजाय हम यह करने जा रहे हैं कि ऐसी विधवा को उसके देवर और जेठ के बराबर ही हिस्सा मिलेगा, जो उसके पति को मिलता अगर वह जिन्दा होता।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कोई आदमी 'ए' मर जाता है और वह अपनी विडो और लड़के बी० तथा सी० को छोड़ता है। अब बी० मर गया और उसने अपनी विडो डी० को छोड़ा है तो अब इस मरने वाले की विडो को हम जायदाद में हक नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका एक बेटा जिन्दा है लेकिन उस मरने वाली लड़के की बहू को हिस्सा मिल रहा है; क्योंकि कौन ऐसा नालायक लड़का होगा जो अपनी मां की अच्छी सेवा नहीं करेगा। लेकिन अगर बी० भी मर जाता है और अपनी विधवा पत्नी और मां को छोड़ जाता है तो मां को भी मिलेगा। ऐसी हालत में बी० और सी० की विधवा पत्नियों डी० और ई० को तथा उनकी सास को बराबर हिस्सा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है। अब हम इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह तय करने जा रहे हैं कि अधिकार मिलने का क्रम इस प्रकार से होगा। पहले बेटों को, पोते को, प्रपौत्र को, विधवा बहू को, अथवा विधवा मां को, जिसने पुनर्विवाह न कर लिया हो। अपने भाई को और भाई के बाद बेटे को, यह क्रम है। अब जो मरने वाले के भाई को मिलता है और भाई अगर न हो तो बेटी को मिलता है। जिस बेटी की शादी हो गयी है उसके लिये तो बात समझ में आती है कि उसको न मिले अगर भाई मौजूद है, क्योंकि बेटी का दूसरे के घर जाने में हित है, वह "दुहिता दूरे हिता" कहलाती है और वह शादी के बाद अब दूर रहेगी। इसलिये वह ठीक हो सकता है कि चाचा की मौजूदगी में उसको न मिले। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बेटी अविवाहित वह छोड़ जाता है उसको भी नहीं मिलता है और अगर चाचा शादी न करे तब? इसलिये भाई को तब मिलेगा जब उस बेटी की वह शादी कर दे और शादी करने में चाचा साहब का इंटेरेस्ट भी है। विवाह हो जाने पर लड़की को न मिल कर उस को जायादद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि अब काफी प्रकाश विधेयक पर पड़ गया है। बाकी लोग जब कुछ कहेंगे तो आप और बोलियेगा।

श्री चरण सिंह---ठीक है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ को, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह प्रस्तुत संशोधन विधेयक हमारे प्रांत की लगभग ७४ प्रतिशत जनता के जीवन से सम्बन्ध रखता है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिये माननीय मन्त्री महोदय की ओर से केवल २ दिन का समय देना, कि इसके अन्दर ही पास कर दिया जाय, मैं यह समझता हूं कि उचित नहीं है। परन्तु स्वीकार करना ही पड़ेगा चूंकि आपने भी उस पर अपनी सहमति दी है इसलिये मैं इस २ दिन के कम समय को ध्यान में रखते हुए .....

श्री अध्यक्ष---मेरी इस मामले में कोई सहमति नहीं है। मेरा इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह तो सदन के ऊपर है। सदन इसको जितने समय में चाहे कर सकता है।

श्री महीलाल---मेरा उद्देश्य केवल यह था कि समय कम है और उसी विचार से मैं थोड़े समय में अपनी बात मोटी-मोटी बातों में रखूंगा।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के मूल अधिनियम को, जिसका नाम १९५० का उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम है, इस प्रान्त में ला करके एक भू-क्रान्ति की है और मैं यह कहने में भी नहीं हिचकूंगा कि इस भू-क्रान्ति के द्वारा इस प्रदेश की भूमि का स्वामी जो जोतने वाला किसान होना चाहिये था वह हुआ है। इस मूल अधिनियम में समय-समय पर और भी संशोधन हुए हैं।

मान्यवर, भूमि का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है और वह भी विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश के लिये कि जिस पर आज देश के सभी लोगों का ध्यान लगा हुआ है और पूज्य बापू जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी पूज्य विनोबा जी ने इस प्रश्न को और भी महत्व दे कर हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न की है। और उसके फलस्वरूप आज प्रदेश के खेतिहर श्रमिक, जिनका स्वाभाविक रूप से और आज समय की मांग और समाज की आशा को लेकर उस भूमि में उनका हिस्सा होना चाहिये और हिस्सा ही नहीं बल्कि यदि मैं यह भी कहूं तो कोई ज्यादा अनुचित बात न होगी कि श्रमिक वर्ग जो कि खेतों में काम करता है उसे ही उस खेत का मालिक होना चाहिये, ऐसे लोग जो खेतों में काम नहीं करते हैं, या जोते खेतों में पैर तक भी नहीं रखते हैं, वे इस प्रान्त में भूमि के मालिक रहें और आज इस समय मालिक भी हैं जबकि चारों ओर से विनोबा जी के आन्दोलन को सहयोग और मान्यता प्राप्त है, एक अनोखी और अनुचित सी बात मालूम होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने का साहस तो नहीं करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस युक्ति से सहमत नहीं हैं, मैं समझता हूं कि वह सहमत हैं और अब तक जो संशोधन वह इस अधिनियम में लाते रहे हैं वह प्रगतिशील संशोधन रहे हैं। परन्तु यह संशोधन जिसकी बाबत यह आशा की जाती थी और मैं यह समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की जनता और प्रदेश की ही नहीं बल्कि इस देश की जनता यह समझती थी कि उत्तर प्रदेश के माननीय माल मंत्री चौधरी चरणसिंह जी भविष्य में जो संशोधन लावेंगे, वह एक क्रान्तिकारी संशोधन होगा। लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि यह संशोधन केवल क्रान्तिकारी नहीं है बल्कि प्रतिगामी भी, अगर मैं कहूं तो माननीय मंत्री जी रुष्ट न हों .....

कुछ सदस्य---प्रतिगामी नहीं, प्रतिक्रियावादी कहिये ।

श्री महीलाल---इससे पहले माननीय मन्त्री जी ने ३० एकड़ की सीमा रखी थी । माननीय शुक्ल जी बड़े बेचैन हो रहे हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैं बेचैन नहीं हो रहा हूं बल्कि आपके भाषण को बड़े प्रेम से सुन रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि प्रतिगामी न कह कर उसे प्रतिक्रियावादी कहिये ।

श्री महीलाल---मेरे कहने का मतलब यह है कि यह संशोधन थोड़ा पीछे ही ले जाने वाला संशोधन है, अब इसका अर्थ आप कुछ भी लगा लें । प्रतिक्रियावादी शब्द कुछ ज्यादा कड़ा शब्द है इसलिये मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता । आप उसका अर्थ चाहे कुछ भी समझें लेकिन मैं तो इसे कुछ पीछे ले जाने वाला संशोधन समझता हूं । अब तक यह व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति जो ३० एकड़ भूमि अपने पास रखता है वह और उसका परिवार, उसका लड़का जो वयस्क है, और भूमि नहीं खरीद सकता है । यों जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कानूनी कुछ रास्ते निकाल कर भले ही कुछ लोगों ने प्रयत्न किया हो और मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों ने भी भूमि खरीदी है जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि थी, लेकिन एक पाबन्दी लगी हुई थी और उस पाबन्दी का यह फल जरूर था कि जिसके पास ३० एकड़ भूमि थी वह अपने या अपने बालिग लड़के के नाम और भूमि नहीं खरीदता था या खरीदते समय इसलिये हिचकता था कि कहीं ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश के माल मन्त्री कोई और कड़ा कदम उठायें । जिससे नयी खरीदी हुई जमीन के साथ-साथ ३० एकड़ में से भी और न चली जाय । अब संशोधन का यह फल होगा, जिसके द्वारा माननीय माल मन्त्री जी ने यह माना है, कि परिवार की जो परिभाषा है उससे किसी व्यक्ति की वयस्क संतान को निकाल दिया जायगा । मान लीजिये कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस वक्त ५० एकड़ है और उसके पांच बालिग लड़के हैं, अब यह पांचों लड़के अपने नाम से साढ़े बारह-साढ़े बारह एकड़ अलग-अलग जमीन खरीद लेंगे । माननीय माल मन्त्री जी कह रहे हैं कि जो बालिग होंगे उनको अपन बाप का हिस्सा जो पहुंचेगा उसको उसमें शामिल करके तब खरीद पायेंगे । शायद वह यह मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन इस संशोधन विधेयक की किसी भी धारा से कम से कम मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जिससे कि मैं यह समझता कि उन पर कोई पाबन्दी ऐसी लगी हुई है कि वह अपने बाप की जमीन का हिस्सा शामिल करके और उसको घटा कर तब साढ़े बारह एकड़ खरीद सकेंगे । मान्यवर, मुझे यह भी संदेह है कि शायद वैधानिक रूप से वह यह पाबन्दी लगा भी पायेंगे या नहीं । एक वयस्क लड़का यह कह सकता है कि मेरे बाप अपनी जिन्दगी में अपनी जमीन बेच देंगे और वह उसे नहीं मिल पायेगी । किसी वजह से बाप अगर मुझसे नाराज हो गये तो मुझे बाप की जमीन नहीं मिलेगी, इसलिये उसे पूरा हक है साढ़े बारह एकड़ खरीदने का । मुझे खुशी होगी अगर माननीय माल मन्त्री जी वैधानिक दृष्टि से हमें सन्तुष्ट कर देंगे कि वह अपने बाप की जमीन को निकालकर ही साढ़े बारह एकड़ खरीद सकेगा ।

मान्यवर, कभी-कभी माननीय माल मन्त्री जी हमें यह बताते हैं कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये ले सकें अथवा उसको सम्पत्ति खरीदने में उसके ऊपर पाबन्दी लगा सकें । इसलिये हम मजबूर हैं । मान्यवर, हमारे संविधान का प्रथम संशोधन जो ३१-क के रूप में है उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राज्य सरकार इस सिलसिले में स्वतंत्र है, वह विधान बनाने के लिये जिससे कि जनहित होता हो । आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं ।

"३१-क---संपदाओं आदि को अर्जन करने के लिये उपबन्ध करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति---(१) इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राज्य द्वारा किसी संपदा या उसमें के किसी अधिकारों के अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के नाश या रूपभद

[श्री महीलाल]

करने का उपबन्ध करने वाली कोई विधि इस आधार पर शून्य न समझी जायेगी कि वह इस भाग के किन्हीं उपबन्धों से असंगत है अथवा उसके द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को ले लेती या न्यून करती है :"

इस संशोधन के बाद राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वह कोई भी ऐसा कानून और ऐसी पाबन्दी लगा सकती है जिससे ऐसे ही लोग भूमि खरीद सकें जो भूमि का उपयोग करते हैं या भूमि पर काम करते हैं। मुझे खुशी होती और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता यदि इस संशोधन में यही पाबन्दी लगा दी गयी होती कि केवल ऐसे ही लोग या ऐसे ही परिवारों के सदस्य भूमि खरीद सकेंगे जो अब तक भूमि पर काम करते रहे हैं, या यह पाबन्दी लगी होती जिसके लिये मैं और भी अधिक बधाई देता कि केवल अलाभकर जोत के किसान या भूमिहीन मजदूर ही जमीन खरीद सकेंगे। इस संशोधन विधेयक के द्वारा लोगों को छूट दी गयी है कि वे साढ़े १२ एकड़ के नाम से अपने लड़कों लड़कियों आदि के नाम से चाहें जितनी जमीन इकट्ठा कर लें।

मान्यवर, जहां तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अलाभकर जोतों के किसानों का सम्बन्ध है वे सब खेतिहर मजदूर ही बने हुए हैं और अभी तक कोई ऐसा क्रान्तिकारी कदम, जिस को हम यह कह सकें और जिसका अर्थ हम यह समझ सकें कि उनकी आर्थिक या सामाजिक दशा सुधारने के लिये इस सरकार की ओर से उठा है, इसमें मुझे संदेह है और मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से किसी माननीय सदस्य को इन्कार न होगा कि श्रमिक खेतिहर वर्ग ऐसा है कि जिस की दशा आज समाज में सब से अधिक खराब है और आज जो खाद्यान्न की कमी का प्रश्न है या सामाजिक असमानताओं का प्रश्न है उस सबके, सबसे अधिक शिकार यही खेतिहर मजदूर होते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्रान्ति के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में, किसी और भी क्षेत्र में सरकार की ओर से अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा जिस से खेतिहर मजदूरों की दशा में कोई सुधार हो और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आज गांव में जो माननीय सदस्य घूमते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कहीं सबसे ज्यादा मानवता कष्ट भोग रही है तो वह खेतिहर मजदूरों के घरों में है। मैं तो यह भी कहूंगा कि जब से यन्त्रों के द्वारा खेती का काम आरम्भ हुआ है, सरकार की कृपा से बड़े-बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर आये हैं या और दूसरी मशीनों का प्रयोग आरम्भ हुआ है तब से उनका रोजगार छिना है बजाय इसके कि उनको कोई और रोजगार मिला होता या दिया गया होता। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज के इस कमजोर अंग को प्रोत्साहन देने के लिये कोई न कोई कदम उठाती, उनको निर्धन और पंगु न रहने देती। संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में साफ दिया है अनुच्छेद ४६ में कि "राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा"। आज उनके रहने की समस्या है, उनके रोजगार की समस्या है, उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या है, उन पर जो अमानुषिक अत्याचार होते हैं उनको दूर करने की समस्या है; न उन को न्याय मिलता है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास अपने बच्चों के पढ़ाने के लिये कोई प्रबन्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मात्र साधन इनको रोजगार देने का, इनकी आर्थिक उन्नति करने का यही था कि जिस जमीन पर ये काम करते हैं वह जमीन उनके पास पहुंच जाय। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई और मेरी वह आशा और मेरी ही नहीं, मान्यवर, इस प्रान्त के सब खेतिहर मजदूरों की आशा निराशा में बदल गयी। आशा यह थी कि आज जो संशोधन आयेगा उसके द्वारा कुछ भूमिहीन या कुछ खेती पर काम करने वाले मजदूर किसी तरह से कुछ भूमि पा सकेंगे।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री महीलाल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज ग्राम में सब से बड़ा संकट खेतिहर मजदूरों पर है और जैसा मैंने निवेदन किया उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिये अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिससे खेती पर काम करने वाले खेतिहर मजदूरों को यह भूमि जो कि आइंदा बिकने वाली है वह उनको सस्ते दामों पर मिल सके। इसके लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था अवश्य करें कि ऐसे ही लोग इस भूमि को खरीद सकें जो अलाभकर जोत के किसान हैं या जो खेती पर काम करने वाले मजदूर हैं।

माननीय माल मंत्री जी के मतानुसार हमारे प्रान्त में ५.७ प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जिनके पास बिलकुल भूमि नहीं है। कुछ लोगों का मत ऐसा है कि ऐसे लोगों की संख्या करीब साढ़े ७ लाख परिवार के है जिनके पास बिलकुल भूमि नहीं है और ऐसे लोग जो कुछ दिन अपनी भूमि पर काम करते हैं और ज्यादातर दूसरे किसानों के यहां काम करते हैं उन्हीं परिवारों की संख्या साढ़े ३५ लाख है। इस हिसाब से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खेती पर काम करता है लेकिन खेती से वह जो कुछ पाता है या जो कुछ उसे लाभ होता है उसका कोई प्रभाव उन लोगों के जीवन पर नहीं पड़ता। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इधर हम किसानों की हालत जो खेती के मालिक हैं गल्ले की मंहगाई और दूसरे कानूनों की वजह से सुधरी है और यह बात निर्विवाद है कि किसान की हालत प्राकृतिक आपत्तियों को छोड़ कर साधारणतया सुधरी है, लेकिन किसान की मजदूरी में कोई फर्क नहीं आया। मिनिमम वेजेज ऐक्ट ५० एकड़ से बड़े फार्म्स पर लागू हुआ है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है।

जहां तक इंडस्ट्रियल लेबर का ताल्लुक है, सरकार ने कई अच्छे कानून बना कर उन लोगों के जीवन में एक क्रांति की है। आज उनके काम करने के घंटे मुकर्रर हैं, उनका वेतन निश्चित है, उनको बोनस मिलता है, उनके बच्चों को शिक्षा, अस्पताल और दूसरी सुविधायें मिलती हैं। मैं यह नहीं मानता कि यह जो कुछ हुआ है वह बस काफी है, इसके आगे उस क्षेत्र में गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है कि मजदूरों को अगर हम कुछ लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो वे केवल इस भूमि-व्यवस्था अधिनियम के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं।

इसलिये क्या ही अच्छा होता कि इसमें जहां धारा १५४ में संशोधन आया है और मंत्री जी एक अच्छी भावना से, एक उच्च आदर्श को लेकर ३० एकड़ के बजाय साढ़े बारह एकड़ लाये हैं, यह सवा छः एकड़ हो जाता! इसलिये कि नई भूमि जिसके पास ज्यादा है वह लेने के लिये तैयार नहीं है और मेरा मत है कि समय की मांग है और उन्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि भूमि की सीमा वह निर्धारित करें और जिन लोगों के पास अधिक भूमि है उसको लेकर ऐसे लोगों में जो खेतिहर मजदूरों की परिभाषा में आते हैं, चाहे वह अलाभकर जोत के किसान हों या भूमिहीन मजदूर हों, उनमें वितरित कर दें। लेकिन अभी हम मंत्री जी को इसके लिये सहमत नहीं कर पाये हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में वह अवश्य हमारे मत के हो जायेंगे और वह समय जल्दी ही आयेगा जब हमारी इस प्रार्थना को वह स्वीकार करेंगे और जमीन की एक सीमा निर्धारित करके उसे भूमिहीनों में वितरित करेंगे। लेकिन इस समय जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सवा छः एकड़ या जैसा कि एक दिन उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि १,६०० रुपये की कच्ची आमदनी को वह लाभकर मानते हैं इसमें दोनों बातों की व्यवस्था हो सकती है। या तो सवा छः एकड़ जमीन रखें या जहां जमीन कम उपजाऊ है जैसे बुन्देलखंड वगैरह में वहां के लिये १,६०० रुपये की कच्ची आमदनी निर्धारित की जा सकती थी, जो इस विधेयक में नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द हो जायगा तो इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सकेगा और मुझे आशा है कि मेरे मत के लोग मंत्री जी को सहमत कर लेंगे।

दूसरी बात यह मैं कहना आवश्यक समझता हूं कि मंत्री जी द्वारा एक संशोधन रखा गया था और ३० अक्तूबर, १९५४ से लागू हुआ जिसके द्वारा अधिवासी जमीन के मालिक

[श्री महीलाल]

बन गये। मंत्री जी इसको भली प्रकार जानते हैं कि लोगों ने नाजायज दबाव देकर कुछ इस्तीफे दिये और इतना ही नहीं बल्कि नुकसान यह भी हुआ कि छोटे लोग जो एक, डेढ़ और दो एकड़ के किसान थे उनकी जमीनों पर बड़े-बड़े किसान किसी तरह से शिकमी बन गये ; या तो माल विभाग के पुराने आलेखों के द्वारा या निजी प्रभाव से अपने नाम दर्ज करा लिये। छोटे किसान ने अपने लड़के की शादी या किसी और मजबूरी से बड़े किसानों के यहां जमीन रख दी थी और रुपया लिया था। इस तरह से बड़े किसानों ने लाभ उठाया। क्या ही अच्छा हो कि इस विधेयक में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय कि ३० एकड़ के जो बड़े किसान हैं, वे छोटे किसानों के अधिवासी हुये और छोटे किसानों की जमीन पा ली तो वह उनको वापस हो जायगी !

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है, कि जैसे पहले तीस एकड़ की पाबन्दी थी अब साढ़े बारह एकड़ की पाबन्दी इस विधेयक के द्वारा माननीय माल मंत्री जी चाहते हैं। मैं इस बात को निजी रूप से जानता हूं। बड़े किसानों ने जो तीस एकड़ से ज्यादा के थे उन्होंने दूसरों के नाम से जमीनों के बैनामे कराये और फिर उन लोगों से जिनके नाम उन्होंने जमीनें खरीदीं, चाहे उनके निजी आदमी थे या उनके परिवार के सदस्य थे, चाहे उनकी विवाहित लड़कियां थीं, उनके नाम से उन्होंने जमीनें खरीद कर बाद को उन लोगों से अपने हक में इस्तीफे ले लिये। एक पाबन्दी इस में यह भी लगानी चाहिये जिससे ऐसे लोग जिनको ज्यादा जमीन इकट्ठी करने का शौक है या जो जमीन के नाम पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का शोषण करते हैं उन पर रोक लगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धारा के अन्दर यह भी पाबन्दी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी जिसके पास साढ़े बारह एकड़ जमीन है या साढ़े बारह एकड़ जो खरीदेगा वह अगर किसी दूसरे से अपने हक में कोई इस्तीफा लेता है तो वह जमीन जो इस्तीफे के जारिये उस किसान से खाली होगी वह गांव समाज को जायगी ताकि ये बड़े-बड़े लोग जो बड़ी बड़ी तकावी सरकार से लेकर उधर सार्वजनिक रुपये की भोग करते हैं और इधर गरीब जनता का शोषण करते हैं वह कम से कम रुक जाय। मैं माननीय यादव जी को अपनी पूरी बात नहीं समझा पाया। इस तरह के केसेज होते हैं कि किसी ने अपनी विवाहित लड़की के नाम जमीन खरीदी और उसके बाद उससे बयान दिलवा दिया कि यह जमीन मेरी नहीं है, इनकी है, यह जोते रहे हैं। तो वह गांव समाज को नहीं जाती है। अगर जाती है तो मैं अपने यह शब्द वापस लेता हूं। अगर यादव जी कह रहे हैं तो ठीक है। इसके संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है। तो यह ऐसी टैक्टिक्स है जिनके जरिये से कुछ लोग अपने मुनीमों, भनेजों और लड़कियों के नाम से ज्यादा जमीनें खरीद कर ऊंचे दाम लगा कर जमीन को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने हक में लोगों के इस्तीफे दिलवा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। यह धारा ५४ के अन्तर्गत लग सकती है। मैं यह समझता हूं कि शायद यह मुमकिन तो नहीं होगा कि ३० अक्तूबर, १९५४ को धारा २४० (क) के अन्तर्गत जो अधिकार अधिवासियों को उस समय मिल गये थे वे शायद वापस न मिल सकें लेकिन यह सम्भव है और बड़ी आसानी से हो सकता है।

अगली बात मुझे यह अर्ज करनी है कि हमें इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे बड़ी बड़ी जोतों के लोग जिनकी जमीनें बेकार पड़ी हैं जो आज पाबन्दियों की वजह से अपनी जमीनें दूसरों को नहीं देते हैं वे एक तरह से राष्ट्र के साथ ज्यादती कर रहे हैं ; जमीन परती रखते हैं जब कि हमारे यहां खाद्यान्न की कमी है। इसमें इस तरह की पाबन्दी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी जमीन से एक निश्चित मात्रा में पैदावार नहीं करता तो उसकी भूमि सरकार ले लेगी और लेकर एक सामूहिक खेती का अनुभव खेतिहर मजदूरों को सहयोग समिति बना कर करेगी। इससे दो लाभ होंगे---एक तो यह कि जिनके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं उनको रोजगार और काम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरी बात यह कि हमारे राष्ट्र का फायदा होगा ; अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और हमारी भूमि अच्छे काम में आयेगी। तीसरी बात जो मुझे इस सिलसिले में निवेदन करनी है वह यह है कि अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं जो ५,५ सौ एकड़ से भी बड़े हैं और यह भी निश्चय है कि कुछ बड़े बड़े फार्मर ऐसे भी हैं जो अपने दूसरे काम

में लगे रहने के कारण इन फार्मों का इन्तजाम ठीक नहीं कर पाते हैं। जो सब से बड़ा खतरा इन बड़े फार्मों से रहता है वह यह कि बड़ी बड़ी तकावी इस राज्य की, बड़े बड़े फार्मों के नाम पर, जो छोटे किसानों को जानी चाहिये, वह बड़े फार्मों को चली जाती है। उससे एक फायदा यह होगा कि वह धनराशि जो बड़े फार्मों पर खर्च हो रही है कम से कम उसके लिये रोक लगेगी और वह उस रुपये को भविष्य में नहीं लेंगे। मेरे निवेदन करने का अभिप्राय यह है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रोक लगा सकते हैं उतनी सीमा की रोक लगानी चाहिये और हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि पुनर्वितरण के पहले कोई रास्ता ऐसा बाकी न रह जाय जिससे भूमि का दुरुपयोग हो और खेती पर काम करने वाले खेतिहर मजदूरों का शोषण हो।

मान्यवर, अगली बात जो मुझे इस सिलसिले में निवेदन करनी है वह धारा १२२ के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति से संबंध रखती है। भूमि प्रबन्धक समिति के अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं। ये भूमि प्रबन्धक समिति के लोग गांव पंचायत से चुनकर आयेंगे, जिस गांव पंचायत में खेतिहर मजदूरों की हैसियत से कोई भी आदमी शायद प्रान्त भर में न हो। यह हो सकता है कि कोई हरिजनों के नाम पर आ गया हो लेकिन जहां तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, उन खेतिहर मजदूरों का कोई भी आदमी उस भूमि प्रबन्धक समिति में नहीं आ सकेगा। वैसे उसमें हरिजनों के नाम पर बहुत आदमी आते हैं, और आयेंगे भी। अब भूमि प्रबन्धक समिति के अधिकार बढ़ने जा रहे हैं। मैं यह आशा करता हूं कि उस समिति में लावारिस भूमि के इन्तजाम का भी सवाल होगा और सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि का प्रबन्ध करने का भी अधिकार होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि, उस भूमि प्रबन्धक समिति में कम से कम भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये नहीं तो आज जैसे बहुत से किस्से सरकार जानती है और हम सब जानते हैं कि, गांव समाज की वह भूमि जिसके लिये यहां पर पहले निश्चित कर दिया गया था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन दी जाय वह उनको न मिलकर गांव समाज के प्रधानों ने अपने लड़के या भतीजे या खानदान के लोगों को दी। जिनको आगम के अधिकार के हिसाब से भी जमीन जानी थी उनको ही मिली। अनधिकार लोगों का गांव समाज की जमीन पर कब्जा है। सरकार या दूसरे लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिये अच्छा है और अच्छा ही नहीं बल्कि मैं तो आवश्यक समझता हूं कि उस भूमि प्रबन्धक समिति में भूमिहीन मजदूरों की नुमायन्दगी हो चाहे उसको सरकार जिलाधीश के द्वारा या परगनाधीश के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा नामांकित ही क्यों न कराये।

एक शब्द पर यहां बड़ी आपत्ति हुई और माननीय मंत्री जी को बहुत बुरा लगा। मैंने "प्रतिगामी" शब्द का प्रयोग किया था। मुझे अभी तक यह संशय है कि कोई पाबन्दी हमारे इस बिल से ऐसी लगने जा रही है कि ऐसा आदमी जिसको आगम के अधिकार से आगे चलकर साढ़े १२ एकड़ जमीन बाप की जमीन में से मिलेगी, वह साढ़े १२ एकड़ नहीं खरीद पायेगा। अगर ऐसी बात है, जो कि अभी स्पष्ट नहीं है तो मैं अपने उस कटु शब्द को, जिस पर बहुत आपत्ति हो रही है, वापस लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन उसी शर्त के साथ कि जो यह पाबन्दी है कि एक आदमी पर उसके बाप से मिलने वाली जमीन को मिला कर ही साढ़े १२ एकड़ हो सकता है। अगर ऐसा हो तो यह बिल अग्रगामी होगा, प्रगतिशील बिल होगा कि, पहले ३० एकड को सीमा निर्धारित की थी, अब हम उसको घटा कर साढ़े १२ एकड़ कर रहे हैं। तो इस माने में हम एक कदम आगे होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि मुझे अभी तक शुबहा है, तो मैं समझता हूं कि पीछे ही जाना हुआ। जब आदमी को छूट होगी कि बाप से मिलने वाली जमीन भी वह अपने पास रखेगा तो फिर साढ़े १२ एकड़ भी वह खरीद लेगा।

मान्यवर, एक बात और मैंने जरूरी समझी जो गांव समाज के भूमि के पट्टों के संबंध में है। इसमें यह तो दिया है कि गांव समाज की भूमि के जो पट्टे होंगे वे किन-किन व्यक्तियों

[श्री महीलाल]

को होंगे। यह तो हमारे पहले अधिनियम में मौजूद है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक सुधार होने जा रहा है कि ये वे लोग होंगे कि जो भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे और वे इस भूमि को नहीं ले सकेंगे। लेकिन इसमें हम यह चाहते हैं कि गांव समाज की भूमि के जो पट्टे हों वह परगनाधीश की स्वीकृति के बाद कार्यरूप में परिणत किये जायं। कोई भी भूमि प्रबन्धक समिति के अधिकारों की सीमा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिये कि उसका फैसला अंतिम फैसला हो और उसके फैसले के खिलाफ जब कोई शिकायत करे तभी वह फैसला लौटा जाय। मैं यह चाहता हूं कि उस फैसले पर पहले परगनाधीश की मुहर लग जाय उसके बाद वह भूमि जिसको दी जा रही है, उसके हक में जाय।

एक बात मुझे दाखिल खारिज के सिलसिले में अर्ज करनी है। यह ठीक है कि सुविधा की दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है कि कानूनगो दाखिल खारिज के मामले अपने तक रखें और उसको अंतिम अख्तियार होगा कि वह वहीं तय कर दे। यह बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझ से, आप से और साधारण जनता से छिपी नहीं है कि कितने अच्छे काम लेखपालों और कानूनगो तक होते हैं और अगर वे निरंकुश हो जायेंगे तो उचित न होगा। यह तो ठीक है कि उनके अधिकारों को काफी सीमित कर दिया गया है, काफी कोशिश यह की गयी है कि उनको इतने ज्यादा वसीअ अख्तियार न हों जिनका कि वे दुरुपयोग कर सकें, या हमारे किसानों को तंग कर सकें, लेकिन फिर भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि लेखपाल और कानूनगो भोलेभाले इन किसानों को, जिनका ज्ञान सीमित है, जिनकी जानकारी और पहुंच सीमित है, उनको किस तरह से परेशान और तंग करते हैं और अगर कहीं कानूनगो साहब को पूरा हक दे दिया गया तो उसका दुरुपयोग होने का ज्यादा भय है और लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है बमुकाबले उसके कि जो उनको हाकिम परगना और तहसीलदार के यहां जाने से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो मैं इस राय का हूं कि कानूनगो को अधिकार देकर जो सुविधा दी जा रही है वह अधिक महंगी पड़ेगी बमुकाबले इसके कि जो व्यवस्था आज तक चल रही है। मैं इन शब्दों के साथ अपना प्रस्ताव उपस्थित करता हूं और आप के द्वारा माननीय मंत्री जी तथा आदरणीय सदन से यह आशा करता हूं कि हमारे इस छोटे से प्रस्ताव को वे स्वीकार करें और जो आवश्यक सुधार हों और जो प्रगतिशील सुधार किये जा सकते हों उनको वह मानकर उन खेतिहर मजदूरों, जिनका संबंध भूमि से है, जो भूमि के अधिकारी हैं और भूमि उनको ही होनी चाहिये, उनकी दशा को सुधारने में सहायता पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री महीलाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उसके अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जावें...

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी प्रार्थना है कि अभी तो जनरल डिबेट हो रही है, संशोधन आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---यह माननीय मंत्री के प्रस्ताव पर संशोधन है, इसलिये यह इसी समय पेश होगा।

श्री माताप्रसाद---"तथा वह अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर दे।"

मान्यवर, मैं महीलाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १ महीने में सदन में प्रस्तुत कर दे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के द्वारा जहां हमारे किसानों को बहुत कुछ सुविधा और आराम मिला है उस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से छोटे छोटे किसानों को बहुत परेशानी भी हुई है और बहुत सी झंझटें भी पैदा हो गई हैं। यद्यपि सरकार और मंत्री जी चाहते थे कि किसी प्रकार की भी परेशानियां और झंझट किसानों के सामने न आवें और खेत जोतने वाला ही खेत का मालिक

हो, लेकिन इस कानून में स्पष्टता न होने के कारण हमारे गांवों में बहुत खराबियां पैदा हो गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और भूमिहीन सरकार से असन्तुष्ट हैं। एक दिन मंत्री जी ने बतलाया था कि शिकमी काश्तकार करीब १५ फीसदी बेदखल हुये हैं और लगभग ८५ फीसदी अपने अधिकार को पाये हैं और काबिज हैं। मैं जौनपुर जिले और उसके आसपास की बातों को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि लगभग ७५ फीसदी शिकमी काश्तकार बेदखल हो गये हैं और २५ फीसदी ही काबिज हो पाये हैं। लगभग २५ फीसदी शिकमी काश्तकार तो ऐसे बेदखल हुये जिनका नाम कागजों में दर्ज नहीं था। गांव के प्रभावशाली लोगों ने मिलकर लेखपाल से अपना नाम चढ़वा लिया जब उन्होंने देखा कि अब ऐसा समय आ रहा है कि जिनका नाम कागजों में होगा उसी को जमीन मिलेगी। इसके बाद मेरा अनुमान है कि २५ फीसदी ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने लाठी और डंडे के डर से अपनी जमीन छोड़ दी। हमारे जिले में आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं। अभी मई के महीने में बहुत से माननीय सदस्यों ने "आज" और "भारत" अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे जिले में केराकत में कुड़दौड़ नामक एक गांव है जहां एक शिकमी हरिजन काश्तकार ने मुकदमा लड़ कर ५ बीघे जमीन जीता और उस गांव के भूतपूर्व जमींदार ने उसके मकान में जिसमें बकरी बंधी थी आग लगवा दी और उसके घर की औरतों को बेइज्जत किया गया। कोई आग बुझाने के लिये भी नहीं आया और आज भी वह हरिजन अपने घर से भागा हुआ है और परेशान है। २५ फीसदी ऐसे किसान हैं जिन्होंने जबर्दस्ती के कारण इस्तीफा दे दिया।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूं तो अनुचित नहीं होगा। हमारे जिले की मड़ियाहूं तहसील में गोपालपुर एक गांव है जहां एक शिकमी काश्तकार २ बीघे जमीन का था। जरा वह कानूनी आदमी था और लड़ना-भिड़ना जानता था। एक रिश्तेदार आये जो इलाहाबाद जिले के थे, असल काश्तकार के। उन्होंने उससे कहा कि हमारी २ बीघा बहुत अच्छी जमीन निकली जा रही है। रिश्तेदार ने कहा कि इसका तो बहुत आसान तरीका है। उन्होंने अपने जिले में जा कर चोरी का मुकदमा उस शिकमी काश्तकार पर दायर कर दिया कि वह विन्ध्याचल आये थे, हमारे यहां टिके थे और कम्बल वगैरह ले कर चल दिये। वह बेचारा गिरफ्तार हो गया और वहां गया। असल काश्तकार ने जाकर उसकी जमानत दी और बाद में यह समझौता हो गया कि अगर तुम मेरी जमीन को छोड़ दो तो यह मामला खत्म कर दिया जायगा। मंत्री जी ने बतलाया कि बहुत थोड़े लोग इस तरह से बेदखल हुये हैं लेकिन वास्तव में.....।

श्री चरण सिंह--अगर आप इजाजत दें और माननीय मित्र इजाजत दें तो मैं यह पूछना चाहता हूं उनसे कि सारे जिले की बात तो छोड़ दीजिये, मगर उनके क्षेत्र में कुल कितने आदमी थे जो कि शिकमी तौर पर दर्ज थे और उनमें से कितने वाकई पिट कर बेदखल हो गये ?

श्री लाला प्रसाद--कागजों की या आंकड़ों की बात तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन गांव में जो बातें हुई हैं उन्हें मैं कह रहा हूं। जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से "आजादी का १०वां वर्ष" नामक पुस्तक से, जिसे माननीय श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रधान मंत्री थे, ने लिखा है, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं-- "उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की कमजोरियों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जमींदारों को इस बात की छूट दी गई है कि वे व्यक्तिगत काश्त में जितनी भूमि दिखा सकते हैं उतनी भूमि अपने पास रख सकते हैं। भूमि की अधिनियम में मात्रा निश्चित नहीं की गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भूमि के जोतने वालों को गैरकानूनी और जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया और भूमि के स्वामियों ने ओछे तरीके से अधिक से अधिक भूमि रखने का प्रयत्न किया। यह अनुमान किया गया है कि राज्य में पुराने जमींदारों ने जिनके लिये हल छूना तक भी पाप है, भूमि का कुल जितना भाग अपने पास रख लिया है वह उत्तर प्रदेश की कुल कृषि-योग्य भूमि का दसवां भाग है। इन जमींदारों की खेती

[श्री माताप्रसाद]

बहुत अकुशल रही है जब कि वे काश्तकार जिनको भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो गया था, या स्थायी अधिकार प्राप्त हुआ था, उत्साही और कुशल प्रमाणित हुये हैं, इसके बावजूद भी कि उनकी भूमि की स्थिति अच्छी नहीं थी।"

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि मंत्री जी ने इस संशोधन से १२॥ एकड़ भूमि भविष्य में एक व्यक्ति या परिवार के लिये निश्चित करने को कहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भूमि की सीलिंग क्यों नहीं करते हैं? जब आज योजना आयोग इस बात के लिये जोर दे रहा है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जानी चाहिये तथा सूबों को इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिये। आप सभी लोगों को साढ़े बारह एकड़ भूमि क्यों दे रहे हैं? मान लीजिये किसी घर में वयस्क ४ व्यक्ति हैं तो उनमें से हरएक को क्यों आप साढ़े बारह दे रहे हैं? जब कि उन में से बहुत से दूसरे स्थानों पर दूसरा काम करते हैं; कोई वकालत करता है, कोई दूकानदारी करता है तो कोई अध्यापक है या कोई और दूसरा काम कर रहा है। जब वह दूसरे साधनों के द्वारा अपनी रोजी पैदा करता है तो फिर उसको भूमि देने की क्या आवश्यकता है? इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे लोगों को भूमि मिल जाती है जो खेती नहीं करते हैं और अपने नौकरों के द्वारा करातें हैं। इससे खेती भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। आज हमारे कानून की वजह से खेत वे किसी को दे तो पाते नहीं हैं और स्वयं कर नहीं पाते हैं, इसलिये खेती बेकार पड़ी रहती है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि १५० या २०० रुपया मासिक जिनकी आय हो, किसी सरकारी नौकरी से अथवा किसी और साधन से इतना पैसा पैदा करते हों, उनको साढ़े बारह एकड़ जमीन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश में बेकारी बहुत बढ़ रही है, यदि आप भूमि की सीमा निर्धारित कर देंगे तो हमारी समस्या हल हो जायगी।

हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि अगर हम भूमि की सीलिंग मुकर्रर कर देंगे तो उस छुटी हुई भूमि को देने में बड़ी दिक्कत होगी। जो भूमि छोटे-छोटे काश्तकारों में वितरण की जायगी, उनको तकावी देनी होगी तथा और प्रकार से उनकी सहायता करनी होगी। पूरे सूबे में ५ लाख एकड़ भूमि बचेगी जिसके लिये हमें १० करोड़ रुपया मुआविजा के रूप में भी देना होगा। वह एक चीज और कहते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेती पर ही निर्भर कर देते हैं तो उसका यह परिणाम होगा कि हमारे देश में बहुत गरीबी हो जायगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग वास्तव में खेती करते हैं, उनको अवश्य ही जमीन मिलनी चाहिये।

मान्यवर, भूमि प्रबन्धक समिति के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह भूमि प्रबंधक समितियां, भविष्य में, वास्तव में हमारे यहां गांवों की बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था कर सकेंगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चकबन्दी के कारण भी जो जमीन छोड़ी जायगी, वह सब भूमि प्रबंधक समिति को दे दी जायगी। लेकिन उसके बारे में मेरी एक आपत्ति यह है कि ये भूमि प्रबन्धक समितियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। बहुत से ऐसे किस्से सुनने को मिले हैं कि बहुत सी ग्राम सभाओं के चेयरमैनों ने ऐसे लोगों को जमीनें दे दीं, जिनको वास्तव में नहीं मिलनी चाहिय थी। यद्यपि अधिनियम में ऐसी व्यवस्था रखी गयी है कि ऐसी भूमि केवल भूमिहीनों को ही मिलनी चाहिये परन्तु मौके पर ऐसे लोगों को ऐसी भूमि नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि भूमि प्रबंधक समितियों में ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व रखा जाय, जिनके पास कोई जमीन न हो।

यह भी देखने में आया है कि लोगों के किसी स्थान पर पचासों साल से घर बने हुए हैं, उनकी आबादी है, लेकिन वह कागजात में दर्ज नहीं है। कहीं पर खेती दर्ज है, कहीं पर बाग दर्ज है और कहीं पर दूसरी चीजें दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये कि जहां पर जिनके मकान बन गये हैं और जहां पर वे निवास कर रहे हैं वह जमीन उनको दे दी जानी चाहिये।

मान्यवर, इस अधिनियम के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने एक बार कहा था कि करीब ५ लाख परिवार हैं जिनकी आबादी करीब ८ लाख है और ये लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और करीब ६० लाख ऐसे लोग हैं जो अलाभकर जोत वाले हैं तो उनकी भूमि नहीं बंट सकती है। मैं चाहता हूं कि जो अलाभकर जोत वाले हैं उनको आप जमीन दें या न दें, लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खेत नहीं है, भूमिहीन हैं और खेती कर सकते हैं उनको जमीन क्यों नहीं दी जाती? जबकि यह सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है कि भूमि की सीमा जितनी कम होगी उतनी ही अधिक पैदावार होगी और जिस सिद्धांत को माननीय मंत्री जी मानते हैं तो फिर वह क्यों हिचकते हैं भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े करने में?

एक चीज और है। भूमि बड़े-बड़े टुकड़ों में रहने से एक आशंका और है कि लोग भूमिहीन और बेकार होते जा रहे हैं। एक ओर ट्यूबवेल्स और नहरें बनती जा रही हैं और दूसरे हितकर कार्य हो रहे हैं यद्यपि देश के लिये ये बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन, मान्यवर, ऐसे लोग जो मजदूरी करके खेती पर अपना जीवन निर्वाह करते रहे हैं आज उनके लिये बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो गई है। इनके लिये कम से कम कोई न कोई व्यवस्था इसमें जरूर होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ जो प्रस्तुत किया है मैं उसमें यह संशोधन *प्रस्तुत करता हूं कि उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे इस संशोधन के प्रस्तुत करने के जो कारण हैं उन पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं इस विधेयक में माननीय मंत्री महोदय ने जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं उनको पढ़ देना चाहता हूं :--

> "संशोधन अधिनियम संख्या १८६, सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित १९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, के पिछले दो वर्षों के कार्यान्वय से कुछ न्यूनतायें प्रकट हुई हैं। उदाहरणार्थ नियमित वादों द्वारा भूमि सुधारों के विभिन्न उपायों को प्रभावी बनाने के लिये गांव समाज को दिये गये अधिकार बाधाओं से परिपूर्ण पाये गये। गांव-समाज के मुकदमों के संचालन में भी कठिनाइयां हुईं। सर्वसाधारण की यह मांग रही है कि कम खर्च पर वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये भूमिधरों के वाद तथा कार्यवाहियां राजस्व न्यायालयों द्वारा ही तय होने चाहिये। अनावश्यक विलम्ब और व्यय से बचने के लिये यह भी आवश्यक प्रतीत हुआ कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों को पुनर्वासन अनुदान के अवधारण तथा भुगतान के लिये प्रार्थना-पत्र उचित समय के भीतर ही दे देनी चाहिये।
>
> नामान्तरण वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये कोई रीति निर्धारित करना भी नितान्त आवश्यक है। धारा १५४ के अधीन संयुक्त परिवार की व्याख्या इस प्रकार की जा रही है कि कोई एक कमाने वाला व्यक्ति तीस एकड़ से उतनी गुनी भूमि अधिकार में रख सकता है जितने कि परिवार में वयस्क सदस्य हों। परिवार की परिभाषा में परिवर्तन के फलस्वरूप भावी उपार्जनों की अधिकतम सीमा का घटाना भी अपेक्षित है। पूर्वोक्त कठिनाइयों के तथा कुछ अन्य क्षुद्र दोषों के निवारणार्थ यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।"

अधिष्ठाता महोदय, इसमें चार बातों पर बल दिया गया है कि वर्तमान ग्राम समाजों को दिये गये अधिकार बाधाओं से परिपूर्ण हैं। ग्राम समाज के सम्बन्ध में व्यवस्था है कि जो भूतपूर्व

---

*मा० अध्यक्ष के २६ सितम्बर, १९५८ के निर्णय के अनुसार श्री लहरी के संशोधन पर मत नहीं लिये गये।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जमींदार थे उनको जो पुनर्वासिन अनुदान देना है, उसकी व्यवस्था के लिये इस विधेयक में मांग की गयी है। साथ ही साथ धारा १५४ के मुताबिक जो अब तक संयुक्त परिवार की प्रणाली थी, अब एक परिवार की नयी परिभाषा की जा रही है और लोगों के लिये अधिकतम जमीन की सीमा निश्चित की जा रही है। आज जो यह विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, जब कि हमारा यह वर्तमान अधिवेशन बुलाया गया था उस समय इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं थी, एकाएक यह विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और यह विधेयक भी शीघ्रातिशीघ्र पारित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज इसका प्रदेश के समस्त ग्राम समाज पर प्रभाव पड़ने जा रहा है और जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, भूतपूर्व जमींदार थे उनके पुनर्वासिन अनुदान के भुगतान के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जा रहे हैं। अभी तक ३,३७,००० प्रार्थना-पत्र उनके यहां आये हैं जब कि ७९,००,००० भूतपूर्व जमींदारों से इसका सम्बन्ध पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि लगभग ७६,००,००० भूतपूर्व जमींदारों को अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है।

तीसरी चीज जो कि संयुक्त परिवार की है वह भारतीय संस्कृति को बिलकुल झकझोरने वाली चीज है और उसका प्रभाव सभी भारतीयों पर पड़ेगा। मैं यह कह रहा हूं कि कहा तो यह गया है कि यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक है, लेकिन इसका प्रभाव करोड़ों व्यक्तियों के ऊपर और हजारों ग्राम समाजों के ऊपर पड़ेगा; तब मैं तो कहूंगा कि भारत की भावी नीति को निर्धारित करने के लिये इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। ऐसी अवस्था में यह नितान्त आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को, जनता के जिन भागों को इस विधेयक से लाभ या हानि होने की आशंका है, उनको समय से पूर्व इस बात की चेतावनी दे दी जाय कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से यह व्यवस्था करने जा रही है। युद्ध की चेतावनी भी पहले दे दी जाती है, तो क्या हम यह नहीं कर सकते हैं कि जिन लाखों और करोड़ों व्यक्तियों पर इसका असर पड़ने जा रहा है उन व्यक्तियों का मत जानने के लिये, इस विधेयक को जनता में प्रचारित करने के लिये भेज दें? इसीलिये मैंने मांग की है कि इस विधेयक को जनता में मत जानने के लिये प्रचारित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं इस प्रस्तुत संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में आपके सम्मुख अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि ८ अप्रैल को जितने विधायक हैं उनके पास एक पत्र भेजा गया था यह दरख्वास्त करते हुये कि इस तरह का संशोधन करने का विचार है, लिहाजा जो आपके सामने कठिनाइयां हों या जो सुझाव हों वे गवर्नमेन्ट को दें तो गवर्नमेन्ट बहुत कृतज्ञ होगी। तो मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उस पत्र का जवाब दे दिया है। मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने जवाब दे दिया हो, लेकिन मैं पूछता हूं कि उसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, आज उसको ४,५ महीने हो गये।

श्री जगन्नाथ लहरी--इस तरह सैकड़ों तरह के विचार रोजाना आप देते रहते हैं, एक विचार आज है फिर वह विचार बदल गया, तो इस तरह से कोई जानकारी तो थी नहीं कि अब आपके विचार में क्या है, इसलिये मैंने आपके उस पत्र का उत्तर देने की जरूरत नहीं समझी।

मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा धारा ११८, १२० और १२१ को निकाला जा रहा है जिनके द्वारा ग्राम-समाज की स्थापना होती थी। अब ग्राम-समाजों की जगह नयी भूमि प्रबंधक कमेटियों की स्थापना की जा रही है, अब भूमि-प्रबंधक कमेटीज बनेंगी। अब तक यह होता था कि ग्राम पंचायत का हर सदस्य ग्राम समाज का सदस्य हो जाता था और उसका अध्यक्ष ग्राम-समाज का अध्यक्ष होता था। लेकिन अब जो भूमि प्रबंधक समितियां

बन रही हैं वह इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि ग्राम समाज की जगह पर जो भूमि प्रबंधक समितियां बनेंगी उसमें ग्राम पंचायत का हर निर्वाचित सदस्य उसका सदस्य नहीं होगा, बल्कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा भूमि-प्रबंधक समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराया जायगा जिस तरह कि अदालती पंचायत के लिये अदालती पंचों का निर्वाचन कराया जाता है और फिर जिस तरह अदालती पंचायत के सदस्य हो जाने पर वह ग्राम पंचायत के कार्य से मुक्त होकर अदालती पंचायत की ही सीमा में रहते हैं, उसी तरह इन भूमि प्रबंधक समितियों में भी सरकार चाहती है। इन भूमि प्रबंधक समितियों के कितने सदस्य होंगे इसकी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। जब नियम बन जायेंगे तब सरकार इसकी घोषणा करेगी कि इनमें कितने सदस्य होंगे, कौन इसका सभापति होगा, कौन इसका सेक्रेटरी होगा। एक नया चुनाव ग्राम समाज के लिये होगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर ग्राम-समाज का ही नाम भूमि प्रबंधक समिति हो जाय, नाम परिवर्तित हो जाय, तो इसमें किसी भी आलोचना या विवाद की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज भूमि-प्रबंधक समिति के चुनाव की प्रणाली अलग हो गई, साथ ही साथ उसका कोष अलग हो गया। अभी माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि ग्राम-समाजों के पास धन की बहुत कमी है और वह मुकदमें भी नहीं लड़ सकते। इसलिये १५ परसेंट तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ग्राम समाजों के फंड में से अनिवार्य रूप से जमा करा के एक अलग कोष की स्थापना करेगा। यह कम्पलसरी बनाया गया है जिससे कि वह मुकदमें चला सकें। जिन भूमि प्रबंधक समितियों की आर्थिक स्थिति यह है कि उनकी भूमि पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उनके पास मुकदमा तक लड़ने के लिये पैसा नहीं है, उनके लिये, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधान बनाया जा रहा है, भूमि-प्रबंधक समितियों के लिये जो कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं, उनसे तो ऐसा मालूम होता है कि भूमि-प्रबंधक समितियां ग्रामों में स्वर्ग ला देंगी। मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं---

"पूर्वोक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, भूमि-प्रबंधक समिति के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे :

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबंध,
(ख) गांव-समाज द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन ,
(ग) कृषि का विकास तथा उन्नति,
(घ) जंगलों तथा पेड़ों की रक्षा, रखरखाव तथा विकास,
(ङ) आबादी के स्थलों तथा ग्राम्य संचार साधनों का रखरखाव ,
(च) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध ,
(छ) सहकारी खेती का विकास,
(ज) पशु-पालन का, जिसमें मत्स्य-संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी है, विकास,
(झ) जोतों की चकबंदी,
(ञ) कुटीर-उद्योगों का विकास,
(ट) मीनाशयों तथा तालाबों का रखरखाव तथा विकास, तथा
(ठ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं ।

तो गांव के विकास की जितनी भी योजनायें हैं उनका सारा का सारा भार इन भूमि-प्रबंधक समितियों पर पड़ेगा जिनके पास इतना पैसा भी नहीं कि अपना एक मुकदमा भी लड़ सकें। आज प्लानिंग के सारे के सारे कार्य इन भूमि-प्रबंधक समितियों के हाथ में होंगे। पता नहीं सैकड़ों की सालाना आमदनी वाली ये भूमि प्रबंधक समितियां किस प्रकार हजारों और लाखों के इस व्यय का प्रबंध करेंगी ! नोट छापने का तो शायद उन्हें अधिकार दिया नहीं जायगा। तो यह व्यर्थ में दिखाने के लिये जो भूमि-प्रबंधक समितियों को इतने अधिकार देने की व्यवस्था की जा रही है इसे सिवाय मृगतृष्णा के और कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---भूमि-प्रबंधक समिति अब भी मौजूद है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---जी हां, मालूम है मुझे । लेकिन मैं यह कह रहा था कि आज की यह सैकड़ों की बजट वाली भूमि प्रबंधक समितियां प्लानिंग के इतने बड़े हर तरह के काम करने जा रही हैं और साथ ही साथ, श्रीमान् जी यह आप लिखते हैं कि---"भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबंध"। अभी तक तो हम यह सुनते थे कि यू० पी० सरकार का एक बन्दोबस्त कानून बना हुआ है जिसके मुताबिक बन्दोबस्त किया जाता है । चकबंदी का एलान हो जाने के बाद चकबंदी अधिकारी उस गांव का पुनः बन्दोबस्त करता है, लेकिन अब हर ग्राम में बन्दोबस्त का काम भूमि प्रबंधक समितियां करेंगी । उनको अधिकार दे दिया गया है कि आप बन्दोबस्त कीजिये । अब उनका सबसे बड़ा कर्त्तव्य यह होगा कि वह जमीन का बन्दोबस्त करेंगी ।

(व्यवधान)

बन्दोबस्त के माने आप जरा देख लें ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने यह बात कहना चाहता था कि जिन भूमि प्रबन्धक समितियों के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, उनके चुनाव की एक रीतिनीति निर्धारित की गई है । तो क्या ग्राम समाजों का लोप हो जायगा ? इन पंचायतों का क्या होगा ? और उनका क्या काम रह जायगा ? उनका कार्यकलाप एक संदिग्ध अवस्था में पड़ गया है । इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि गम्भीरतापूर्वक हम सब लोग इस पर विचार करें और मत प्रकाशित कर सकें ।

अब मैं एक और बात इन भूमि प्रबन्धक समितियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उन में कौन व्यक्ति नहीं रहेंगे इस बात का जहां उल्लेख किया गया है वहां लिखा गया है कि "राज्य सरकार का ऐसा सेवक हो, जो गांव समाज के किसी क्षेत्र में या उस के किसी भाग में काम करता हो"। वह भूमि प्रबन्धक समिति में नहीं रहेंगे । तो राज्य सरकार के सेवक नहीं रहेंगे, लेकिन उन लोकल बाडीज के कर्मचारियों का, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के क्षेत्र में रहते हैं उन का क्या होगा ? बहुत से जिला बोर्ड के वे कर्मचारी गांव में रहते हैं । पहले राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकाय वालों पर भी प्रतिबन्ध लगा था, लेकिन अब आप स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को छूट दे रहे हैं कि वे सदस्य रह सकते हैं। तो जिला बोर्ड के वे कर्मचारी जो गांव में रहते हैं बिना किसी हिच-किचाहट के इन भूमि प्रबन्धक समितियों में आ सकते हैं और जिला बोर्ड की समाप्ति के बाद जो नया जिला परिषद् विधेयक आने वाला है, अभी सदन के सामने उसकी रूपरेखा नहीं आई, लेकिन अनियमित रूप से जब चर्चा हुई तो बताया गया कि जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन इन ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जायगा, तो जिला परिषदों के सदस्य भी जब पंचायतों द्वारा निर्वाचित होंगे, तो एक तरह से अब पंचायतों के हाथ में ही जिला परिषदों की सारी सत्ता होगी । अगर जिला बोर्ड के कर्मचारी ग्रामों की भूमि प्रबन्धक समिति के चुनावों में भाग लेंगे तो यह चीज कहां तक उचित है, इस पर जरा विचार किया जाय ।

सन् १९५७ के पंचायत राज ऐक्ट में एक संशोधन किया गया है, उसके मुताबिक १०९ और ११० के तमाम अपराधियों को, जिनको मुचलके की या कैद की सजा हुई है वह पंचायतों के सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन इस विधेयक में केवल ११० के अपराधियों पर ही रोक लगायी गयी है और १०९ वालों पर कोई रोक नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि उनको क्यों छोड़ा गया है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो भूमि प्रबन्धक समितियां बनाने जा रहे हैं इस बिल के अनुसार उसमें ऐसी दिक्कतें आयेंगी जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है । इसलिये इस बात की आवश्यकपता है कि हम लोगों के मतों को जान लें ।

एक दूसरी बात और है जो मुझे सदन के समक्ष रखनी है कि इन ग्राम समाज तथा भूमि-प्रबन्धक समितियों का संचालन लेखपालों के हाथ में होगा। अबतक का अनुभव बताता है कि वहां लेखपाल ही, जो सेक्रेटरी होता है सर्वेसर्वा है। मैं कल यहां उपस्थित नहीं था, लेकिन जिस समय यहां जोत-चकबन्दी विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो माननीय माल मन्त्री जी ने बार-बार टीका-टिप्पणी की कि मैंने यहां भ्रष्टाचार का नारा लगाया और कोई मिसाल नहीं दी। मैंने उस समय भी कहा था और अब भी मेरे पास कागजात मौजूद हैं और पुनः कहता हूं कि भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मैंने मन्त्री जी के पास भिजवाईं, परन्तु जहां मन्त्री जी अपने कर्तव्य के लिये तैयार हैं वहां मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे द्वारा भिजवाई हुई किसी शिकायत पर कार्यवाही करना तो अलग रहा उन्होंने उत्तर भी नहीं भेजा। मैंने एक घटना ग्राम समाज के सम्बन्ध में भेजी थी। एक ग्राम समाज जो कि ग्राम हिम्मतपुर, परगना एटा सकीट का है उसके सम्बन्ध में है। वहां के लेखपाल हरस्वरूप ने यह किया कि गांव समाज की बिना किसी मीटिंग के बुलाये हुए रजिस्टर में एक कार्यवाही दर्ज कर दी है और एक प्लाट को एक व्यक्ति के नाम लिख दिया कि ग्राम समाज ने उसका पट्टा कर दिया। ४ सदस्यों की उपस्थिति दिखायी गयी। रजिस्टर डी० एम० के सामने पेश किया गया, अगर मंत्री महोदय चाहें तो तार देकर उनको बुला सकता हूं और रजिस्टर दिखा सकता हूं, जहां दस्तखत कराये जाते हैं। लेकिन उस दिन जो कार्यवाही की गयी ६ फरवरी, १९५७ को, वह फरजी कार्यवाही थी, किसी सदस्य को जानकारी नहीं थी। चुनाव हुआ। जब दूसरे चेयरमैन के पास रजिस्टर आया और अमलदरामद वाली चीज आयी तो पता चला कि इस जमीन का पट्टा तो कर दिया गया। अधिकारियों के सामने वह चीज लायी गयी। जिलाधीश के पास जब नये निर्वाचित प्रधान ने कागज दिखाये तो जिलाधीश ने कहा कि तुरन्त कार्यवाही की जाय और जरूरत हो तो डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स को मामला सौंप दिया जाय। एस० डी० ओ० ने स्वयं इन्क्वायरी की तथा इस सम्बन्ध में उनका जो आर्डर था, उसके शब्द मैं सुना दूं---

"I have also heard Sri Har Swaroop, Lekhpal, Secretary of L. M. C. who is present. He has not given any satisfactory explanation. It seems proper that he should be transferred to another circle."

उसमें फिर उन्होंने लिखा है,

"So Har Swaroop, Lekhpal, is transferred to Bichpuri Circle vice Sri Ram Prasad, Lekhpal....."

यह उन्होंने आर्डर किया उनके ट्रांस्फर के लिये और आदेश दिया कि ४ दिन के अन्दर वह चार्ज ले लें। मैं आपको बता रहा हूं कि १५ महीने का समय व्यतीत हो गया। डी० एम० ने डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स को मामला देने के लिये लिखा। एस० डी० ओ० इस नतीजे पर आये कि यह शिकायत सही है और तत्काल उन्होंने ट्रांस्फर के लिये आर्डर दिया, लेकिन लेखपाल उसी जगह पर कायम हैं। जितने कागज जाते हैं वह दफ्तर में दबा दिये जाते हैं। मैंने एटा के जिलाधीश को ९ अगस्त को एक पत्र लिखा था जिसमें जिलाधीश के, एस० डी० ओ० के, पंचायत के सब आर्डर्स की प्रतियां भेजी गयीं, पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है। वे कागज वहां भी दबाये गये। जब मैंने इसके उपरान्त माल मन्त्री जी के पास एक उसकी प्रति भेजी तो उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री चरण सिंह---कौन सी तारीख को ?

श्री जगन्नाथ लहरी---९-८-१९५८ को। यह रखी हुई है। मैं अब एक दूसरी घटना सुनाना चाहता हूं। यह घटना १४ दिसम्बर, १९५७ की है। माल मन्त्री महोदय ने इस सदन में दिसम्बर में घोषणा की थी कि कोई शिकायत बतलाइये चकबन्दी के किसी कर्मचारी के बारे में तो फौरन कार्यवाही की जायगी। तो मुझे जानकारी नहीं थी। जब मैं अधिवेशन के बाद अपने क्षेत्र में गया जहां मैंने मीटिंग करके सारी कार्यवाही बतलायी। तो फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी के चीफ सेनीटरी, इन्सपेक्टर, श्री व्रजभूषण शर्मा, ने मन्त्री महोदय को लिखा कि

[श्री जगन्नाथ लहरी]

"मुझे साहस हुआ कि सिकन्दराबाद के एक लेखपाल के द्वारा जो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का यह सारा मामला आप के पास भेजूं, प्रार्थना-पत्र के साथ-साथ सभी अदालतों के आर्ड्र्स की प्रतियों की नकलें भी लगी हुई हैं लेकिन मन्त्री महोदय, मुझे दुःख है कि उस पर आपने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। आपके लेखपाल ने कितनी ४२० की है!" मैं सिर्फ अदालत के उस फैसले से कुछ सुनाना चाहता हूं, उसमें यह लिखा है---

".....from the Court of Judicial Officer by misrepresenting the true facts as he applied in the Court of Judicial Officer that this land was within the limits of Municipal Board, where U. P. Z. A. and L. R. Act does not apply and one Sri Ram Swarup was joined the opposite party as the Zamindar of this land whereas contrary to this land lies outside the limits of Municipal Board and has vested in the Gram Samaj on the passing of Z. A. and L. R. Act. Moreover, Sri Ram Swarup who was joined as a party in the Court of Judicial Officer as the Zamindar and Lambardar of this land, was never Zamindar or the Lambardar of it. Thus, he kept the Court in dark and got the order passed fraudulently."

हिन्दी में मैं इसका अनुवाद किये देता हूं। एक लेखपाल हैं। सिकन्दराबाद में उन्होंने गांव समाज की एक जमीन का पट्टा दूसरे शख्स को कर दिया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यह ग्राम समाज की नहीं है। यह सिकन्दराबाद की म्युनिसिपैलटी के अन्दर की जमीन है और वह लेखपाल साहब स्वयं उसके जमींदार व नम्बरदार बन गये और जमीन्दार व नम्बरदार की हैसियत से उस जमीन का उन्होंने पट्टा किया और अदालत को धोखा दिया कि वह जमीन म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर है, बाहर नहीं, लेकिन वह जमीन न म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर थी और न वह उसके मालिक थे, लेकिन इतनी हिम्मत लेखपाल साहब ने की कि उसका पट्टा कर दिया एक व्यक्ति के नाम और अदालत में जाकर लिख कर वह देता है कि मैं नम्बरदार हूं और अब अदालत ने सारे मामले की छानबीन की तो साबित हुआ कि लेखपाल ने इस तरह से धोखा दिया है।" आज जब एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत में सरकार को उसकी जालसाजी के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिये था मन्त्री महोदय ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की; और वह बदस्तूर लेखपाल बना हुआ है। आज हालत यह है कि ग्राम समाज की जमीन का मालिक खुद लेखपाल बन रहा है और उसी लेखपाल को मन्त्री महोदय इतने अधिकार देने जा रहे हैं।

इस सदन के सामने मैंने दो कांक्रीट मिसालें उनके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की दीं। इन दोनों मिसालों के सम्बन्ध में मेरे पास फाइलें मौजूद हैं। माल मन्त्री महोदय अगर चाहें तो उनके सामने मैं उनको पेश कर सकता हूं यद्यपि पूरे फैसले की नकलें उनके पास भेजी जा चुकी हैं। अधिष्ठता महोदय, जिन ग्राम समाज की भूमि-प्रबन्धक कमेटी को मन्त्री महोदय अधिकार देने जा रहे हैं उसके सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है, काफी पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो लेखपाल ही सर्वेसर्वा होगा और जमीन का मालिक भी वही होगा। उसकी शिकायत जब अधिकारियों के सामने रखी जाती हैं तो उच्च अधिकारी चाहे कुछ आर्डर करते रहें उसकी कोई सुनवाई वह नहीं करता, सर्वशक्तिमान लेखपाल ही रहता है और ग्राम समाज की जमीन का सर्वाधिकारी भूमिप्रबन्धक कमेटी का मंत्री बना कर पुनः आप उसे देने जा रहे हैं। इन शिकायतों को देखते हुए आप पुनः इस पर विचार करने की कृपा करेंगे?

आपने दूसरी चीज इस बिल में यह लिखी है कि सारे मध्यवर्ती जो कि पहले जमींदार कहलाते थे, जिनकी जमींदारियां खत्म हो गयीं, उनको करीब-करीब मुआविजा आपने ९९.७५ (पौने सौ) परसेंट अदा कर दिया है, लेकिन पुनर्वासन अनुदान जो आप उनको देना चाहते हैं उसका रुपया भी उतना ही है जितना कि जमींदारी के मुआवजे के रूप में दिया गया यानी वह ६८ करोड़ रुपये के करीब होगा। उसके लिये आपने अभी तक कोई मुद्दत नहीं बांधी थी। आपने

३ साल की मुद्दत का अब इसमें विधान किया है । इसका असर ७९ लाख जमींदारों पर पड़ने जा रहा है । लिहाजा इस बात की आवश्यकता है कि इन ७९ लाख व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को इस बात की सूचना हो जाय कि उनको पुनर्वासन अनुदान ६८,००,००,००० के करीब मिलने वाला है । इसके लिये आपने यह भी प्रतिबन्ध लगाया है कि ३ वर्ष के भीतर अगर कोई प्रार्थना-पत्र नहीं देता है तो उसे यह अनुदान मिल सकेगा । इसलिये इसको जनमत के लिये घुमाना बहुत आवश्यक है ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो संयुक्त परिवार वाली बात है और साढ़े १२ एकड़ वाली बात है इस विधेयक में रखी गयी है । अध्यक्ष महोदय, संयुक्त परिवार और साढ़े बारह एकड़ या दो शब्द आज नई पद्धति को जन्म देंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो यह संयुक्त परिवार की नई परिभाषा की गई है क्या यह अंग्रेजों के परिवार की परिभाषा नहीं है ? अंग्रेजी परिवार की भी यही परिभाषा है जो माननीय मन्त्री जी इस कानून के अन्दर प्रस्तुत कर रहे हैं । हर अंग्रेज जिसके लड़के लड़कियां बालिग हो जाते हैं वह परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं । उसके परिवार के सदस्य स्त्री और उसके नाबालिग बच्चे ही माने जाते हैं । आज इस भूमि-व्यवस्था संशोधन विधेयक के अन्तर्गत एक नई धारा के द्वारा जो हमारे प्रदेश के अन्दर, जिसमें बहुमत उन लोगों का है जो संयुक्त परिवार प्रणाली को अपनाते हैं, उनके जरिये अंग्रेजों वाली परिभाषा को जबरन लादा जा रहा है । आज हमारा नारा लगता है कि सामूहिक खेती की जाय । लेकिन एक परिवार के व्यक्ति जो सामूहिक खेती करते हैं उनको जब अलग किया जाता है तो सामूहिक खेती कैसे होगी ? जब एक ही परिवार और एक ही खानदान के व्यक्ति सामूहिक रूप से नहीं रह सकते हैं तो फिर आप यह नारा कैसे लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मन्त्री जी ने कही कि यदि कोई आदमी एक नोटिस देता है, जिसमें १५ आने के टिकट लगते हैं, कि मैं इस परिवार से अलग होता हूं तो वह अलग मान लिया जाता है । जो सेल्स-टैक्स और इनकम-टैक्स की चोरी होती है उसमें लोग इस तरह की घोषणा करते रहते हैं कि वह संयुक्त परिवार में नहीं हैं जिससे टैक्स कम पड़े । मैं पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक इनकम-टैक्स के लिये बनाया जा रहा है या यह किसानों पर लागू होगा ? सेल्स-टैक्स और इनकम-टैक्स से किसानों का कोई सबंध नहीं है । किसानों को किसी फर्म के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है । क्या किसान को कोई फर्म रजिस्टर करानी होती है जिसके लिये यह डिक्लेयर करना जरूरी होता है कि वह ज्वाइंट फैमिली का मेम्बर है या इंडिपेंडेंट है । किसान को तो किसी डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है । जो संयुक्त परिवार की परिभाषा यकायक इसमें रख दी गयी है इससे किस को लाभ होगा । जो मन्त्री जी की उम्र के हैं या उनकी अवस्था से ज्यादा हो गये हैं उन लोगों को लाभ हो जायगा । लेकिन नौजवान लोगों को कोई लाभ नहीं होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है । मैं जमीन लूंगा तो साढ़े बारह एकड़ ही ले सकता हूं लेकिन इस नई परिभाषा के अनुसार मेरे बालिग लड़के लड़कियां सब अलग-अलग साढ़े बारह एकड़ जमीन ले सकते हैं । इसलिये मन्त्री जी के उम्र के लोगों को लाभ हो जायगा । एक परिवार के पास जो जमीन है वह तो रहेगी, इसके अलावा जो बालिग लड़के और लड़कियां हैं वह अलग से साढ़े बारह एकड़ के हिसाब से जमीन ले सकते हैं । इसलिये आज एक नयी पद्धति को जन्म दिया जा रहा है कि नौजवानों के ऊपर तो प्रतिबन्ध रहेगा और बड़ी उम्र के लोगों को सुविधायें दी जा रही हैं । संयुक्त परिवार के अन्तर्गत सीमा बांध दी थी कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रह सकेगी लेकिन इस नई परिभाषा के अनुसार जैसा कि आपने कहा यदि किसी के चार पुत्र हैं तो वह ५० एकड़ जमीन ले लेंगे और जिसके १०० पुत्र होंगे वह १,२५० एकड़ ले लेंगे । मैं नहीं कह सकता कि आपका यह कदम प्रतिक्रियावादी है और मैं माने लेता हूं कि आपका कदम क्रांतिकारी है, लेकिन वह आप जैसे हम उम्र के लोगों के लिये ही है । यदि भावी पीढ़ी के नौजवान जो बड़ी-बड़ी आशायें लेकर आयेंगे उनके लिये आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, उनके लिये तो आपका यह कदम प्रतिक्रियावादी ही रहेगा । इसलिये मैं बहुत विनम्र शब्दों में माननीय माल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी उम्र के लोगों के लिये तो सुविधायें दे रहे हैं लेकिन हम नौजवानों के रास्ते में क्यों कांटे बो रहे हैं ।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

मैं एक बात और उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो परिवार की परिभाषा दी है वह ठीक है, उत्तराधिकार द्वारा जमीन तो हमें मिल ही जायगी, लेकिन उनके कानून के मुताबिक दादी की जमीन के उत्तराधिकार की कोई व्यवस्था है दादा के मरने के बाद ? फर्ज कर लीजिये कि मैं काश्तकार हूं तो मेरे दादा की मृत्यु के बाद मेरे पिता उस काश्त के मालिक हो गये। मेरे पिता का परिवार अलग हो गया। चाचा का अलग हो गया। लेकिन अगर दादी के लिए किसी भी जमीन की व्यवस्था नहीं है, तो अगर दादी के नाम से खरीद लें तो कैसे रोक सकेंगे ? दादी के लिए क्या रुकावट है ? नानी के लिए क्या रुकावट है ? (व्यवधान) आप शान्तिपूर्वक सुन लें। मैंने भी आपकी बात सुनी थी, मैंने दादी की मिसाल दी।

दूसरी चीज में यह पूछना चाहता हूं कि सब धान २२ पसेरी, यह क्या मामला है ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। आज यह जमींदारी अबालिशन और भूमि-व्यवस्था बिल चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि इस यू० पी० में भी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा का नारा बुलन्द होने वाला है और वह बिलकुल कार्य-रूप में परिणत हो गया है। कल ही हमने चकबन्दी के कानून में तय किया है कि खल्लर, ऊसर, बंजर और वाटर लागिंग वाली जमीन, ऐसी जो अनुपयोगी जमीन हैं वह चकों से अलग रखी जायगी। लेकिन भूमि-व्यवस्था विधेयक में कोई व्यवस्था साढ़े बारह एकड़ के सम्बन्ध में नहीं है कि वह कैसी जमीन हो। साढ़े बारह एकड़ ले लीजिये चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मिट्टी हो। जो उपयोगी जमीन है वह भी साढ़े बारह एकड़ रहेगी और बीहड़, ऊसर और वाटर लागिंग वाली जमीन भी साढ़े बारह एकड़ रहेगी---अगर किसी के पास बदकिस्मती से बिल्कुल अनुपयोगी जमीन साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा आ गयी, जिसमें वह अपने श्रम से पैदा नहीं कर सकता, तो वह दूसरी जमीन खरीद ही नहीं सकेगा--- तो मैं पूछना चाहता हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा की कहानी को क्यों चरितार्थ कर रहे हैं ?

अगर हम चाहते हैं कि यह बदनामी हमारे ऊपर न आये, यह लांछन हमारे ऊपर न आये कि इस सदन को चौपट राजा के नाम से पुकारा जाय---मैं यह कतई नहीं कहता कि आप साढ़े बारह एकड़ की व्यवस्था क्यों करने जा रहे हैं, मैं यह चाहता हूं कि कम से कम ऐसा संशोधन कर दें कि इस तरह की अनुपयोगी जमीन जो ऊसर, बीहड़, वाटर लागिंग वगैरह की होगी ऐसी जमीन के अतिरिक्त उपजाऊ जमीन को साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेंगे---तो यह संशोधन उपयुक्त समझा जायगा। लेकिन अगर इसी रूप में यह रहा तो यह हमारी प्रगति रोकने के लिए एक नया रोड़ा बन जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के सामने एक बात और विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह हमारा विधेयक न्यायालयों का दरवाजा भी किसानों के लिये बन्द करने जा रहा है। मन्त्री महोदय ने यह कहा कि बड़ी देर हो जाती थी और बड़ा खर्चा हो जाता था इसलिये दीवानी का अधिकार माल विभाग को सौंपने जा रहे हैं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैंने भी जब कि गत वर्ष न्याय प्रशासन पर बहस हो रही थी तो जोरदार शब्दों में यह कहा था कि अंग्रेजों के जमाने की न्याय पद्धति को हमें त्याग देना चाहिये। न्याय महंगा नहीं होना चाहिये। न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये। मैं मानता हूं कि वह न्याय की प्रणाली बहुत खर्चीली थी। काफी खर्च करने के बाद लोगों को न्याय मिलता था और उसमें भी काफी समय लग जाता था। उस खाई को पाटने के लिये इस विधेयक में वह सुविधा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि न्याय सस्ता होना जरूरी है और जिस दिन यहां पर न्याय सस्ता और सुलभ होगा वह दिन इस प्रदेश के लिये बहुत सौभाग्यशाली दिन होगा। हर न्याय प्रणाली के लिये सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय मिलने की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय संविधान के अन्दर न्यायालयों के लिये कुछ मर्यादा रखी गयी है और हम लोगों के हाथ विधान सभा में भी न्याय के सम्बन्ध में बांध दिये गये हैं। उससे हम आगे नहीं जा सकते हैं। संविधान में यह कहा गया है कि

न्यायालयों के काम में दखल नहीं दिया जायगा। लेकिन आप जो यह १२३ धारा में संशोधन करने जा रहे हैं उससे एक नई व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। इसके (२) में यह है कि "कोई न्यायालय अथवा अन्य आधिकारिकी किसी भी व्यक्ति के कहने पर उपधारा (१) के विरुद्ध किसी व्यवहार पर आश्रित किसी दावे को प्रवर्तित नहीं करेगा"। अगर इसका ऐसा मतलब है कि न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि उपधारा (१) के मुताबिक किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो उसकी किसी न्यायालय में अपील भी कर सके और अदालत से उस फैसले को बदल सके तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली दिन दूसरा इस देश के लिये नहीं होगा। जब कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा न्याय की मर्यादा में इस प्रकार की शंका प्रकट करे, और देश की जनता के हाथ न्याय पाने के लिये इस तरह बांध दिये जायं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप लिखते हैं कि "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के निदेशों के अधीन किसी अन्य रीति से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले" तो कानून में आपने जो रीति निर्धारित की है उसके मुताबिक अगर कोई आदमी असामी के अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये क्योंकि उसने कानून का पालन करते हुये और कानून की मर्यादा की रक्षा करते हुये वह अधिकार प्राप्त किया है, लेकिन मैं देखता हूं कि अन्य रीति से जिसने जमीन प्राप्त की है तो उस को भी आप असामी के अधिकार देना चाहते हैं। यह आपका कानून जिस तरह का है उसकी मैंने दो मिसाल सिन्दराबाद और एटा की आप के सामने रखी कि वहां लेखपाल की हिम्मत क्यों पड़ी। उसने गांव समाज की जमीन का अपने आप ही पट्टा कर दिया। अगर कोई आदमी अन्य रीति से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले तो उस को आप बेदखल नहीं करेंगे। जैसा कि लेखपाल ने ४२० की, धोखा दिया और धोखा देने के बाद जो कुछ भी कार्यवाही की गई उसको आप कानूनी रूप दे रहे हैं।

अब मैं काश्तकारों के मूल अधिकारों की बात कहना चाहता हूं। उन पर भी आप इस विधेयक द्वारा चोट कर रहे हैं। मूल अधिनियम की धारा १४३(१):—"ऐसा भूमिधर जो अपने खाते या उस के किसी भाग को उद्योग या निवास के काम में लाता हो (uses for Industrial or residential purposes) कलेक्टर से इस बात के प्रख्यापन के लिये कि वह उक्त खाता या खातों का उक्त भाग अपवाद में लाता है, प्रार्थना कर सकता है और कलेक्टर ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाने पर तदनुसार प्रख्यापन दे सकता है।" धारा १४३ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि खातेदार यदि चाहे तो उस भूमि का उपयोग, उद्योग अथवा निवास के लिये कर सकता है। लेकिन अब उस की जगह पर आप एक नयी धारा बढ़ाना चाहते हैं जो इस प्रकार है कि जब कोई भूमिधर अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि, उद्यानकरण, अथवा पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी हैं, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रस्तुत करता है तो परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना-पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय उस आशय का प्रख्यापन कर सकता है। तो अब तक आपने १४३ में किसान को अधिकार दिये थे कि वह जमीन को उद्योग अथवा निवास के लिये उपयोग में ला सकता है, लेकिन अब आप उससे वह अधिकार ले रहे हैं और केवल कुक्कुट-पालन, मत्स्य-पालन आदि के लिये उसे सुविधा दे रहे हैं तो वह उद्योग अथवा रहने के लिये उस जमीन का उपयोग नहीं कर पायेगा। यह जो नयी धारा जोड़ी जा रही है उसका मतलब यही है। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप का भाषण हो रहा था उस समय भी आप की ही तरफ से एक सदस्य ने पूछा था कि उनके रहने के मकानों के लिये क्या व्यवस्था होगी, लेकिन मैं आप के सामने उस धारा को कोट करते हुये कह रहा हूं कि जब आप १४३ निकाल रहे हैं और उसके स्थान पर यह नयी धारा रख रहे हैं, जिसमें से उद्योग तथा निवास के लिये जो शब्द हैं वह निकाल दिये जायंगे तो किसान मकान नहीं बना सकेंगे और यदि वह बना सकेंगे तो कैसे, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसे आप बताने की कृपा करें।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

अध्यक्ष महोदय, एक बात और। धारा २१० के अन्तर्गत जो नये शब्द "ईयर टु ईयर" जोड़े जा रहे हैं उनका मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने अपने साथियों से भी पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, मुझे बता दिया जाय।

एक सदस्य---साल ब साल।

श्री जगन्नाथ लहरी---हिन्दी में मतलब तो मैं समझ सका, लेकिन हर साल उसका नया पट्टा होगा क्या? यह मेरी समझ में नहीं आया। इसे भी आप बतलाने की कृपा करें।

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक की धारा २४७ की तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा २४७ में लिखा है कि धारा २४६ में किसी बात के रहते हुये किसी सीरदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी जो उसे काश्तकार के रूप में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद उठायी गई हो, ऐसी दशा में जब निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान उक्त दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से अवधारित लगान की धनराशि से कम निकले तो उक्त धनराशि के बराबर होगी। अधिष्ठाता महोदय, मूल अधिनियम में एक इस तरह की व्यवस्था है, धारा २४७ में, कि जब लगान निर्धारित किया जायगा तो देखा जायगा कि १ जुलाई, १९४८ को जमीन का लगान या मालगुजारी क्या थी। अगर किसी काश्तकार की जमीन पर वह कम समझी जायगी तो दस गुना उस मालगुजारी का लिया जायगा जो उस समय निर्धारित की जायगी। लेकिन जो संशोधन विधेयक आप आज उपस्थित कर रहे हैं, उसके पृष्ठ ११ के खंड २८ में आप यह कह रहे हैं :--

"२८--- मूल अधिनियम की धारा १३६ में शब्द 'उसके देय लगान की और यदि उक्त देय लगान लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के दुगने से अधिक हो तो इस प्रकार लगाये गये लगान की दुगुनी धनराशि की ही दस या बारह गुनी जैसी भी दशा हो, होगी' के स्थान पर शब्द 'उसके द्वारा देय मालगुजारी के दस गुने के बराबर अथवा यदि उक्त मालगुजारी लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगायी गयी धनराशि से दुगुनी धनराशि से अधिक हो, तो उक्त दुगुनी धनराशि के दस गुने के बराबर होगी', रख दिये जायं।"

२४७ के मुताबिक तो अगर वह कम है तो आप उतना ही पैसा वसूल कर लेंगे जितना कि वह अब देने जा रहा है। लेकिन इस अधिनियम के मुताबिक अगर वह ज्यादा है तो उसके लिये आप संशोधन करने जा रहे हैं कि दुगना तक तो आप लगान मान लेंगे और दस गुना जमा करा लेंगे और अगर दुगने से ज्यादा होगा तो आप उस दुगने का दस गुना जमा करायेंगे। यह क्या? कड़ आ-कड़ आ थू-थू, मीठा-मीठा गप्प। जब आप को कम मिलता है तब तो किसान से ज्यादा लेने को आप तैयार हैं लेकिन जब स्वयं को कम मिलने का सवाल है, और जब आप देखते हैं कि उनको रिफन्ड करना होगा, तो उसके लिये आप कतई तैयार नहीं हैं। यह कहां का इंसाफ है? इसमें जो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की है, उसके लिये जो शब्दजाल रचा है, मंत्री जी उस को जरा समझाने का प्रयत्न करें कि जब आप किसानों से जबरदस्ती वसूल करते हैं तो फिर उन पर कमी करने के लिये आप तैयार क्यों नहीं हैं।

स्वयं माल मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि अभी तक हमारे प्रदेश में ३४ करोड़ रुपया ही भूमिधरों से प्राप्त हो सका है और प्रदेश के ३३-३४ प्रतिशत किसान ही भूमिधर हो पाये हैं। इसके लिये कारण बताया जाता है कि प्रकृति के प्रकोप के कारण ही ऐसा हुआ है। अक्तूबर, १९४९ में जब आपने भूमिधरी का आन्दोलन छेड़ा था तो १ जून, १९५० तक आपके पास २५ करोड़ रुपया आ गया था लेकिन उसके बाद अब तक केवल ९ करोड़ रुपया ही आ पाया है। कहा जाता है कि प्रकृति के कोप के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इस मूल अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की थी कि यह दस गुना किसान किस्तों में भी अदा कर सकता है और वह बारह बराबर की किस्तों में उसको दे सकता है, लेकिन वह रुपया दो साल म चार बराबर किश्तों में ले लिया जायगा।

आप ने स्वयं यह मंजूर किया है कि छोटे-छोटे काश्तकारों ने उस रुपये को दिया है और बड़े-बड़े काश्तकारों ने बहुत कम दिया । आज धन की कमी इस प्रदेश में हर व्यक्ति के पास है, किसान के पास भी कोई खजाना नहीं बरस पड़ा है । बारह गुने के रूप में किस्तों में आज तक आप उससे जो १० रुपया दो साल में लेते थे तो उससे दो रुपया उसका ब्याज भी तो लेते थे । लेकिन आज आप इस व्यवस्था को भी मिटा रहे हैं । वह बारह किश्तों में दो साल में दे सकता था । आज आप चाहते हैं कि जो भी किसान आज भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करना चाहता है वह एकमुश्त रुपया ही जमा करे । आप किसान को तकावी देते हैं लेकिन उसको किस्तों में लेते हैं । बिरला, टाटा, डालमियां आदि को कर्ज देते हैं लेकिन उनसे भी आप किस्तों में वसूल करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान यदि आज भूमिधरी का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसको आप किस्तों में लेना नहीं चाहते हैं, जब कि वह दस गुना के अतिरिक्त दो गुना रुपया अधिक आपको देता है । भला उसने कौन-सा महान् पाप किया है ? जो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको यह सुविधा देने के लिये तैयार नहीं । तो जो समय की मांग है वह यह है कि हम जल्दबाजी में इस विधेयक पर विचार करते समय उन छोटी-छोटी बातों को न भूल जायं जो यदि हम इस विधेयक को जनमत जानने के लिये भेज देंगे तो कुछ त्रुटियां तो मैंने सदन क सामने रखी हैं और कुछ जब कि यह व्यक्ति जिनसे इसका सीधा सम्बन्ध है जिन पर प्रतिदिन इसका प्रभाव होता है, जिनकी कार्य-प्रणाली प्रतिदिन इसी व्यवस्था के अन्तर्गत चलती है वे अपनी राय उन दिक्कतों को रखते हुये जो उन्हें पड़ती है, भेजेंगे । तो उन किसानों से, उन खातेदारों से भी पूंछिये कि उन्हें २ जुलाई सन् १९५२ से, जब से यह ऐक्ट इस प्रदेश में लागू हुआ है क्या दिक्कतें अनुभव हो रही हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री से बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास नहीं कराना चाहिए और इसे जनमत जानने के लिये जरूर प्रसारित करना चाहिये ।

साथ ही साथ, मैं दो मिनट और माननीय मंत्री जी का और सदन का लेना चाहता हूं और मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि यह देखें कि जब यहां पर जोत चकबन्दी विधेयक आया था तब भी मैंने कहा था कि विरोधीदल यहां उपस्थित नहीं है और उनकी गैर-मौजूदगी में इस विधेयक को न पारित कराइये, लेकिन आपने उस विधेयक को पारित करा लिया है । दूसरे यह विधेयक विधान परिषद् में भी था । वहां पर चार और पांच दिन का समय आपने लगाया जब कि वहां पर १०८ में से मुश्किल से ८० सदस्य आजकल उपस्थित रहते हैं । वहां पर चार दिन से अधिक समय उनको मिला लेकिन इस हाउस में ४३१ में से ३०० के लगभग जनता के प्रतिनिधि यहां उपस्थित रहते हैं तब भी आप उनके मूलाधिकारों पर चोट कर रहे हैं जल्दबाजी में पास कराकर चाहते हैं कि यहां से दो दिन में ही पारित हो जाय । आप इस सदन के सदस्यों के अनुभव से भी फायदा नहीं उठाना चाहते, आप उनको भी मौका नहीं देना चाहते जो विरोधी पार्टी के सदस्य नहीं है, कांगेस पार्टी के ही सदस्य और जिन्होंने इस भूमि-व्यवस्था विधेयक के अन्तर्गत कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं और जो यहां पर मौजूद हैं । उनके भी कुछ सुझाव होंगे लेकिन वे उन सुझावों को उपस्थित नहीं कर सकेंगे और इच्छा रखते हुये भी वे उन सुझावों को देने से महरूम रह जायेंगे । क्योंकि इस विधेयक के लिये जो समय की सीमा है वह इतनी संकुचित है कि उसके अन्दर वे अपने विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे । विरोधी दल के सदस्य इस सदन में नहीं है, वे अपने विचार तो प्रकट नहीं कर पायेंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई जो यहां पर हैं उनको भी विधेयक पर बोलने का मौका नहीं मिल सकेगा । इसीलिये इसको जनमत को जानने के लिये प्रसारित करने के लिये मैं कहता हूं कि तब तक विरोधी दल के सदस्य भी आ जायेंगे उनके भी अनुभव हम जान लेंगे, कांग्रेसी भाइयों के भी अनुभव जान लेंगे और सीरदारों और किसानों के अनुभवों को, उनकी रायों को जान लेंगे और उन सब विचारों को दृष्टि में रखते हुये उचित संशोधनों को हम कर सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं मालमंत्री जी से विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि जल्दबाजी में इसको पास न करावें बल्कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित करें ।

श्री अधिष्ठाता--मेरे पास दो संशोधनों के प्रस्ताव और आये हैं। इसलिये मैं पहले उनको इजाजत दूंगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मैं भी बोलना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय।

श्री अधिष्ठाता--उसके बाद आपको मौका मिलेगा।

(एक क्षण के अनन्तर)

रामहेतसिंह जी! आपके संशोधन के दो भाग हैं। पहले भाग में आपने रखा है कि "निश्चित अवधि में देगा", "निश्चित अवधि" जब तक निश्चित न हो तब तक आपके संशोधन का वह भाग आउट आफ आर्डर है। इसलिये आप जो दूसरा भाग है वही पेश कर सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने लोगों ने एक ही प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये हैं क्या उन सबका संशोधन मान लिया जायगा और जो संशोधन देने वाले हैं उन सबको मौका दिया जायगा?

श्री अधिष्ठाता--संशोधन पेश करने से तो उनको रोकना उनके अधिकारों का हनन है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--जी नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे दस आदमियों ने एक ही प्रकार के संशोधन दिये तो क्या उन दसों आदमियों को बोलने का मौका मिलेगा या औरों को भी मौका मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता--अगर समय मिले, लेकिन अगर एक ही प्रकार के संशोधन हैं तो जिन्होंने पहले संशोधन दिये हैं उनको पहले संशोधन पेश करने का मौका मिलेगा।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञानुसार जो दूसरा हिस्सा है उसी को मैं पेश कर रहा हूं:

संशोधन में से "जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा" निकाल दिया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा इस संशोधन को पेश करने का तात्पर्य केवल यह है कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक इस समय सदन के सामने उपस्थित है, कई माने में क्रान्तिकारी कहा जा सकता है। यदि ऐसे विधेयक को शीघ्र न पारित किया जाय और उसमें और देर लगायी जाय तो उससे जनता का अहित होने की ही सम्भावना है। माननीय महीलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा था वह काफी लम्बा ले जाता है और मौका देता है कि इस विधेयक को और कई महीने टाला जाय और तब फिर सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप इसमें देखेंगे कि भूमि प्रबन्धक कमेटियों को ग्राम सभाओं के जितने भी मुकदमे लड़ने पड़ते थे, उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जहां तक प्रधानों की हालत है वे किसी केस में विशेष तौर पर दिलचस्पी नहीं लेते थे और उसके कारण यह होता था कि ग्राम समाज की जो भी सम्पत्ति थी उसका ह्रास होता जाता था और गांव पंचायतों की तरफ लोगों का भाव जो बनते समय पहले था, वह कम होता जाता था और वहां की जनता ग्राम पंचायत को निरर्थक और अनावश्यक समझने लगी थी। लेकिन जो मौजूदा संशोधन इसमें रखा गया है वह उनको इस बात का अधिकार देता है कि वे एक वकील के द्वारा अपनी पैरवी करा सकें और ठीक तरह से अपने मुकदमों को लड़ सकें। तो जो प्रस्तुत संशोधन है वह समय के बहुत अनुकूल है और उसे शीघ्र ही पारित होना चाहिये।

दूसरी चीज इसमें यह रखी गयी है कि एक सामूहिक कोष इकट्ठा किया जायगा। जिसमें हर गांव पंचायत से १५ प्रतिशत निकाल कर इकट्ठा किया जायगा और यह सामूहिक कोष उन ग्राम पंचायतों के सामूहिक खर्च के लिये रखा जायगा। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत ही अच्छी है। अभी तक बहुत सी ग्राम पंचायतें अपना काम इस लिये शुरू नहीं कर पाती थीं, या केस दायर नहीं कर सकती थीं उन लोगों के खिलाफ जिनके पास उनके दावे होते थे, क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिये पैसे नहीं होते थे। कोई प्रधान अपनी गांठ से पैसा खर्च नहीं करना चाहता था और इसलिये ग्राम पंचायतों की भूमि का ह्रास होता जाता था। इसलिये यह चीज जो रखी गयी है बहुत ही उपयुक्त है और उसे रखी जानी चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, एक चीज मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप से रखना चाहता हूं। साढ़े बारह एकड़ का एक सवाल जो रखा गया है, यह ऐसा है जो मैं सोचता हूं कि इस मौजूदा समय में किसी भी हालत में उपयुक्त नहीं होता है। यह इस समय समय से पहले पेश किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी का विचार है कि इससे जहां तक बटवारे का सवाल है, जो भारत में एक विषमता है वह दूर होगी। बड़े-बड़े काश्तकारों की जो होल्डिंग्स है वे छोटी होंगी और छोटे काश्तकारों पर इसका असर पड़ेगा, उनको भी कुछ जमीन मिलेगी उनको भी कुछ अधिकार मिलेगा तथा वे भी कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, माननीय महीलाल जी के भाषण के बाद यह और साफ जाहिर हो गया कि जिसके पास जो बड़ी होल्डिंग्स होंगी वे तो कम होंगी ही, उनके ऊपर जरूर असर पड़ेगा। जहां तक ३० एकड़ की बात है अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे यहां से यह पास हुआ था। अधिष्ठाता महोदय, देहात में एक मसल है, हो सकता है कि दूसरी जगह न हो, लेकिन हमारे यहां ब्रजभाषा में जिस तरह से है उसी भाषा में मैं कहता हूं—"देवी दिन काटे, पंडा परची मांगे"। यानी देवी के लिये तो दिन काटना मुश्किल है और पंडा उनसे कहता है कि मुझे दर्शन दे दो, मुझे वरदान दो। न मालूम क्या धरोहर रखी है किसानों के पास जो वे निकाल कर दे दें। तो जब ऐसी भावना है कि इन लोगों के पास ज्यादा जमीन है और मैं कहता हूं कि कम है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का यदि यही खयाल है कि ३० एकड़ लिमिट बांधने के बाद भी, बड़े-बड़े काश्तकार जो ३० एकड़ के हैं वह बड़े मालदार हैं उनकी हालत बहुत अच्छी है, उनको और छोटी श्रेणी में किया जाय तो, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह सोचूंगा कि इसकी जानकारी और विशेष रूप से करने की आवश्यकता है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको मिले लेकिन उस हालत में मैं चाहता हूं कि जब हमारा लक्ष्य द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजना में यह है कि हम कृषि के उत्पादन को बढ़ायें, हम कृषि को उस स्तर पर लायें कि फी एकड़ हमारी पैदावार बढ़े। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहने से नहीं होगा। यह साधन जुटाने से, जमीन की किस्म अच्छी करने से, नये-नये औजार देने से या पानी की विशेषता करने से, जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने से होगा। जहां तक हमारा अन्दाज है कुल १,००,००,००० एकड़ में सिंचाई के साधन हैं जब कि खेती इस समय लगभग ५,००,००,००० एकड़ भूमि पर हो रही है। इस तरह ४,००,००,००० एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। तो जिन खेतों में सिंचाई के साधन नहीं हैं या जमुना पार ऐसे रकबे हैं जहां पानी नहीं है, वहां पर साढ़े बारह एकड़ एक परिवार के लिए रख देने से किसान का स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता। उसका स्टैंडर्ड ऊंचा करने की बात अगर कहते हैं, अगर चाहते हैं कि किसान की हालत अच्छी हो, और अच्छी रहे तो उसके लिए साधन तो आपने जुटाये नहीं, जमीन की किस्म तो अच्छी बनाई नहीं, सिंचाई के साधन बढ़ाये नहीं, सिर्फ एक लिमिट बांध दी, तो अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं इस तरह से इसमें सफलता हो सकेगी, इसमें मुझे आशा कम है।

दूसरी बात इसमें एक और है कि हम चाहते हैं कि लिमिट कम की जाय, लेकिन कम करने के साथ-साथ हम यह भी तो देखें कि किसी को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी जिस उद्देश्य से यह विधेयक ला रहे हैं वह उद्देश्य इससे

[श्री रामहेत सिंह]

पूरा होने जा रहा है या नहीं । वह उद्देश्य भी माननीय मही लाल जी के भाषण के द्वारा पूरा नहीं होता है । इसलिये हम यह समझते हैं कि साढ़े बारह एकड़ की जो लिमिट रखी है वह समय के उपयुक्त नहीं है ।

तीसरी बात में यह कहना चाहता था कि थोड़ा-सा अधिकार भूमिधर बनने का इसमें था किसानों को । यह तो निश्चित है कि दो तीन साल से बाढ़ और गर्मी के कारण हमारे प्रदेश की हालत किसानों की बहुत खराब हो गई । उनकी हालत बहुत बिगड़ी है, सुधरी नहीं है । तो जो भी अधिकार थोड़ा-सा था कि अगर एकमुश्त न दे सके तो किस्तों में ही दे दे, उसको भी इसमें खत्म किया जा रहा है । इसमें मैं समझ नहीं पाया कि क्या परेशानी सरकार को होती है कि अगर उनका कुछ रुपया खजाने में दाखिल है तो उसके लिए सरकार को किसी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत किस लिए पड़ती है या उसके लिए सरकार को कोई विशेष खर्च करना पड़ता है । तो जब कोई ज्यादा खर्चे का सवाल नहीं है और जब किसी और स्टाफ के रखने का सवाल नहीं है, केवल यह सवाल है कि जो कुछ पूंजी किसान के हाथ में है वह खजाने में दाखिल हो जाय, तो उसमें किस तरह से कोई परेशानी पैदा होती है । वह मुझे नजर नहीं आती है । मैं समझता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि यह जो धारा २७ रखी गई है यह किसानों के हित में नहीं जा रही है और न इससे कोई बड़ा लाभ होने जा रहा है ।

एक बात माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही थी कि जमीन सारी कौम की है और सब लोगों की है और सबको अधिकार देना चाहिए । लेकिन इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक जमीन का सम्बन्ध है मैं तो यह चाहता हूं कि एक बार इस जमीन का बटवारा कर देना चाहिए यानी कोई भी सुधार हो, एक दफा वह किसी तरह खत्म हो जाना चाहिए ।

एक बात और मैं चाहता हूं कि जहां तक कुछ एरिया जिसे हम चाहे शहरी एरिया कहें, चाहे शहरी एरिया नाम न रख कर किसी वर्ग विशेष का नाम रख दें, उसे व्यापारी वर्ग कहें या पूंजीवादी वर्ग कहें मैं किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कहता, लेकिन जब कभी भी किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के पास कई उत्पादन के साधन, गुजर बसर के साधन एक से अधिक हों तो वह एक एक के पास ६-६ और ८-८ साधन होना हमें पूंजीवाद की तरफ ले जाते हैं और संकेत करते हैं कि हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं परन्तु आज का समाज इसको इजाजत नहीं देता । जब कि हम अपने यहां दूसरे सुधार कर रहे हैं तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हमारे यहां इस का भी बटवारा हो । जहां पूंजी के एकत्र होने का सवाल है, व्यापारी वर्ग का सवाल है वहां हम उस साधन का भी बंटवारा करें । हमें मालूम है कि मुजफ्फरनगर की गुड़ की मंडी में व्यापारियों ने मिलकर रेलगाड़ी को दो तीन दिन रोक लिया, और मंडी में यह अफवाह फैला दी कि लदान बंद है जिस का नतीजा यह हुआ कि गुड़ का भाव गिर गया और उस का उन्होंने खूब लाभ उठाया, भले ही उनको थोड़े बहुत डेमरेज रेलवे को देना पड़ा । तो जहां पूंजी वाले वर्ग के हाथ में इस तरह के साधन हों जो दूसरों को शोषित करने की तरफ ले जाते हों उन पर विचार किया जाय और इस बात का प्रयत्न किया जाय कि वह साधन उनके पास भी पहुंचें जो साधनहीन हैं और उन के पास न रहें कि जिन के पास एक से अधिक साधन पूंजी एकत्र करने के हैं ।

मैं चाहता हूं कि जिस तरह से राज्य सत्ता राजाओं और जमींदारों के हाथ से निकल कर जनता के हाथ में आई है उसी तरह पूंजी एकत्र करने के जो साधन हैं वह भी पूंजीवर्ग और साधनसम्पन्न वर्ग के हाथ से निकलकर उनके हाथ में आयें जिन के पास कोई साधन नहीं हैं । इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुये हम कोई आगे बढ़ने वाला कदम उठाना चाहते हैं तो हमें उसका हृदय से स्वागत करना चाहिये और हमारे साथियों को भी उस में

हाथ बंटाना चाहिये । जब तक पूरे कारणों पर विचार न कर लिया जाय तब तक मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा कदम हम न उठावें जो हमें पीछे की तरफ ले जाय । इन कारणों से मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की परिधि न बढ़ाई जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन है कि श्री महीलाल जी के प्रस्ताव की तीसरी लाइन के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :---

"किन्तु वह एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट दे ।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से इस प्रस्ताव को सुना, परन्तु इस पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरी प्रार्थना है कि एक मीटिंग तो होती है हाउस में और दूसरी मीटिंग आप के (मंत्री जी के) पास हो रही है, यदि आप हमारे शब्दों को न सुनें तो इस में सदन का नुकसान होता है । इसमें कोई शक नहीं कि आप ब्रिलियेंट हैं, होशियार हैं लेकिन फिर भी इन्सान से गलती होती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनें । अच्छी चीज को अच्छा न कहा जाय और बुरी चीज को बुरा न कहा जाय यह तो मुनासिब नहीं है । इसलिए एक तरफ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं इस विधेयक के पेश करने के लिये । मैं उनकी इज्जत करता हूं, खुशामद के लिये नहीं, बल्कि भगवान ने उनको खूबियां दी हैं । एक दफा मैंने कहा मैं नैनीताल जा रहा हूं, एक दोस्त मेरे कमरे में रहना चाहते हैं आप इजाजत दे दें तो रह जायं; लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि भाई सीताराम, उसूल उसूल है, कायदा कायदा है जब एक बार तय हो गया कि बाहरी आदमियों को न ठहरने दिया जाय तो ठहराना ठीक नहीं । उन्होंने मेरी बात नहीं मानी । लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं लगा बल्कि मेरे दिल में उन की इज्जत और बढ़ गई । उनमें यह गुण है, चाहे कोई खुश हो या नाखुश हो, जो ठीक है वही वह करेंगे । यह तो छोटी सी बात है । मैं एक बड़े आदमी को जानता हूं, जो कि आपके एक साथी हैं उन्होंने सिफारिश की, तो आपने इतना ही नहीं किया कि उनकी सिफारिश को सुना नहीं, बल्कि सिफारिश कराने वाले के खिलाफ ऐक्शन ले लिया । यह तो सभी जानते हैं कि यह वह माननीय मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था । लोग मिनिस्टरी की कुर्सी के लिए घूमते फिरते हैं, आपका इस्तीफा पाकेट में रहता है । मैं ऐसे आदमी की इज्जत करता हूं । दूसरी तरफ नम्र शब्दों में आलोचना भी करता हूं ।

बावजूद इसके कि आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लकिन हालत अजीब है । भूतपूर्व जमींदारवृन्द आपको कहते हैं कि हमारा तो कत्ल कर दिया और हमारे कुछ साथी कहते हैं कि यह जो प्रस्ताव लाये हैं यह "रिऐक्शनरी" है और प्रतिक्रियावादी है, इसमें कुछ नहीं है, कोई गरीबों की भलाई नहीं है । एक उर्दू का शेर है कि---

"जाहिदे दाना ने हमें काफिर जाना
और काफिर यह समझते हैं मुसलमां हूं मैं ।"

[बाद में श्री शुक्ल ने उक्त शेर को इस प्रकार शुद्ध किया---

"जाहिदे तंगनजर ने हमें काफिर जाना
और काफिर हैं समझते कि मुसलमां हूं मैं ।"]

कुंवर महमूद अली खां (जिला मेरठ)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । यह शेर उन्होंने गलत पढ़ दिया ।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर आप शुद्ध पढ़ दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।

कुंवर महमूद अली खां---सही चाहें तो मैं पढ़ दूं ?

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठें । (श्री सीताराम शुक्ल से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सीताराम शुक्ल—हमारे माननीय महीलाल जी ने फरमाया कि उससे गरीबों की भलाई नहीं है ? मैं उनकी इज्जत करता हूं। वह जो विचार व्यक्त करना चाहते थे कि यह रिएक्शनरी है कि वह शब्द प्रतिक्रियावादी है, इसमें कुछ गलतफहमी हुई इसलिये मैंने बतलाया। वह भी चाहते हैं कि मुल्क की गरीबी दूर हो और मैं भी चाहता हूं। सबूत दे सकता हूं कि १९३६ में मैंने एक किताब लिखी है और उसमें ६ पेज से १२ पेज तक किसानों की गरीबी का चित्र मैंने उसमें खींचा है। नाम है "स्वराज्य का रास्ता"। मेरी प्रार्थना है कि क्या सोशलिस्ट, क्या कम्युनिस्ट और क्या प्रजा सोशलिस्ट के नेताओं के भाषणों अथवा साहित्य से मुकाबला करके देख लीजिये। मैं भी चाहता हूं कि देश की गरीबी दूर हो। यह मुझे भी खटकता है कि एक आदमी का कुत्ता मोटर पर चलता है और किसी का बच्चा जूते के लिये तरसता है। किसी के यहां गोश्त और रोटी कुत्ते खाते हैं, किसी के बच्चे दूध का नाम नहीं जानते। यह बड़ी खराब बात है, हम इसको बरदाश्त नहीं कर सकते। इनसानियत का तकाजा है कि यह विषमता दूर की जाय किन्तु अमीरों को गरीब बनाकर नहीं बल्कि गरीब को अमीर बनाकर। बुजुर्गों ने कहा है कि खुद आराम से रहो और दूसरों को भी आराम से रखो। मैं समझता हूं कि हर कांग्रेसमैन चाहेगा कि गरीबी मिटाई जाय। किन्तु प्रश्न यह है कि मिटेगी कैसे ? यह जो भाई-भाई बराबर करने की स्कीम है कि, अधिक जोत छीन ली जाय और गरीबों में बांट दी जाय, अगर इससे गरीबी मिटती होती तो मैं पहला आदमी होता जो इसको सपोर्ट करता कि बांट दीजिये। इससे सफेद कपड़े उतारे जा सकते हैं, धनी गरीब बनाये जा सकते हैं, लेकिन गरीब धनी कैसे बन जायंगे ? गन्दे कपड़े वाले को सफेद कपड़े आप कैसे पहुंचायेंगे। औसत तो सिर्फ तीन एकड़ जाकर पड़ता है, हिसाब लगाया गया था। तो हमारा उद्देश्य अमीरी मिटाने का नहीं है, गरीबी मिटाने का है। हम सब को खाना, कपड़ा, मकान देना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब लोग सुख से रहें, कोई भूखा नंगा न रहे, कोई उपवास न करे। अगर इस पर रोशनी डाली जाती तो मैं पसन्द करता, लेकिन मेरा खयाल है, उसे मैं निहायत अदब के साथ पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं माननीय मंत्री जी को मानता हूं कि वे बड़े ऊंचे चरित्र के हैं अतः तर्कों का असर आप पर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो आप कह देंगे कि सारी स्कीम गलत है, उसको कैंसिल कर दिया जाय। मैं इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। मुमकिन है मेरी बात सही हो। जब गवर्नमेंट किसी पर खून व कत्ल का मुकदमा चलाती है तो उसको वकील भी देती है कि वह उसकी तरफ से बहस करे, क्योंकि मुमकिन है एक ही तरफ की बात सुन कर जज से गलती हो जाय, इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि मेरी बात को सुन कर मुमकिन है आपकी राय बदल जाय।

मेरी प्रार्थना है कि अगर कानून बना कर किसी बेईमान को ईमानदार बनाया जा सकता, किसी मूर्ख को होशियार बनाया जा सकता, किसी गरीब को अमीर बनाया जा सकता, तब तो बड़ा अच्छा होता। बड़ी आसानी से मूर्ख होशियार हो जाता, गरीब धनी हो जाता। लेकिन हुजूर वाला, कानून बनाया जा सकता है, किताब लिखी जा सकती है, मगर इस सदन के हाथ में आदमी बनाना नहीं है। आदमी तो दूसरा कोई बनाता है। मैं याद दिलाऊंगा कि महात्मा गांधी जी ने खद्दर का प्रचार बढ़ाने के लिये एक शर्त लगा दी थी कि जो खद्दर खरीदे वह दो पैसे का सूत भी देता कि कुछ लोग तो स्वयं सूत कातने लगें ; लेकिन नतीजा यह हुआ कि खद्दर की दूकान के पास हाथ से कते हुए एक सूत बेचने वाली दूकान भी खुल गयी। खद्दरधारी लोग जब खद्दर खरीदने जाते थे तो पहले उस दूकान से सूत खरीद लेते थे उसके बाद उसे देकर खद्दर खरीदते थे। गांधी जी को जब यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि यहां भी ढोंग चलने लगा अतः सूत देने की शर्त बन्द कर दो। तात्पर्य कि कानून बना कर हम सब कुछ चीज नहीं करा सकते। जमींदारी मिटाकर आपने देख लिया कि गरीबी नहीं गई इसलिए गरीबी दूर करने की नीयत से इन गरीबों को और सजा न दीजिये। आप पूंजीपतियों से नाराज हैं तो उनको सजा

दीजिये । आप जमींदारों से नाराज हैं तो उनको सजा दीजिये, लेकिन मेहरबानी करके, लिल्लाह, भगवान के लिये गरीब किसानों और मजदूरों को सजा न दीजिये । नीयत अच्छी है, लेकिन बात उल्टी हो जाय इसमें सीताराम साथ नहीं दे सकता ।

कहा जाता है कि ऊंची जाति वाले बड़ा ऐश करते थे, घूमते थे, बड़ा मजा करते थे, पिटवाई करा कर लगान वसूल करते थे, किन्तु कुछ जमींदार ऐसे थे न कि सबके सब ।

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि कुछ की गलती से सजा सब को न दी जाय। आजादी की जंग के समय जेलखाने के सिपाही कौन थे, किसानों के लड़के थे, पुलिस के सिपाही कौन थे किसानों के लड़के थे, जिन्होंने पं० गोविन्द वल्लभ पंत ; पं० जवाहर लाल नेहरू पर इसी चारबाग स्टेशन पर डंडे चलाये, लेकिन चन्द किसानों के लड़कों की वजह से किसान तबका खराब नहीं हो सकता, इसी तरह से चन्द जमींदारों की गलती से सारा का सारा जमींदार तबका खराब नहीं हो सकता। यह सही है कि कुछ जमींदार सख्ती से लगान लेते थे, लेकिन अनेक ऐसे भी थे जो कर्ज ले कर भी अपने किसानों की सहायता करते थे । इसलिए चन्द लोगों के खराब होने से प्रथा खराब नहीं हो जाती । उदाहरणार्थ थानेदार रिश्वत लेते हैं । मैं तो कहता हूं कि १०० में एक, दो या अधिक से अधिक पांच ही हो सकते हैं जो रिश्वत न लेते हों, बाकी रिश्वत लेते हैं, लेकिन थानेदारी प्रथा बन्द नहीं की जा सकती क्योंकि थानेदार सिर्फ रिश्वत लेते हैं । सारे के सारे थानेदारों को यदि हटा दिया जाय तो डकैती चोरी और कत्ल बढ़ जाय, रास्ता निकलना बन्द हो जाय । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आदमी बुरा होता है और आदमी बुरा होने से प्रथा नहीं बन्द होनी चाहिये ।

गौर फरमाइये, आपकी रायमें ३० एकड़ ज्यादा है तो उसे कम कर दीजिये, साढ़े चार कर दीजिये । लेकिन वह चार रहेगी नहीं क्योंकि पहले एक उसूल माना गया, कि गरीब-गरीब भाई-भाई । तय किया गया कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं होगा । लेकिन आज फिर यह बहस है कि यह ज्यादा है । इसको भी हटाया जाय । हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब ने जिनके कैरेक्टर के बारे में अर्ज कर चुका हूं, उस समय गल्ती की थी, आज भी कर रहे हैं । उस समय ३० एकड़ सीमा रखी थी आज वह उसको साढ़े बारह एकड़ करने जा रहे हैं । यह सब क्या है ? जो होशियार होगा, ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, उसके खेत में ज्यादा पैदावार होगी और जो बेवकूफ होगा, बेईमान होगा, आलसी होगा उसके खेत में कम पैदावार होगी । ईमानदार कृषक को कर्ज भी वक्त पर मिल जायगा, महंगी चीज बोयेगा जोताई अच्छी करेगा, वह अपनी जमीन में ज्यादा पैदा करेगा, लेकिन जो आलसी होगा वह खेत जोतने जायगा तो सोयेगा । जब वह बेईमान मशहूर होगा तो उसे कर्जा भी नहीं मिलेगा। दोनों बराबर एक मेंड़ पर होते हुये भी एक के पास पैसा ज्यादा होगा और दूसरे के पास कम होगा। दूसरी बात यह होगी कि उनमें से एक के चार लड़के होंगे, एक के दो और एक के एक भी नहीं होगा। तो एक के पास चार एकड़ हो जायगा और एक के पास एक एकड़ भी नहीं रहेगा। तथा कोई भाई का हक पा जायगा अतः दूना हो जायगा । और यदि यह कर दिया जाय कि हर दस साल बाद सबको बराबर-बराबर बांट देंगे तो हुजूर खेतों में खाद नहीं पड़ेगी, गुड़ाई नहीं होगी और फिर पैदावार घटेगी । फिर आपको तय करना होगा कि संयुक्त, ज्वाइंट खेती होगी तो गांव के ही प्रेसीडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, सरपंच होंगे । वहां गेंहू, धान आदि चीजें बोई जायंगी। पंच साहब देवता नहीं होंगे, आसमान से नहीं गिरेंगे कि वह बेईमानी नहीं करेंगे । जो उनको वोट देगा उसका पक्षपात नहीं करेंगे और जिसने उनका विरोध किया है उसका बिगाड़ नहीं करेंगे । वहां भी पक्षपात शुरू हो जायगा इसलिये आपके सामने दूसरी दिक्कत हो जायगी ।

एक बात यह और होगी कि जब गांव में झगड़े होंगे तो उसको निपटाने वाला कोई नहीं रहेगा क्योंकि जो भला आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वह गांव छोड़कर भाग

[श्री सीताराम शुक्ल]

जायगा । जो काबिल होगा वह कहेगा घर को मारो गोली, शहर में चलो वहां नौकरी कर लेंगे । यहां तो गरीबी की गारंटी है । चार एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, हमारे सफेद कपड़े नहीं हो सकते हैं । लिहाजा हम गरीबी की गारंटी में क्यों रहें, शहर में चलकर मजदूरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, नहीं होगा तो खोमचा ही लगा लेंगे और तीन रुपये रोज कमायेंगे । अगर वह चला जायगा तो फिर किसानों के मामलों का फैसला कौन करेगा ? उनके दुःख सुख को कौन सुनेगा ? पंचायत कौन करेगा ? मान लीजिये गांव के सभापति का चुनाव हुआ । किसान डरता है कि अगर उसने वोट नहीं दिया तो उसका घर फूंक दिया जायगा । अगर अच्छा पंच भी है तो यह देखता है कि गुन्डे कहीं मुझको परेशान न करें । इसलिए खतावार जानते हुये भी वह बदमाशों को सजा नहीं देता । उदाहरणार्थ बाराबंकी के रहने वाले एक सभापति गुन्डों से हार कर एसेम्बली भवन के सामने अनशन कर रहे थे, वह कहते हैं कि गुन्डों के सामने नहीं चलती । आजकल वह बलरामपुर अस्पताल में हैं । अगर कोई पैसे वाला और पढ़ा लिखा सच्चरित्र व्यक्ति होता तो उसे डर नहीं होता वह फौरन फैसला कर देता । क्योंकि गुन्डे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते ।

श्री अध्यक्ष---आप जरा संक्षेप में भाषण को कर दें, और लोग भी बोलेंगे ।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, मैं आपके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं और आप भी मेरे अधिकारों में हस्तक्षेप न करें । मैं खुद जानता हूं कि मुझे कम बोलना चाहिये क्योंकि उत्तम वक्ता वही है जो कम बोलता है तात्पर्य कि थोड़ा ही देर में अधिक से अधिक बातें कह देता है ।

श्री अध्यक्ष---आपने एक ही प्वाइंट बतलाया और फिर प्वाइंट के बाहर चले गये, इसलिये मैंने कहा ।

श्री सीताराम शुक्ल---श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि आपने यदि तीस एकड़ से घटा दिया तो गरीबी फैल जायगी ।

श्री अध्यक्ष---उसके जितने नतायज हैं अगले सौ वर्षों के उनको न गिनाइये । इतना काफी हो गया । यहां सब अक्लमंद बैठे हुए हैं, उन्हें इशारा काफी होगा ।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, यहां सिर्फ आपको नहीं बतलाना है, सिर्फ मंत्री जी को नहीं बतलाना है, हाउस को बतलाना है । हो सकता है आप मतभेद रखते हों, हो सकता है गवर्नमेंट भी नापसन्द करती हो, लेकिन हाउस यदि पसन्द करेगा तो मेरी बात मान ली जायगी इसलिये मैं अर्ज कर रहा था कि हालत क्या होगी । दूसरी बात यह होगी कि गांवों में बसने वाले कवि, कथावाचक, उम्दा भैरवी गाने वालों को कौन सुनेगा ? वहां सफेड़ा सुनना चाहेंगे । अच्छे कवि और गवैये क्यों जायेंगे ? उम्दा लेखक क्यों जायेंगे ? जिन्होंने कविताएं कर कर आजादी दिलायी है, "गुलाम कौम का सिजदा हराम होता है" जिन शायरों ने लिखा है, उन्हें कौन पूछेगा ? मैं झूले में अयोध्या जी गया था जहां पर पोलिटिकल गाने सुनने में आते थे । तो क्या उन गवैयों, कवियों, सन्तों और फकीरों को सजा होगी ? अच्छा स्वराज्य मिला ।

तीसरी बात यहां पर कही जा सकती है कि ऐसी बात तो नहीं होगी क्योंकि बड़े किसानों की जमीन थोड़े ही छीन रहे हैं । इस कानून में अभी यह नहीं है कि बड़ी जोतें छीन ली जायंगी । लेकिन मैं आप से अर्ज करता हूं, पता नहीं जमींदार साहबान होते तो क्या कहते, मैं कहता हूं कि छीनना बुरा नहीं है, सीलिंग कर देना, हद बांध देना बुरा नहीं है ; लेकिन जो बड़ी खतरनाक चीज होगी उसको बताना चाहता हूं । आपने एक हद बांध दी कि जिसके पास २५ एकड़ , ३० एकड़, ५० एकड़ से ज्यादा जमीन होगी वह छीन ली जायगी । तो जमीन का दाम देना पड़ेगा । वह कुछ दाम पायेगा तो अपनी खेती की तरक्की में लगायेगा अथवा गांव से भाग कर

आयेगा और बिजनेस करेगा या कोई और काम करेगा। लेकिन वृहत् जोत कर के कारण उसकी जमीन तो सारी नीलाम हो जायगी। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि यह वृहत् जोत कर लगा कर हम मजबूर कर रहे हैं कि वह जमीन छोड़ दें। दिल में है जमीन छीनना और फिर आप लिखते हैं कि यह टैक्स है—यह धूर्तता और हिपोक्रिसी है। सीधे कहिए कि हम जमीन को छीनना चाहते हैं। जब रिट दाखिल होगा तब आनरेबिल मिनिस्टर साहब, कहा जायगा कि टैक्स इसलिए लगाया है कि जमीन छीन लें। इसलिए नाजायज है। मैं वकील नहीं हूं। लेकिन वकीलों के साथ बैठा जरूर हूं अतः कहता हूं कि शायद हाईकोर्ट कह देगा कि यह संविधान के विरुद्ध है क्योंकि संविधान बिना मुआविजे के जमीन छीनने की इजाजत नहीं देता है। यह बेइंसाफी है।

इस कुर्सी पर बैठ जाने के बाद बाघ और बकरी को एक घाट पानी पिलाना चाहिए। अन्य कारण कि ऊंची जाति के कुछ आदमी अपने हाथ से खेती नहीं कर सकेंगे बल्कि शहरों में भाग आयेंगे। यहां आकर ४२० करेंगे तब आप को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नटवरलाल पर रोजाना कितना खर्चा हो रहा है, कितने सिपाही उसके साथ रहते हैं? अभी एक नटवरलाल हैं, कल बहुत से हो जायंगे। पढ़ा लिखा आदमी, पैसे वाला आदमी ४२० करेगा तो जेल में भी उसी स्तर का खाना देना पड़ेगा। आपका कानून बतलाता है कि जिस स्टैण्डर्ड का आदमी होगा वैसा ही खाना देना पड़ेगा। यह क्या अक्लमंदी है कि पढ़े लिखे आदमी को भिखमंगा बना दिया जाय और जेलखाने में खाना दिया जाय। गरीबों की भलाई इसमें है कि जो मजदूर आज मजदूरी करता है कल वह मिल मालिक बन कर, मोटर पर घूमे यह अच्छा है या ताकयामत वह मजदूर रहे, यह अच्छा है? एक किसान ताकयामत भूखों मरता रहे गरीबी में या बड़ा किसान बनकर पैसा पैदा करके आराम की जिन्दगी बसर करे, यह अच्छा है? हुजूरवाला, आदमी केवल जीने के लिये नहीं होता है। उसके लिये कुछ और भी करने की आवश्यकता है। "आहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां, ज्ञान हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः" खाना, सोना, डरना आदि तो पशु और मनुष्य दोनों में समान होता है लेकिन आदमी के अन्दर ज्ञान भी होता है जो परोपकार के लिए प्रेरित करता है। अन्यथा पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि "ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः।" वह तो केवल पशु के समान ही है। "विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद्धर्मः ततः सुखम्" विद्या से विनय आती है और विनय से आदमी पात्र बनता है और योग्य बनता है और योग्य होने पर उसको धन प्राप्त होता है और धन प्राप्त होने पर संसार में धार्मिक काम करता है अर्थात् परोपकार करता है।

श्री अध्यक्ष—आपने विधेयक से नहीं बताया कि उससे क्या प्राप्त होता है?

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अब उसी पर आ रहा हूं। जिसके पास साधन है और पैसा है वही अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है तब उसको आराम मिलता है। सरकारी कर्मचारी को वह आराम नहीं मिलता है क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार छुट्टी नहीं पा सकते हैं। जहां वह चाहें नहीं जा सकते हैं। वह चाहे गवर्नमेंट को भले ही खराब समझता हो लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं किन्तु जो रोटी से निश्चिन्त हैं। बच्चे बड़े हो गये और उन्होंने काम सम्भाल लिया तो फिर वह आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है वही परोपकार कर पाता है क्योंकि बेफिक्र है। यहां यह भी याद रहे कि वेतन देकर जज, कलेक्टर तो बनाये जा सकते हैं किन्तु डीवेलरा नहीं बनाया जा सकता है। लेनिन, गांधी या वाशिंगटन नहीं बनाये जा सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का सबको अधिकार दिया जाय। यह सही है कि पैसे वालों में बुराई भी होती है किन्तु दुनिया में कौन ऐसा काम है कि जिसमें कुछ न कुछ भलाई और बुराई दोनों नहीं होतीं। इसलिये जिसमें बुराई कम और भलाई अधिक हो उसे स्वीकार करना चाहिये। रूस में जहां कि साम्यवाद है और सब भाई बराबर हैं वहां पर खाना, कपड़ा, मकान गरीबों को अच्छी तरह से मिलता है

[श्री सीताराम शुक्ल]

बमुकाबले फ्रान्स के और इंगलैण्ड के या अमेरिका के ? यदि नहीं, तब साम्यवादी शासन को उत्तम कैसे कहा जाएगा ? इसीलिए अब इंगलैण्ड की लेबर पार्टी ने यह तय किया है कि अगर हम पावर में आयेंगे तो सोशलाइज नहीं करेंगे।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन सब बातों पर गौर करते हुये, किसानों की भलाई को मद्देनजर रखते हुये, इस पर विचार किया जाय, ताकि इसको भी आगे चल कर बदलना न पड़े और उनको खुशी हो जिनके लिये यह आप बनाने जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आपकी नीयत तो बहुत अच्छी हो, लकिन किसानों को तकलीफ हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री महीलाल---मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऊंची जाति वाले जो खेती नहीं कर सकते हैं तो उन ऊंची जातियों से उनका मतलब क्या था ?

श्री अध्यक्ष---वह (श्री सीताराम शुक्ल) तो अब बैठ गये।

*श्री परमेश्वर दीन वर्मा (जिला उन्नाव)---मैं आपकी आज्ञा से जो यह भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ विधान परिषद् द्वारा संशोधित रूप में हमारे सम्मुख है उस पर कुछ प्रकाश डालने के लिये खड़ा हुआ हूं जैसा दो, तीन दिन पूर्व आभास हुआ था कि यह सदन २५ तारीख तक बैठगा और उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो अक्तूबर में कुछ समय के लिये सदन की बैठक बुला कर इस विधेयक पर विचार किया जायगा, वह आशा निराशा में परिवर्तित हुई और यह पूर्ण रूप से हमारे सम्मुख विचार के लिये रख दिया गया और साथ ही यह लिमिटेशन भी कर दी गयी कि दो दिन के अन्दर ही इसको पारित किया जायगा। परन्तु मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जानने की चेष्टा करूंगा कि जिस बिल का असर सारे प्रान्त की जनता पर पड़ने वाला है और जिसका किसानों से सम्बन्ध है, ऐसे बिल को इतने अल्प समय में पारित किये जाने की जो बात कही गयी है वह क्या उचित है ? यह समय बहुत कम है और उसमें पूर्ण रूप से विचार नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं आपके द्वारा जो श्री महीलाल जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया है कि इस विधेयक को, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में यह विधेयक संशोधित रूप में कल शाम को ही देखने को मिला और उस समय मिला जब कि इसके पूर्व का विधेयक प्राप्त नहीं किया जा सकता था और आज जब सदन बैठा, इस पर विचार होना शुरू हो गया। इस कारण बहुत सी आपत्तियां इसमें सामने आयीं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा और वह हैं भी। पहले भी एक चकबन्दी संशोधन विधेयक, १९५८ पारित किया जा चुका है। इसमें भी इतनी ही जल्दबाजी हुई है और यह मैंने कहा था कि शायद माननीय मंत्री जी यह कहने में समर्थ न हों कि यह पूर्ण रूप से ठीक है। इस विधेयक में भी यदि जल्दबाजी हुई तो बहुत सी बातें रह जायंगी और जिनके निवारण हेतु जल्दी ही कोई दूसरा विधयक लाना पड़ेगा।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण देखने से जैसा पता चलता है, चार प्रकार की बातें थीं कि जिनके कारण यह आया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और दूसरे सुधार होने की आवश्यकता है। कुछ मूल अधिनियम की धाराओं को, जो आवश्यक थीं, निकाला जा रहा है इसके द्वारा। इसको शायद माननीय मंत्री जी ने उपयुक्त समझा होगा और अगर यह कहा जाय कि उन्होंने अपने नजरिये से ही उनको निकाल दिया है तो ठीक होगा। लेकिन वह पूर्ण रूप से सदन की राय से निकाली गयी है, अगर यह कहा जाय तो शायद ठीक न होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके पूर्व कि मैं कुछ अन्य बातों को लूं विधेयक के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था और विधयक के देखने से भी पता चलता है कि इसम संशोधित रूप में कई बातें ऐसी आयी हैं कि जो जनता के लिये हितकर हैं। उनके लिये मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इससे शायद उनको यह विश्वास नहीं हो जाना चाहिये कि अन्य किसी और बात के सुधार की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जैसा उद्देश्य है कि समाजवादी समाज की स्थापना हो तो ऐसा कानून बनना चाहिये जिससे सभी का लाभ हो। परन्तु इस विधेयक में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। देहातों और किसानों की आये दिन चर्चा होती है और कानूनगो और लेखपालों की शिकायतें होती हैं कि गांवों में उन्हीं का बोलबाला है और किसानों को उनके द्वारा तमाम कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इस विधेयक द्वारा भी मंत्री जी कानूनगो को अधिक अधिकार दे दिये हैं जिससे जनता को कष्ट अधिक होना स्वाभाविक है। जैसा कि समय-समय पर भ्रष्टाचार आदि की बातें कहीं जाती हैं उन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि भूमिहीनों के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको जमीन दी जाय। यह विधेयक उनके लिये जो कड़कड़ाती धूप में मजदूरी करते हैं और उस मजदूरी का पूर्ण अंश भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है, उनके लिये भी कोई जमीन की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। दूसरी ओर सरकार ने इस विधेयक द्वारा यही किया है जिनके पास जमीन है वे और जमीन रख सकते हैं। जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, किसी परिवार में जितने वयस्क होते जावेंगे उतने ही साढ़े बारह एकड़ जमीन वह परिवार रख सकेगा। इस तरह से ज्यों-ज्यों वयस्कों की संख्या बढ़ती जायगी उस परिवार की जमीन भी बढ़ती जायगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या जब वयस्क बढ़ेंगे तो उन्हें भूमिहीन समझ कर यह भूमि दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भूमिहीन उसे समझा जाय जिसके पास वास्तव में भूमि नहीं है। यह नहीं होना चाहिये कि जिसके बाप और दादा की जमीन चली आ रही है वह वयस्क होने पर और भी ले सकता है।

श्री चरणसिंह-- पंजाब और बुन्देलखंड में पहले कौमवार लोग नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट माने गये थे। हमने ऐसी कौम के आधार पर अपनी पालिसी का आधार नहीं बनाया है। कोई आदमी जो खेती करना चाहे जमीन ले सकता है। खेती नहीं करता है तो लगान पर दे सकता है।

श्री परमेश्वरदीन वर्मा--कौम की बात नहीं है। मेरे खयाल से वे बातें करते रहे मैं तो कह रहा था कि यदि एक परिवार के पास जमीन है और उस परिवार में एक और वयस्क बढ़ जाता है तो इस विधेयक के द्वारा वह साढ़े बारह एकड़ जमीन और ले सकता है। लेकिन मेरे विचार से इसमें एक प्राविजो लगा देना चाहिये कि वही जमीन ले सकता है जिसके पास और जमीन न हो। लेकिन जैसा कि इस विधेयक में दिया हुआ है उसके रहने से धनवान व्यक्ति ही जमीन खरीद सकेंगे और जिनके पास जमीन नहीं है वह नहीं ले पायेंगे। अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा तो भूमिहीन किसानों, और खेतिहर मजदूरों को भी जमीन मिल जायगी जो कि कृषि पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की है लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसी अवस्थायें भी हो सकती हैं जहां बाप मर गया हो, बेवा मां हो और लड़का नालायक निकल जाय। ऐसी दशा में मां की क्या दशा होगी? इसलिये वैसी हालत में आपको उसके लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। इसके अतिरिक्त और भी बहुत-सी परिवार सम्बन्धी बातें जो माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा यहां प्रस्तुत की हैं, वे वास्तव में अच्छी हैं और स्वागत के योग्य हैं।

इस विधेयक के द्वारा उस आपत्ति का समाधान नहीं किया गया जो अक्सर होती रही है। बहुत-सी पंचायतें ऐसी हैं जो टाउन एरिया के निकट हैं। पंचायतों का निर्माण स्वतंत्र होता है लेकिन उन भूमि-प्रबन्धक समितियों के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं यह इसमें स्पष्ट

[श्री परमेश्वरदीन वर्मा]

नहीं है। अब तक ऐसा होता रहा है कि पंचायतें तो अलग हैं लेकिन भूमि-प्रबन्धक समितियों का निर्माण टाउन एरिया के एलेक्टेड मेम्बर और चेयरमैन करते हैं, जिससे पंचायतों का अधिकार एक प्रकार से छिन जाता है और भूमि का वितरण भी ठीक तौर से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि किशुनपुर गांव में स्वतंत्र पंचायत है, लेकिन वह क्योंकि टाउन एरिया के निकट है इसलिये टाउन एरिया कमेटी के मेम्बरान ही भूमि-प्रबन्धक समिति में हैं। यह खटकने वाली बात है। इस समिति के निर्माण की बात वास्तव में दुःखप्रद है वह इस माने में कि एक तो पंचायतों के चुनावों से ही वहां बड़ी पार्टीबन्दी बढ़ रही है और जो मेम्बर चुन लिये जाते हैं वे ही भूमि-प्रबन्धक समिति पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अब इस विधेयक के द्वारा वे पूर्ण रूप से प्रतिनिधि चुने जायेंगे। मैं आपके द्वारा क्या माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी कर सकता हूं कि एक पंचायत के अन्दर दूसरी पंचायत की व्यवस्था करना कहां तक उचित होगा? इससे यही होगा जैसा कि सभी स्वीकार करते हैं, कि धनवान व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, जिनके पास ताकत है, लाठी का जोर है, जिनसे लोग कांपते हैं वे ही चुने जायेंगे। यह शायद मंत्री महोदय की दृष्टि में ठीक हो, लेकिन जब इस पर अमल होगा तो एक प्रकार का ऐसा वातावरण पैदा हो जायेगा जिससे जगह-जगह पर विद्रोह की भावनायें गांवों में प्रज्वलित हो जायेंगी।

एक बात मैं और आपके द्वारा कहना चाहता हूं। अभी और, अभी ही नहीं समय-समय पर शिकायतें आया करती हैं किन्तु उन पर कार्यवाही नहीं होती। अभी साथी लहरी जी ने कहा था कि शिकायतें भेजी गयी हैं किन्तु उन पर कार्यवाही नहीं हुई। यह बड़े ही दुःख की बात है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जनहित में जो शिकायतें आवें उनकी जानकारी करके उन शिकायतों का निवारण करने की व्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा। साथ ही वे इस बात को कहने के लिये यदि तैयार हों कि शिकायतें उनके पास नहीं आ रही हैं तो वे इस बात की जांच करें कि जो शिकायतें रजिस्ट्री से आती हैं उनका क्या होता है। ठीक रूप से उत्तर न मिलने से काफी कठिनाइयां हम लोगों के सामने आती हैं। इसका प्रबन्ध आवश्यक है।

इस विधेयक में बहुत खामियां हैं। वे सुधारने के योग्य हैं। अगर हम उनको यहां सभी मान लें कि ठीक है तो शायद गलत होगा। इस गलती का परिणाम यह होगा कि दो दिन के अन्दर पारित करने से यहां से तो यह पारित हो जायगा लेकिन भविष्य में जो असर इसका प्रान्त के किसानों पर पड़ेगा वह अनिष्टकर होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक पर पूर्णरूप से विचार करने के लिये, मनन करने के लिये, सुन्दर उक्तियां रखने के लिये, मनोभावों को रखने के लिये, सुधार उपस्थित करने के लिये इस सदन की एक समिति को सुपुर्द करने का कष्ट करें ताकि इसमें जो मौलिक भ्रान्तियां हैं वह दूर हो सकें।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण कल ही आरम्भ करेंगे क्योंकि २ मिनट ही बाकी रह गये हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—बहुत अच्छा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश।

लखनऊ;
२५ सितम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

आजमगढ़ जिले में इस समय निम्नलिखित स्थानों पर सरकार द्वारा खादी केन्द्र चलाये जा रहे हैं

नाम तहसील	नाम स्थान
आजमगढ़	सिधारी
आजमगढ़	चिरयाकोट
मोहम्मदाबाद	मऊनाथ भंजन
मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद
फूलपुर	कोयलसा
फूलपुर	अहिरौला
फूलपुर	अतरौलिया
जीयनपुर	जीयनपुर
जीयनपुर	भैरोंदासपुर
लालगंज	ठेकमां
लालगंज	मेहनाजपुर
घोसी	मर्यादपुर
घोसी	घोसी

सरकार खादी केन्द्रों को सहायता नहीं देती बल्कि स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के वेतन, सबसिडी तथा अन्य फुटकर व्यय के लिये सरकार संबंधित खादी संस्थाओं को अनुदान देती है।

उक्त जिले में सन् १९५७–५८ में चलने वाले खादी केन्द्रों को गत वित्तीय वर्ष में श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर द्वारा निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई :

	रुपया
१—स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के वेतन के लिये अनुदान ..	१३,७५५
२—फुटकर व्यय के लिये	१,८००
३—दो आने प्रति गुन्डी की दर से सबसिडी	५९,४६४

चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर।)

उत्तर प्रदेश ऋण तथा अनुदान समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची

१—मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश (सभापति)।

२—श्री रऊफ जाफरी, उपमंत्री उद्योग, उत्तर प्रदेश (उप-सभापति)।

३—श्री धर्म सिंह, सभा सचिव, उत्तर प्रदेश (उप-सभापति)।

४—श्री शिवप्रसाद, एम० एल० ए०, देवरिया (सदस्य)।

५—श्री द्वारकाप्रसाद, एम० एल० ए०, मुजफ्फरनगर (सदस्य)।

६—श्री शिवशरण लाल, एम० एल० ए०, बहराइच (सदस्य)।

७—श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० ए०, गोंडा (सदस्य)।

८—श्री एस० अहमद हसन, एम० एल० ए०, कानपुर (सदस्य)।

९—श्री अजयकुमार बसु, एम० एल० सी०, इलाहाबाद (सदस्य)।

१०—श्री राजनाथ कुंजरू सभापति, क्वालिटी मार्क्ड फूटवीयर मैनूफैक्चरर्स असोसियेशन, आगरा (सदस्य)।

११—श्री देवकीनन्दन पान्डेय, प्रेम विद्यालय, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा (सदस्य)।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

मैनपुरी जिले में नशीली चीजों को इस्तेमाल करने या बेचने के सम्बन्ध में मुकदमें जो चलाये गये उसका विवरण निम्नांकित है

क्रम-संख्या	थाना	दिनांक १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक		१ जनवरी, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक		
		शराब	अफीम	शराब	अफीम	कुल योग
१	कोतवाली	३८	..	३९	५	८२
२	सिरसागंज	४	२	१०	..	१६
३	शिकोहाबाद	११	..	११	..	२२
४	फरिहा	..	..	..	..	..
५	जसराना	६	२	४	..	१२
६	एका	१	..	७	..	८
७	घिरोर	..	..	५	..	५
८	कुरावली	८	१	२५	२	३६
९	कुर्रा	१	..	४	..	५
१०	किशनी	३	..	७	१	११
११	करहल	१४	३	१३	१	३१
१२	भौगांव	१७	२	३०	..	४९
१३	बेबर	११	३	७	२	२३
	योग ..	११४	१३	१६२	११	३००

संसद पुस्तकालय प्रदर्शन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३६ पर)

संस्थान की तरफ से पर्यटकों की सुविधा के लिये निम्नलिखित पर्यटक केन्द्र खोले गये गये हैं :

१—पर्यटक केन्द्र—हरिद्वार, आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा नैनीताल ।

२—पर्यटक उपकेन्द्र—देहरादून, मथुरा, फैजाबाद, गोरखपुर, कोटद्वारा, रानीखेत, अल्मोड़ा तथा काठगोदाम ।

३—स्वागत केन्द्र—चित्रकूट, बलरामपुर, ऋषीकेश, तथा श्रीनगर (गढ़वाल) ।

इन पर्यटक केन्द्रों द्वारा संस्थान की तरफ से पर्यटकों को निम्नलिखित सूचना दी जाती है ।

१—पर्यटकों को रमणीक स्थानों, सड़कों तथा स्वास्थ्य वर्धक स्थानों के विषय में पूरी सूचना देना तथा रहने और ठहरने के विषय में उचित प्रबन्ध करना ।

२—प्रकाशन द्वारा यात्रियों को आवश्यक सूचना तथा सामग्री से अवगत कराना ।

३—होटल तथा आवास गृह में कहां और कैसे आरक्षण होता है इसकी सूचना देना ।

४—यात्रा एजेन्टों (Travel Agents) द्वारा संचालित पर्यटन का प्रबन्ध कराना ।

५—इसके अलावा यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिये अल्प आय आवास (L.I.G. Hostel) तथा लाग केबिन (Log Cabin) का निर्माण किया गया है । मुख्य-मुख्य स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिये आवश्यक सूचना पट लगाये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१९१ एल० ए०—१९५८—८४० ।